खण्ड-145, अंक-4
सोमवार, 15 अग्रहायण, शक संवत् 1876
(6 दिसम्बर, 1954 ई0)

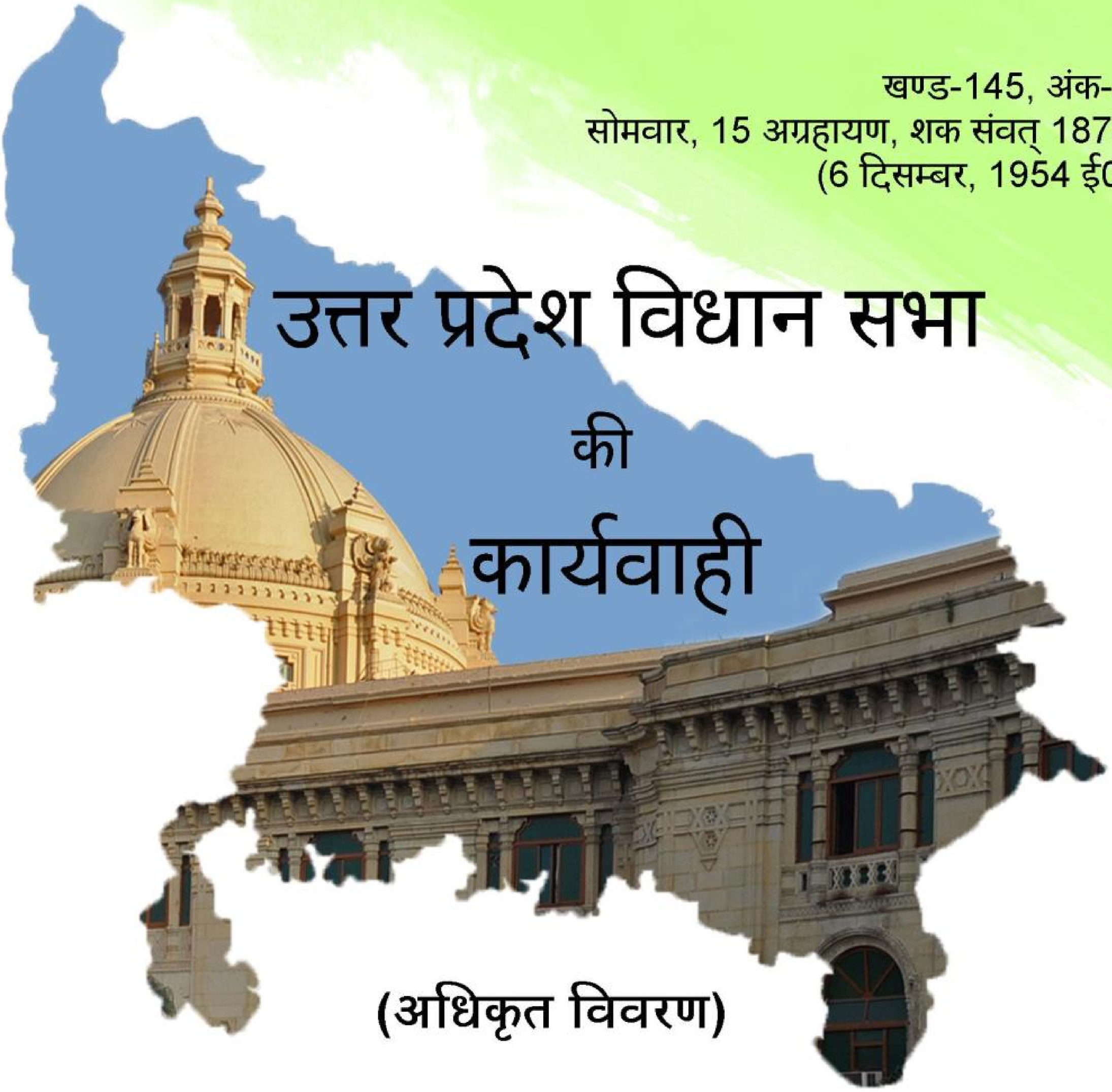

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 145 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५४

मूल्य : बिना महसूल 4 आने, महसूल सहित 5 आने |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, ६ दिसम्बर, १९५४

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरंभ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३५१)

अक्षयवर सिंह, श्री
अज़ीज इमाम, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज़ खां, श्री
अब्दुल रऊफ़ खां, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली ज़हीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेश प्रताप सिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतज़ा हुसैन, श्री
इसरारुल हक़, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फ़तसिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐज़ाज़ रसूल, श्री
ओंकारसिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमला सिंह, श्री
कमाल अहमद रिज़वी, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याणचन्द्र मोहिले उपनाम छन्नन गुरु, श्री
कल्याणराय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालिका सिंह, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशवगुप्त, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
खयाली राम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरु प्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदासिंह, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम; श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तर सिंह निरञ्जन, श्री
चिरंजी लाल जाटव, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश सरन रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
जवाहर लाल, श्री
जवाहर लाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दलबहादुरसिंह, श्री
दर्शनराम, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मित्तल, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त बैद्य, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण दीन वाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिन विहारी बनर्जी, श्री
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फ़ज़लुल हक़, श्री
फतेह सिंह राणा, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसी दास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री

बलवन्त सिंह, श्री
बशीरअहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मीतल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुरा प्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाजन, श्री सी० बी०
महादेव प्रसाद, श्री
महाराज सिंह, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीर सिंह, श्री
महीलाल, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक़ अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज़
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्र प्रताप सिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्र दत्त, श्री
राम अधार तिवारी, श्री
राम अधीन सिंह यादव, श्री
राम अनन्त पांडेय, श्री
राम अवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रामेश्वर लाल, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफत हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्राम राय, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासी लाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराज बली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्याम लाल, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास पंडित, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मख़फ़ी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सच्चितानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सहदेव सिंह, श्री
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजू राम, श्री
सुरेन्द्र दत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री

हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आज़मी, श्री
हबीबुर्रहमान खां, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

इन्दराज दुरुस्ती की मियाद

** १—श्री झारखंडे राय (जिला आज़मगढ़)—क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इन्दराज दुरुस्ती की मियाद ३१ दिसम्बर के बाद भी बढ़ाने का सरकार का विचार है?

माल मंत्री के सभासचिव (श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य)—मियाद बढ़ाने का कोई सवाल नहीं उठता है। दुरुस्ती इन्दराज का कार्य हमेशा चलता ही रहता है।

** २—श्री झारखंडे राय—अगर हां, तो कब तक के लिये और नहीं तो क्यों?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि इन्दराज की दुरुस्ती की सूचना किसानों को किन साधनों के जरिये दी जाती है?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—यह तो इस कलेक्शन ड्राइव के मातहत लेखपालों को आदेश था कि गांवों में जा करके खतौनी और खसरा के इन्दराजात पढ़ें जहां कि गांव वाले रहें, गांव सभा का प्रधान रहे और उनके सामने जो गलतियां हों वह नोट करें। उसके बाद जो डिसप्यूटेड इन्ट्रीज हों उनके बाबत तहसीलदार या नायबतहसीलदार या एस० डी० ओ० साहब उसका फैसला करेंगे कि क्या सही क़ब्ज़ा है और पड़ताल में क्या गलती थी और सही होनी चाहिये।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—क्या माल मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो ड्राइव चला था उस तरह के ड्राइव की मियाद बढ़ा देने का सरकार विचार कर रही है?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—जी नहीं।

श्री गेंदासिंह—क्या माल मंत्री जी को इसकी जानकारी है कि जो ड्राइव इन्दराज दुरुस्ती के लिये चलाया गया था उसकी पूरी पूरी जानकारी और जिन लोगों के इन्दराज गलत थे उनकी नहीं हुई?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—मुझे यह इत्तिला है कि लेखपाल गांव में गये और उन्होंने गलतियों को नोट किया। इस बात की कहीं शिकायत नहीं मिली कि जानकारी नहीं हो पायी।

श्री गेंदासिंह—माननीय माल मंत्री जी को इसकी जानकारी है कि नोट तो किया लेखपालों ने लेकिन लेखपालों ने लोगों को जिनकी गलतियां थीं मुश्तहिर नहीं कीं?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---यह तो जैसा मैंने पहले कहा वह गलतियां तहसीलदार और डिप्टी साहबान और नायब तहसीलदार बाद में दुरुस्ती करेंगे और उसकी इत्तिला बाद में देंगे। और दुरुस्ती होती रहती है उनके लिये तो कोई समय अन्तिम हो नहीं गया।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुज़फ़्फ़रनगर)---क्या माननीय माल मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि पड़ताल के समय गांव सभा के प्रधान को भी साथ में रखने का कोई गवर्नमेंट का आदेश है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---यह तो नहीं था। यह जरूर था कि लेखपाल जब डिसप्यूटेड एन्ट्रीज या जो भी ग़लतियां हों उनको नोट कर लें तो गांव सभा के प्रधान के उस पर दस्तख़त ले लें। लेकिन प्रधान अगर अवेलेबिल न हो तो कोई सम्मानित व्यक्ति कर सकता है कि यह गलतियां नोट कर ली गईं और अपने दस्तख़त कर दे।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आज़मगढ़)---क्या सरकार को मालूम है कि जो खसरे में गलतियां पकड़ी गईं उसकी नकल ग्राम सभा के अध्यक्षों को नहीं दी गई ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---ग्रामसभा के अध्यक्षों को नक़ल देने का उसमें कोई आदेश भी नहीं था। वह तो यह था कि ग्राम सभा के अध्यक्ष या कोई भी सम्मानित व्यक्ति के सामने उन गलतियों को नोट कर के दस्तख़त करा ले।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)---क्या लेखपाल स्पाट्स पर न जाकर के गांव में किसी जगह पर बैठ कर के सारी पड़ताल कर लिया करते हैं?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---लेखपाल गांव में बैठ कर के पड़ताल कर लिया करते हैं, इसे मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं। लेकिन कहीं भी अगर कोई शिकायत किसी लेखपाल के विरुद्ध पायी जाय तो उसके खिलाफ उचित कार्यवाही की जायगी और जहां भी ऐसी शिकायतें हुई हैं लेखपालों को दन्ड दिया गया और काफी बड़ी संख्या में दंड दिया गया है।

श्री बेचनराम गुप्त (जिला बनारस)---क्या माननीय मंत्री जी ने जिलों को कोई हिदायत भेजी है शिकमी काश्तकारों की दरख्वास्त पर कि उनका कब्ज़ा जमीन पर नहीं रहा, उनका इन्दराज ठीक नहीं किया जा रहा है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---करेक्शन की तो जैसा ड्राइव में है, वही हिदायत है। शिकमी काश्तकारों का कब्ज़ा नहीं है। इसलिये कोई उन्हीं के लिये खास हिदायत नहीं भेजी गई है।

श्री व्रजविहारी मिश्र (जिला आज़मगढ़)---क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि जो खसरे के खाना कैफियत में इन्दराजात कर लिये गये हैं उनको भी गलत इन्दराज में शामिल किया जाता है या नहीं ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---कौन काबिज है और कौन काबिज नहीं है, पड़ताल के वक्त यही देखा जाता है। गलत और सही का सवाल ही नहीं पैदा होता। यह तो काबिज मौके पर अगर कोई गलत है जिसका कि नाम खसरे के खाना ४ और ५ में नहीं है तो उसकी तो जांच हाकिम लोग करेंगे और सही जो कुछ होगा वह लिखेंगे।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)---क्या माननीय मंत्री महोदय, यह बताने की कृपा करेंगे कि किस किस किस्म की गलतियां खतौनी में दुरुस्त की जा रही हैं ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---जैसे कोई मर गया उसकी वरासत नहीं दर्ज हुई, किसी जमीन का हस्तांतरण हो गया है, उसकी इंट्री नहीं हुई है किसी का नाम गलत काबिज कागज

में चला आ रहा है, मौके पर काबिज नहीं है, उसकी जांच इन सभी बातों की गलतियों की दुरुस्ती का हुक्म था।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माननीय माल मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि नयी पड़ताल में जो गलतियां मिली हैं उनका फैसला हाकिम लोग कब तक कर डालेंगे ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---वह जल्द ही करेंगे। लेकिन कोई अवधि निर्धारित नहीं है।

श्री गेंदासिंह---क्या राजस्व मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि लेखपाल लोगों के काम की निगरानी करने का काम किन किन लोगों के ऊपर दिया गया है?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---कानूनगो पर।

श्री झारखंडे राय---क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जो स्पेशल ड्राइव किया गया था उसकी मियाद बढ़ाने में क्या दिक्कत है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---मैंने कहा कि उसकी मियाद बढ़ने की बात कोई नहीं। वह तो पड़ताल के वक्त में ही ५ अगस्त से लेकर ३० सितम्बर तक का टाइम रखा गया था। फिर जब यह दौरा होगा विंटर टुअर का उसमें या जो गलतियां होंगीं, वह हाकिम लोग मौके पर दुरुस्त करेंगे।

तारांकित प्रश्न

बांदा जिले में असोह ग्राम का सरकारी आस्थान बना रहना

*१---श्री जगपति सिंह (जिला बांदा)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि बांदा जिले के जसपरा, जोहरपुर, बाधा असोह आदि ग्राम किन किन कारणों से कोर्ट आफ वार्ड के अधीन थे ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---जसपुरा, जोहरपुर और बाधा ग्राम सरकारी आस्थान थे और उनका इंतजाम कोर्ट के जरिये होता था पर ये १९०६ व १९०७ में पुराने मालिकों को बेच दिये गये थे। असोह ग्राम अभी तक सरकारी आस्थान है और कोर्ट के महकमे के समाप्त होने तक इसका इंतजाम कोर्ट के जरिये से होता था।

*२---श्री जगपति सिंह---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ऊपर लिखे तीन ही ग्रामों को ब्रिटिश सरकार ने कोर्ट आफ वार्ड से छोड़ दिया और असोह को नहीं छोड़ा गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---१९०६ ई० में असोह गांव को उसके पुराने मालिक सरकार से खरीदना चाहते थे पर सरकार ने उसको बेचना उचित नहीं समझा।

श्री जगपति सिंह---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह ग्राम किन किन कारणों से सरकार के अधीन हुए और असोह किस कारण से वापस नहीं किया जा सका ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---सरकार ने बकाया मालगुजारी में इन गांवों को नीलाम में खरीद लिया था और सरकार ने यह मुनासिब नहीं समझा कि जितने में नीलाम में यह खरीदे थे उतने रुपये लेकर उनको बेच दिया जाय। जो दो गांव दे दिये गये उनके लिये मुनासिब समझा गया और वह बहुत पहले ही दे दिये गये थे।

श्री जगपति सिंह---क्या यह सही है कि पहले यह गांव ठेके पर गांव वालों को दिये गये थे और उनका आधा लगान माफ था और बाद में बिना कीमत लिये ही वह गांव बेचे गये ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---यह मैंने अभी कहा है कि जो गांव बकाया मालगुजारी में सरकार ने नीलाम में ले लिये थे उनको जितने रुपये में लिया था उतना रुपया लेकर वापस कर दिया गया ।

गोसम्वर्द्धन समिति के प्रतिवेदन को हिन्दी में छापने की मांग

*३---श्री बद्रीनारायण मिश्र (जिला देवरिया)---क्या सरकार गोसम्बर्द्धन कमेटी की रिपोर्ट हिन्दी में मेज पर रखने का विचार रखती है और यह भी बतायेगी कि इस कमेटी की जांच में अब तक कुल कितना धन लगा है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---जी हां, गोसम्बर्द्धन कमेटी की जांच में १५ नवम्बर, १९५४ तक ३१,०१० रुपया ६ आना खर्च हुआ ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि इस रिपोर्ट की मुख्य-मुख्य सिफारिशें क्या-क्या हैं ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---वह रिपोर्ट छप रही है और करीब दो महीने में माननीय सदस्यों की मेज पर रख दी जायगी ।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोसम्बर्द्धन समिति में अधिकांश सदस्य हिन्दी जानने वाले थे फिर भी रिपोर्ट अंग्रेजी में क्यों आयी ?

श्री अध्यक्ष---रिपोर्ट अभी आयी नहीं है ।

श्री बद्रीनारायण मिश्र---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रिपोर्ट हिन्दी लिपि में है या अंग्रेजी लिपि में है ?

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)---अंग्रेजी में ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि गोसम्बर्द्धन समिति को जो टर्म्स आफ रिफ्रेंस सरकार ने भेजे थे वह अंग्रेजी में थे या हिन्दी में थे ?

श्री चरणसिंह---इस समय तो मुझे याद नहीं है ।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)---क्या माननीय मंत्री जी गोसम्बर्द्धन समिति की रिपोर्ट हिन्दी में छपवाने की कृपा करेंगे ?

श्री चरणसिंह---इसका अनुवाद किया जा रहा है और यह हिन्दी में भी प्रकाशित होगी ।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो यह गोसम्बर्द्धन समिति की रिपोर्ट की सिफारिशें हैं उनको कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में क्या विचार रखते हैं ?

श्री चरणसिंह---रिपोर्ट पर अभी विचार नहीं किया गया है लिहाजा सरकार इस सम्बन्ध में क्या विचार रखती है यह कहना मुश्किल है ।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस कमेटी ने गोबध निरोध के लिये अपनी राय दी है कि कानून बनाया जाय ?

श्री अध्यक्ष---आपके जवाब में स्पष्ट यह नहीं है कि रिपोर्ट सरकार के पास आ गयी है। छपकर बंट जायगी यह तो दिया है, लेकिन यह मालूम नहीं है कि सरकार के पास आ गयी है। लिहाजा कौन से सवाल की मैं इजाजत दूं और किसकी न दूं यह निर्णय करना कठिन हो रहा है।

श्री चरणसिंह---रिपोर्ट मैंने अभी पूरी तो पढ़ी नहीं है लेकिन गो-बध निषेध के सम्बन्ध में उन्होंने कुछ सिफारिश की है अवश्य।

गाजीपुर की सदर तहसील के मुअत्तल कर्मचारियों की बहाली

*४---श्री शिवपूजन राय (जिला गाजीपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिला की सदर तहसील के कितने कर्मचारी कितने दिन से मुअत्तल है और क्यों ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---इस समय कोई भी कर्मचारी सदर तहसील में मुअत्तल नहीं है। जुलाई, १९५४ में इस तहसील के नायब तहसीलदार, रजिस्ट्रार कानूनगो, एक एवजी रजिस्ट्रार कानूनगो तथा एक असिस्टेंट रजिस्ट्रार कानूनगो इस कारण से मुअत्तल किये गये थे कि उनके खिलाफ यह शुबहा था कि उन्होंने मौजा मोहांव के १३५६-१३५९ फसली के खसरों के इन्दराजों में रद्दोबदल किया था।

यथोचित विभागीय कार्यवाही के बाद वे सब लोग अक्तूबर, नवम्बर में बहाल कर दिये गये।

श्री शिवपूजन राय---क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि ये कर्मचारी जो मुअत्तल किये गये थे इनकी जांच किस से कराई गयी और क्या इनकी शिकायत निर्मूल पायी गयी ?

श्री चरण सिंह---इनकी जांच जिलाधीश के द्वारा करायी गयी और इनकी गलती जरूर थोड़ी पायी गयी, क्योंकि जिला मैजिस्ट्रेट ने यह लिखा है कि इनको कुछ सजा दी गयी। रिइन्स्टेट कर दिये गये हैं लेकिन जो सस्पेंशन का जमाना था उसकी तनख्वाह नहीं दी गयी है और ऐडवर्स एन्ट्रीज इनके खिलाफ की गयी हैं और एक टेम्पोरेरी एसिस्टेंट रजिस्ट्रार था उसको अलाहिदा कर दिया गया है और एक लेखपाल था और एक दूसरे मुहकमे के दफ्तर का क्लर्क जिन पर कार्यवाही इस सम्बन्ध में हो रही है, वे अभी तक सस्पेंडेड हैं और पुलिस की तहकीकात जारी है।

श्री कमलासिंह (जिला गाजीपुर)---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि ये कागजात तहसील के जो १३५६, १३५७, १३५८ और १३५९ के थे वे मौजा महाव में किस के जरिये लाये गये ?

श्री चरणसिंह---इसकी तहकीकात हो रही है।

मुजफ्फरनगर जिले में कारों को टैक्सी के परमिट

*५---श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या यह सही है कि जिला मुजफ्फरनगर में केवल दो कारों के लिये ही टैक्सी का परमिट मिला हुआ है ?

परिवहन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)---जी नहीं। इस समय मुजफ्फरनगर सेंटर से तीन टैक्सी कारें चल रही हैं जिनको सहारनपुर-देहारादून मार्ग छोड़कर सारे मेरठ क्षेत्र में चलने की आज्ञा परमिट में प्रदान की गयी है।

*६—श्री बलवन्त सिंह—क्या सरकार जिला मुजफ्फरनगर में और कारों को भी टैक्सी का परमिट देने का विचार रखती है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—सरकार का परमिट देने से कोई सम्बन्ध नहीं है। रीजनल ट्रांसपोर्ट अथारिटी और परमिट देने का विचार कर रही है।

श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या माननीय मंत्री जी उन तीन टैक्सी कारों के मालिकों के नाम बताने की कृपा करेंगे ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—नाम यहां नहीं हैं।

श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)—माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि परमिट दिये गये हैं तो वह किन आधारों पर दिये गये हैं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—आधार तो मोटर वेहिकिल्ल ऐक्ट के अन्दर दर्ज हैं, उसके मुताबिक जांच करके जो प्रार्थना पत्र होते हैं उनमें देखकर दिया जाता है कि कौन ज्यादा उसके लिये मुस्तहक है। जैसा कि प्रश्न ६ से मालूम होता है वह भी मैं बतला दूं कि दस परमिट और देने की बात तय हो चुकी है, रीजनल ट्रांस्पोर्ट अथारिटी ने एक सब कमेटी बनायी है। २६ के करीब प्रार्थना-पत्र आये। उसमें दस और दिये जा रहे हैं, तो यह शिकायत शायद खत्म हो जायगी।

मुजफ्फरनगर जिले में बरला-बसेड़ा मार्ग पर लारियों की कमी

*७—श्री बलवन्तसिंह—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जिला मुजफ्फरनगर बरला-बसेड़ा मार्ग पर केवल दो लारियां चलाने का परमिट दिया गया है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी हां, इस मार्ग पर केवल दो लारी गाड़ियों के परमिट प्रदान किये गये हैं।

श्री बलवन्तसिंह—क्या सरकार को मालूम है कि बरला-बसेड़ा मार्ग पर जो इस समय लारियां चल रही हैं वे दिन में दो-दो, तीन-तीन चक्कर लगाती हैं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—इसकी जानकारी नहीं है।

श्री बलवन्तसिंह—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि सरकार ट्रांसपोर्ट अथारिटी को इस मार्ग के ऊपर नये परमिट देने का आदेश देगी ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—जी नहीं। इस रोड पर सरकारी बसें भी चलती हैं जो मुजफ्फरनगर से मोदीनगर और गाजियाबाद-देहरादून और दिल्ली तक चलती हैं वे भी इससे होकर जाती हैं।

श्री बलवन्त सिंह—क्या सरकार को ज्ञात है कि बरला और बसेरा रोड पर सरकारी कोई भी बस नहीं चलती ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—मेरे पास जो इत्तला है उसमें चलती है।

राज्य के पशु चिकित्सालय

*८—श्री श्रीचन्द्र—क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि इस समय उत्तर प्रदेश में कितने पशु चिकित्सालय हैं ? क्या इन सब औषधालयों में वेटेरेनरी असिस्टेंट सरजन उपलब्ध नहीं हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—इस समय प्रदेश में २५२ पशु चिकित्सालय हैं। कुछ अस्पतालों में वेटेरेनरी असिस्टेंट सर्जन इस समय तैनात नहीं हैं। इसका मुख्य कारण वेटरीनरी असिस्टेंट सर्जनों की कमी है।

*९—श्री श्रीचन्द्र—उपर्युक्त औषधालयों में कितने औषधालय ग्रामों में खुले हैं और कहां-कहां ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—१९९ जो प्रांत के हर जिले में भिन्न भिन्न स्थानों पर स्थित हैं।

*१०—श्री श्रीचन्द्र—इन औषधालयों में कुल व्यय १९५३-५४ में क्या हुआ और कितने रुपये की विदेशी दवाई किन-किन विदेशों से मंगायी गयी ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—अधिकतर औषधालय डिस्ट्रिक्ट बोर्ड अथवा म्युनिसिपल बोर्ड के अधीन हैं। सन् १९५३-५४ में पशु पालन विभाग के अधीन औषधालयों पर लगभग १,१६,१८५ रुपया व्यय हुआ और उनके लिये विदेशों से कोई औषधि नहीं मंगायी गयी।

श्री श्रीचन्द्र—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि असिस्टेंट सर्जनों की कमी क्यों है और यह कमी कब तक पूरी कर दी जायगी ?

श्री चरण सिंह—कमी यों है कि ४८ से पहले हमारे प्रदेश में वेटेरिनरी असिस्टेंट सर्जनों की ट्रेनिंग देने के लिये कोई शिक्षालय नहीं था। हमारे यहां के कुछ नौजवान बिहार को जाते थे वेटेरिनरी कालेज में, उसके एवज में गवर्नमेंट ऐग्रीकल्चरल कालेज, कानपुर में ऐग्रीकल्चर की शिक्षा प्राप्त करने के लिये वह अपने विद्यार्थी भेजते थे। इसलिये कमी थी। १९४८ से कालेज खुला हुआ है और वेटेरिनरी असिस्टेंट सर्जन निकल रहे हैं, जैसे जैसे वह लोग हम को मिलते जायेंगे कमी पूरी होती जायगी।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—क्या माननीय कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हमारे प्रदेश के इस शिक्षालय से कितने वेटेरिनरी सर्जन हर साल निकलते हैं और क्या उन सब को नौकरी मिल जाती है या नहीं ?

श्री चरण सिंह—पहले ६० भरती किये जाते थे। इस वर्ष से १०० भरती करना शुरू किया है। इसीलिये ताकि जल्द से जल्द जितनी तादाद की जरूरत है वह मिल जाय। गालिबन दो बैच निकल चुके हैं। अगर बहुगुणा जी को शिकायत है कि किसी को नौकरी नहीं मिली तो मुझे जानकर बड़ी खुशी होगी क्योंकि हमें सैकड़ों आदमियों की जरूरत है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि आने वाले ५ वर्षों में कितने वेटिरनरी सर्जनों को प्रति वर्ष सरकार रखने का विचार रखती है ?

श्री चरण सिंह—जितना माननीय बहुगुणा जी और सदन के माननीय सदस्य वेटेरिनरी सर्जन्स को रखने के लिये एनिमल हस्बैन्डरी डिपार्टमेंट को रुपया दे देंगे।

श्री गेंदा सिंह—क्या माननीय कृषि मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जहां पर औषधालय तो हैं लेकिन कोई सर्जन नहीं है उन औषधालयों में क्या काम होता है ?

श्री चरण सिंह—उनमें जो और औषधालयों में काम होता है वही होता है।

श्री गेंदा सिंह—क्या राजस्व मंत्री और औषधालयों में जहां बिना सर्जन के काम होता है उसे बतलाने की कृपा करेंगे ?

श्री चरण सिंह—सवाल यह था क्या काम होता है यह नहीं कि कैसे होता है। ऐसे होता है कि दो दो, तीन तीन औषधालय एक एक वेटेरिनरी सर्जन्स को दे दिये गये हैं।

श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि मथुरा से पास हुये सर्जन को और बिहार से पास हुये सर्जन को एक ही ग्रेड दिया जाता है या भिन्न भिन्न ग्रेड देते हैं ?

श्री चरण सिंह—नोटिस की आवश्यकता है।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह (जिला टेहरी-गढ़वाल)—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार यह विचार रखती है कि जो औषधालय इस समय डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के मातहत हैं उनको एनिमल हस्बेंडरी डिपार्टमेंट के मातहत कर दिया जाय ?

श्री चरण सिंह—जी नहीं, ऐसा कोई विचार नहीं है। लेकिन इतना विचार जरूर है कि जो औषधालय जिले के हेडक्वार्टर्स पर हैं उनको सरकार ले ले और पिछले वर्ष चार स्थानों के ऐसे अस्पताल लिये भी गये थे और ४ और जगहों के ऐसे अस्पताल लेने का विचार सरकार करती भी है और उनके लेने के लिये उन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स से बातचीत हो रही है। बहुत सी जगह म्युनिसिपल बोर्ड्स और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स अपने अस्पताल देने के लिये तैयार नहीं होते।

बुलन्दशहर जिले में टिड्डियों का आक्रमण

*११—श्री रामचन्द्र विकल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बुलन्दशहर जिले की किस किस तहसील में हाल में टिड्डी आने से फसल को हानि हुयी ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—हाल में टिड्डी आने से फसल को कोई हानि किसी तहसील में नहीं हुयी।

*१२—श्री रामचन्द्र विकल—क्या सरकार बतायेगी कि बुलन्दशहर जिले में इस हानि के कारण सरकार लगान व आबपाशी की छूट देने का विचार रखती है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह सूचना कि टिड्डी से हानि नहीं हुयी इसकी जांच किस कर्मचारी से सरकार ने करवाई ?

श्री चरण सिंह—हानि से मतलब यह नहीं है कि टिड्डी ने कुछ पौधों को खाया नहीं या पौधों को हानि नहीं पहुंची। हानि से मतलब यह होता है कि ८ आने या उससे अधिक हानि हुयी या नहीं।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या सरकार इसकी जांच करने की कृपा करेगी कि खुर्जा और सिकन्दराबाद तहसील में खरीफ की फसल में ८ आने से ज्यादा हानि हुयी है ?

श्री चरण सिंह—जब तीसरी बार अक्तूबर या नवम्बर में टिड्डी आयी है उस समय तो खरीफ की फसल कट भी चुकी थी।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या यह सत्य है कि बुलन्दशहर जिले में जब शुरू में टिड्डी आयी तो खरीफ की फसल बहुत छोटी थी और कितने स्थानों पर १६ आने तक फसल को हानि हुयी ?

श्री चरणसिंह—यह खबर सच नहीं है।

झांसी जिले में अतिवृष्टि से हानि

*१३—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गत १५ से १९ सितम्बर, १९५४ तक झांसी जिले में कितनी बारिश हुयी और मोठ तहसील के किन-किन गांवों को क्या क्या नुक्सान पहुंचा ।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—झांसी जिले में गत १५ से १९ सितम्बर, १९५४ तक वर्षा का अनुपात १२.७४ इंच है ।

मोठ तहसील में उक्त वर्षा से ३३२ गांवों में कुल २७८८ मकान गिरे, १ मनुष्य की मृत्यु हुयी तथा ३२ पशुओं की हानि हुयी और मक्का आदि की फसल को, जिसका मूल्य २,१८,५४० रुपया है, हानि हुयी ।

*१४—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त बारिश से मऊरानीपुर व गरौठा तहसील के किन-किन गांवों को क्या-क्या नुकसान पहुंचा है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—अधिक वर्षा के कारण मऊरानीपुर तथा गरोठा तहसीलों में क्रमशः ४६ और २९ गांवों में १७६५ तथा ४९७ मकानों को हानि पहुंची। मऊरानीपुर तहसील में ३ आदमी मरे तथा ५० पशुओं की हानि हुयी। गरोठा तहसील में केवल ३ पशुओं की और ३०० रुपये कीमत की चावल की फसल को हानि हुयी ।

श्री लक्ष्मण राव कदम—क्या माननीय मंत्री इस हानि को देखते हुये सहायता की मात्रा को बढ़ाने के सम्बन्ध में विचार करने की कृपा करेंगे ?

श्री चरण सिंह—जितनी सहायता डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने मांगी उससे ज्यादा हम दे चुके हैं और आवश्यकता नहीं मालूम होती है ।

श्री शिवनारायण—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जब से यह सरकार बनी है तब से जिला झांसी में यह पहली बार ही बाढ़ आयी है ?

श्री चरण सिंह—जी हां, जब से यह सरकार बनी है पहली बार ही बाढ़ आयी है बल्कि मैं तो समझता हूं कि जितने माननीय सदस्य बुन्देलखंड के यहां पर हैं उसकी याद में शायद पहली बार ही यह बाढ़ आयी है ?

*१५—श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल (जिला गोंडा)—[३ जनवरी, १९५५ के लिये स्थगित किया गया ।]

एस० डी० ओ० सदर फ़ैजाबाद की अदालत में भूमि सम्बन्धी मुक़दमे

*१६—श्री मदन गोपाल वैद्य (जिला फैजाबाद) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि एस० डी० ओ० सदर फैजाबाद की अदालत में भूमि सम्बन्धी दफा २३२ के कितने मुकदमें कितने दिनों से चल रहे हैं ? क्या किसी का फैसला भी हुआ है ?

श्री चरण सिंह—एस० डी० ओ० सदर फैजाबाद के न्यायालय में १ जुलाई सन् १९५२ से २६ नवम्बर सन् १९५४ तक दफा २३२ के कुल १२४ मुकदमे दायर हुये हैं जिनमें से ४३ मुकदमों का फैसला हो चुका है ।

फ़ैजाबाद जिले के परगना अमसिन में लैण्ड रेकार्ड्स सम्बन्धी काग़ज़ात का ग़ायब होना

*१७—श्री मदन गोपाल वैद्य (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि परगना अमसिन (जिला फैजाबाद) के लैण्ड रेकार्ड्स के कुछ काग़ज़ात ग़ायब हो गये हैं ?

श्री चरण सिंह--जी हां ।

बिजनौर में रोडवेज स्टेशन तथा मुसाफिरखाने की आवश्यकता

*१८--श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर) (अनुपस्थित)--क्या यह सही है कि बिजनौर में रोडवेज के स्टेशन की पूरी इमारत तथा मुसाफिरखाना बनाने के लिये १९५३-५४ में अनुदान स्वीकृत किया गया था ? यदि हां, तो उपर्युक्त इमारतें किन कारणों से नहीं बनवायी गयीं ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--जी नहीं ।

*१९--श्री शिवकुमार शर्मा (अनुपस्थित)--क्या सरकार १९५४-५५ में बिजनौर में स्टेशन तथा मुसाफिरखाने की इमारत बनवाने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--जी हां ।

श्री रतन लाल जैन--क्या सरकार को ज्ञात है कि मुसाफिरखानों के न होने से जनता को बड़ी कठिनाई उठानी पड़ती है ।

श्री विचित्र नारायण शर्मा--जी हां, मालूम है ।

तहसील फ़ैज़ाबाद में जमींदारी विनाश व भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा २३२ के अन्तर्गत मुकदमे

*२०--श्री राजाराम मिश्र (जिला फैजाबाद) (अनुपस्थित)--क्या सरकार को ज्ञात है कि तहसील फैजाबाद में जमींदारी विनाश व भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा २३२ के अन्तर्गत जितने भी वाद आज तक प्रस्तुत हुये हैं उनमें से किसी का भी निर्णय अभी तक नहीं हुआ है और किसान लगातार तारीखों को बढ़ाये जाने के कारण काफी परेशान हो रहे हैं ? सरकार उक्त वादों का निर्णय शीघ्र कराये जाने के लिये क्या प्रबन्ध कर रही है ?

श्री चरण सिंह--जी नहीं, १ जुलाई, १९५२ से २६ नवम्बर, १९५४ तक दफा २३२ के अन्तर्गत तहसील फैजाबाद में १२४ प्रार्थना पत्र दिये गये जिसमें से ४३ का निर्णय हो गया है और ८१ अभी विचाराधीन हैं। इन प्रार्थना-पत्रों का शीघ्र निर्णय करा देने के सम्बन्ध में उचित कार्यवाही की जा रही है ।

जिला जौनपुर की तहसील केराकत के हरिजन लेखपाल तथा अमीन

*२१--श्री परमेश्वरी दयाल (जिला जौनपुर) (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला जौनपुर, तहसील केराकत में कुल कितने अमीन तथा लेखपाल हैं और उसमें कितने हरिजन हैं ?

श्री चरण सिंह--तहसील केराकत, जिला जौनपुर में १३ अमीन व ७८ लेखपाल हैं। अमीनों में कोई हरिजन नहीं है, किन्तु लेखपालों में ६ हरिजन हैं ।

यमुना नदी की बाढ़ से मुजफ्फरनगर जिले को हानि

*२२--श्री वीरेन्द्र वर्मा--क्या सरकार को ज्ञात है कि जनवरी, सन् १९५४ में दो बार यमुना नदी में भयंकर बाढ़ आने से मुजफ्फरनगर जिले के बहुत से ग्राम जलमग्न हो गये और किसानों की फसल, खाने का अनाज व मकान आदि को भारी क्षति पहुंची ?

नोट--तारांकित प्रश्न १८ तथा १९ श्री रतन लाल जैन ने पूछे ।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--यमुना नदी में जनवरी में नहीं बल्कि फरवरी, १९५४ में दो बार बाढ़ आयी जिससे १२ गांवों की खड़ी फसल को अधिक तथा ९ गांवों की फसल को साधारण क्षति पहुंची। मकान आदि को किसी गांव में क्षति नहीं पहुंची।

*२३--**श्री वीरेन्द्र वर्मा**--क्या सरकार को ज्ञात है कि जिस समय यह बाढ़ आयी उस समय नहर जमुना भी बन्द थी ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--जी हां।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जिन २१ गांव को बाढ़ से फसल का नुकसान पहुंचा है वहां के किसानों के लगान और मालगुजारी में भी छूट कोई दी गयी है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--२३६७ रुपया १३ आना ८ पाई दिया गया है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--क्या सरकार ने कोई तकावी भी किसी प्रकार से दी है ?

श्री चरण सिंह--जो तकावी हर जिले को साधारणतः दी जाती है वह दी गयी है और वहां से किसी खास तकावी के लिये तकाजा भी नहीं था।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--माननीय मंत्री जी ने बताया कि दो दफा बाढ़ आयी और दोनों दफा जमुना नहर बन्द थी तो क्या पहली दफा जब बाढ़ आयी थी उस समय वहां के किसानों ने तार भी दिया था कि नहर को जल्द चालू किया जाय ?

श्री चरण सिंह--इस समय याद नहीं है और अगर वह जमुना नहर ऊपर से भी खोल दी जाती तो बाढ़ में कमी आती या नहीं आती एक प्रोबलमिटिक बात है।

फ़ैज़ाबाद जिले के कुछ क्षेत्र को आज़मगढ़ जिले में मिलाने के लिए आवेदन-पत्र

*२४--**श्री विश्राम राय** (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि फैजाबाद जिले की टांडा तहसील के राजे सुल्तानपुर से जहांगीरगंज तथा कम्हरिया तक के क्षेत्र के निवासियों ने फैजाबाद केन्द्र दूर होने के कारण आजमगढ़ जिले में इस क्षेत्र को मिलाने का आवेदन-पत्र सरकार को दिया है ? यदि हां, तो सरकार इस पर क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--जी हां, शासन ने इस विषय पर संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है।

श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह रिपोर्ट कब तक आने की आशा है ?

श्री चरण सिंह--कोई तारीख तो उन्होंने निश्चित नहीं की है। जल्दी ही आ जायगी और ऐसी कोई अरजेन्सी भी नहीं मालूम होती है।

श्री उमाशंकर--क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि यह प्रश्न कब से विचाराधीन है ?

श्री चरण सिंह--जब से यह आवेदन-पत्र आया है।

बस्ती जिले की गोशालाओं को सहायता की आवश्यकता

*२५--श्री मथुरा प्रसाद पांडेय (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि बस्ती जिले में किस-किस गोशाला को सरकार द्वारा कितनी आर्थिक सहायता दी जाती है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--बस्ती जिले में किसी गोशाला को आर्थिक सहायता नहीं दी जाती है । बजट में इसके लिये कोई व्यवस्था नहीं है ।

श्री शिवनारायण--क्या सरकार अगले वर्ष में पुरानी बस्ती की गोशाला को कुछ रुपया देने की कृपा करेगी ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--इस तरह की कोई योजना गवर्नमेंट के विचाराधीन नहीं है और न अन्य जिलों को इस प्रकार की सहायता दी जाती है । अब की बजट में कुछ रुपया इस ख्याल से रखने का विचार है कि कुछ तकावी दी जा सके, सब्सीडी नहीं ।

देवरिया कलेक्टरी के क्लर्कों के क्वार्टर्स में जल तथा प्रकाश का अभाव

*२६--श्री गेंदा सिंह---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि देवरिया कलेक्टरी के क्लर्कों के लिये जो क्वार्टर्स बने हैं उनकी क्या लागत है और उन क्वार्टर्स में पानी और रोशनी का क्या प्रबन्ध है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--देवरिया कलेक्टरी के क्लर्कों के लिये कुल २० क्वार्टर्स बने हैं और प्रत्येक क्वार्टर की लागत ५५०० रु० है । इन क्वार्टरों में पानी का प्रबन्ध है परन्तु रोशनी का सरकार की तरफ से कोई प्रबन्ध नहीं है ।

*२७--श्री गेंदा सिंह---क्या यह सच है कि अब भी कुछ क्वार्टर्स इस प्रकार के बनाये जा रहे हैं ? यदि हां, तो कितने और उनका आकार-प्रकार क्या होगा ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--जी नहीं ।

श्री गेंदा सिंह---क्या माननीय राजस्व मंत्री को जानकारी है कि इनमें से २ क्वार्टरों में एक ही नल है जिसके कारण लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है ।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--जी नहीं ।

श्री गेंदा सिंह---क्या इसकी जानकारी माननीय राजस्व मंत्री जी को है कि पानी का प्रबन्ध नल का है या कुवें का है ?

श्री चरण सिंह---यह मालूम नहीं है कि काहे का प्रबन्ध है और यदि नल है तो बिजली से चलता है या कैसे ?

श्री गेंदा सिंह---अध्यक्ष महोदय, जो मुझे उत्तर मिला है उसमें बहुत स्पष्ट है कि पानी का प्रबन्ध है ।

श्री अध्यक्ष---लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि नल से है या कुवें से ।

नोट---तारांकित प्रश्न २५ श्री शिवनारायण ने पूछा ।

श्री गेंदा सिंह--क्या माननीय राजस्व मंत्री के पास कोई जिले से सुझाव है कि वहां बहुत थोड़े खर्चे से रोशनी का प्रबन्ध हो सकता है ?

श्री चरण सिंह--मुहकमे माल से कोई रोशनी का प्रबन्ध नहीं होता है और न हमारे पास कोई ऐसा प्रस्ताव है । एक बात मैं यह भी बतला दूं कि गवर्नमेंट की यह जिम्मेदारी भी नहीं है कि क्वार्टर्स बनवाए । बनवा दे तो अच्छी बात है । जितने बना सकती थी बना दिये । आगे के लिये कोई ऐसा प्रोपोज़ल नहीं है ।

दसगुना लगान की वापसी के सम्बन्ध में परिप्रश्न

*२८--**श्री रामसुभग वर्मा** (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)--क्या माल मंत्री कृपया बतलायेंगे कि सरकार ने जिला बोर्डों के अध्यक्षों को दस गुना जमा लगान की वापसी के लिये कोई विशेष सुविधा दी है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--जी नहीं ।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जब यह सुविधा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अध्यक्षों को नहीं है तो देवरिया के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अध्यक्ष को किस कानून के मातहत दसगुने का रुपया वापस कर दिया गया, जबकि हजारों किसानों को वापस नहीं हुआ है ?

श्री अध्यक्ष--यह इससे नहीं उठता, आपने तो आम तौर से प्रश्न में पूछा था और उसमें जिला बोर्ड के अध्यक्षों को दसगुने की वापसी की विशेष सुविधा का सवाल था पर आप एक जिले के बारे में पूछ रहे हैं । मैं इसकी इजाजत नहीं देता, यह इससे नहीं उठता ।

चैतिया, जिला बस्ती के श्री विश्वम्भरनाथ त्रिपाठी का एण्टी ट्यूबरकुलोसिस असोसिएशन को दान

*२९--**श्री शिव नारायण**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिला के अन्तर्गत तहसील बांसी के चेतिया ग्राम निवासी स्वर्गीय श्री विश्वम्भर नाथ त्रिपाठी ने एक रजिस्टर्ड डाकूमेंट द्वारा बस्ती जिला में Anti tuberculosis Association को दस हजार (१०,०००) रुपया का धन दानस्वरूप प्रदान किया था ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--जी हां, स्वर्गीय विश्वम्भरनाथ त्रिपाठी ने इस आशय की एक वसीयत लिखी थी ।

*३०--**श्री शिवनारायण**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि Court of Wards ने जिसके अधीन उक्त त्रिपाठी जी की सारी सम्पत्ति तथा नकद धन है उपर्युक्त Association को आज दिन तक कुल कितना धन दिया ? यदि नहीं दिया, तो क्यों ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--Court of Wards ने Association को कुछ भी रुपया नहीं दिया क्योंकि रियासत के एक हिस्सेदार ने वसीयत पर आक्षेप कर दिया और रियासत की आर्थिक स्थिति भी खराब थी ।

श्री शिवनारायण--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जिस समय पंडित विश्वम्भर नाथ त्रिपाठी ने वसीयत की थी और कोर्ट आफ वार्ड्स को रियासत हैंडओवर हुयी तो उस समय नकद रुपया कितना बैंक में जमा था ?

नोट--तारांकित प्रश्न २८ श्री जगन्नाथ मल्ल ने पूछा ।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---५० हजार रुपया बैंक में जमा है।

श्री शिवनारायण---जिन आदमियों ने वसीयत पर ऐतराज किया वे विशम्भर जी के कौन हैं? भाई हैं बेटे हैं या भतीजे हैं, कौन हैं?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---कोई रिश्तेदार हैं।

श्री शिवनारायण---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रियासत किसके हाथ में है?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---नोटिस तो दे दिया गया है। श्रीमती शांती देवी के पास थी, क्योंकि कोर्ट आफ वार्ड्स तो लिक्वीटेड हो गयी, लेकिन हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा है और हाई कोर्ट के कुछ स्टे आर्डर्स भी हैं। जो फैसला होगा, वह किया जायगा।

श्री शिवनारायण---क्या यह सही है कि ५० हजार रुपये के लिये टी०बी० एसोसियेशन के सेक्रेटरी ने बार-बार यू०पी० के अधिकारियों को लिखा और वह आश्वासन भी देते रहे मगर रुपया नहीं दिया गया?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---यह भी हाई कोर्ट से स्टे कर दिया गया है। उसके फैसले तक कोई आज्ञा नहीं दी जा सकती। असोसियेशन का हक है कि फैसला कराके इस रुपये को ले ले।

जौनपुर जिले के इस्तीफा देने वाले शिकमी काश्तकार

*३१---श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर की प्रत्येक तहसील में मई सन् ५४ से जुलाई, ५४ तक इस्तीफा देने वाले शिकमी काश्तकारों की संख्या कितनी है?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---सूचना नीचे दी हुयी है :---

नाम तहसील	संख्या
जौनपुर	११
मड़ियाहूं	--
मछलीशहर	--
शाहगंज	८३
केराकत	--
योग	९४

श्री बाबूनन्दन---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि यह जो इस्तीफे दिये गये हैं वे किस आधार पर दिये गये हैं?

श्री चरणसिंह---इस्तीफे का आधार क्या होगा? एक आदमी अपने हक को छोड़ रहा है, उससे दस्तबरदार हो रहा है।

श्री बाबूनन्दन---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि क्या यह सच है कि वे इस्तीफे दबाव डालने से दिये गये हैं?

श्री चरण सिंह---जी नहीं, दबाव डाल कर नहीं दिये गये, तहसील से नोटिस जाता है और उसके बाद कार्यवाही होती है।

आजमगढ़ जिले में टेस्ट वर्क

*३२--श्री झारखंडे राय--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पिछले १ साल में तहसीलवार कौन-कौन टेस्ट वर्क आजमगढ़ में हुये हैं तथा कितने अधूरे पड़े हैं और क्यों ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--गत वर्ष आजमगढ़ में कुल ३३ सड़कों पर टेस्ट वर्क चलाया गया जिनकी तहसीलवार सूची संलग्न है । इन ३३ कामों में ९ अधूरे रहे, क्योंकि रबी की फसल के तैयार हो जाने पर स्थिति में सुधार हो गया और टेस्ट वर्क की मजदूरी की दर पर मजदूरों का मिलना बन्द हो गया ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २६० पर)

श्री झारखंडे राय---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि जो ९ टेस्ट वर्क अधूरे रह गये हैं उन्हें कब तक पूरा करने का विचार है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---जिलाधीश को स्वयं टेस्ट वर्क्स को लेने का अधिकार है । जो ५ टेस्ट वर्क्स चल रहे हैं, संभव है कि उसके बाद वह भी ले लिये जायं ।

श्री झारखंडे राय---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इन ९ अधूरे टेस्ट वर्क्स में सहनूपुर बांध की अहमियत को देखते हुये उसको बाढ़ आने से पहले ही बनवाने का प्रबन्ध करेंगी ?

श्री चरणसिंह---कौन से टेस्ट वर्क की क्या अहमियत है, इसके लिये तो नोटिस की जरूरत होगी, लेकिन माननीय सदस्य को सुझाव दूंगा कि वे इस विषय में जिलाधीश से बातें कर लें ।

श्री व्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार कृपा करके यह बतायेगी कि आजमगढ़ जिले में क्या अब भी टेस्ट वर्क जारी है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---जी हां, जारी है ।

श्री व्रजविहारी मिश्र---कौन-कौन सी सड़कों पर इस समय टेस्ट वर्क्स चालू हैं ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---पांच जगहों पर जारी हैं लेकिन वे जगह क्या हैं इसलिये नोटिस की आवश्यकता होगी ।

खाम स्टेट, जिला नैनीताल के भाबर क्षेत्र में नलकूपों का निर्माण

*३३--श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि खाम स्टेट, जिला नैनीताल के भाबर इलाके में कितने ट्यूबवेल लाये गये हैं, अथवा बनाये जाने वाले हैं ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---खाम स्टेट जिला नैनीताल के भाबर इलाके में मार्च सन् १९५४ ई० के अन्त तक २ ट्यूबवेल बनाये जा चुके तथा १२ और बनाये जाने का विचार है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि यह १२ ट्यूबवेल्स कब तक बन जायेंगे ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---अगली पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि पंचवर्षीय योजना के अन्दर भाबर इलाके में ५ ट्यूबवेल्स बनाये जाने वाले थे लेकिन केवल दो ही बन पाये हैं ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—दो बन चुके हैं, तीन जल्दी ही बन जायेंगे ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि ये १२ ट्यूबवेल कब तक बनाने का विचार है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—तहसीलवार चार के लिये तो मैं बतला सकता हूं, बाकी के लिये नोटिस की जरूरत है । चांदनी चौक, हल्द्वानी सीतापुर में, चिलरिया रामनगर तहसील में, पिपलसेना रामनगर तहसील में ।

फ्रूट डेवलपमेंट स्कीम के अधीन एक विदेशी की नियुक्ति

*३४—**श्रीमती चन्द्रवती** (जिला बिजनौर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि Fruit Development scheme के अधीन सरकार ने कोई विदेशी बुलाया है ? यदि हां तो क्या सरकार उसकी राष्ट्रीयता बताने की कृपा करेगी ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—जी हां । उनकी राष्ट्रीयता डच है तथा उनका नाम श्री F. B. C. Weber है ।

*३५—**श्रीमती चन्द्रवती** (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इन विदेशी विशेषज्ञ को किस Terms पर यहां कार्य पर नियुक्त किया है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—इन विदेशी विशेषज्ञ को जिन Terms पर बुलाया है उसका ब्यौरा संलग्न सूची 'ख' में दिया है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २६१ पर ।)

*३६—**श्रीमती चन्द्रवती** (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन विदेशी विशेषज्ञ की Academic and Technical qualifications क्या हैं और इन पर अब तक सरकार का कितना व्यय हो चुका है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—इनकी Academic and Technical qualifications का ब्यौरा संलग्न सूची 'ब' में दिया है ।

(२) सरकार का इन पर अब तक २२,७०६ रु० १२ आना व्यय हो चुका है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ २६२ पर ।)

श्री बसंतलाल शर्मा (जिला बहराइच)—क्या मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि इन आगन्तुक महाशय को कोई वेतन दिया जायगा ? यदि दिया जायगा, तो कितना ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—वह तो नियत टर्म्स पर भेजे गये हैं । उनका कोई वेतन नहीं है ।

श्री गेंदासिंह—क्या माननीय कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विशेषज्ञ महोदय से जो टर्म्स तय हुयी हैं, उन्हें राज्य सरकार ने तय किया है या केन्द्रीय सरकार ने ?

श्री चरणसिंह—जो शर्तें तय हुयी हैं वह तो केन्द्रीय सरकार द्वारा सब प्रदेशों के लिये एक सी ही तय हुयी हैं ।

---

* तारांकित प्रश्न ३४ से ३६ तक श्री बसन्त लाल शर्मा ने पूछे ।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह---क्या मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि यह विशेषज्ञ किस साल यहां आये थे और अब तक उन्होंने क्या विशेष कार्य किये हैं ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---यह अक्तूबर, ५२ में आये थे और उन्होंने यहां कई स्कीमें चालू की हैं, फ्रूट प्रिजर्वेशन का काम शुरू किया गया है, मलिहाबाद में जहां आम ज्यादा होते हैं वहां उनकी स्कीम है, रामगढ़ में कैनिंग का सेन्टर खुला है और उन्हीं के बताये तरीके पर गांवों में फ्रूट प्रिजर्वेशन का कार्य शुरू हुआ है और उससे लोगों को लाभ पहुंचा है।

*३७---**श्री गेंदा सिंह**---[२ दिसम्बर, १९५४ को प्रश्न संख्या ४३ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया।]

*३८---**श्री कृष्णशरण आर्य** (जिला रामपुर)---[२१ दिसम्बर, १९५४ के लिये प्रश्न संख्या ६१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*३९---**श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ** (जिला अलीगढ़)---२ दिसम्बर, १९५४ को प्रश्न संख्या ६८ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया।]

*४०---**श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ**---[२ दिसम्बर, १९५४ को प्रश्न संख्या ६७ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया।]

*४१-४३---**श्री हरिप्रसाद** (जिला पीलीभीत)---[३ जनवरी, १९५५ के लिए स्थगित किये गये।]

*४४---**श्री नवलकिशोर** (जिला बरेली)---[३ जनवरी, १९५५ के लिये स्थगित किया गया।]

*४५-४७---**श्री ब्रजभूषण मिश्र**---[१७ जनवरी, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

*४८-४९---**श्री राम स्वरूप** (जिला मिर्जापुर)---[२१ दिसम्बर, १९५४ के लिये प्रश्न संख्या ७३ व ७४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)---[२१ दिसम्बर, १९५४ के लिये प्रश्न संख्या ७५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*५१---**श्री महीलाल**---[२७ दिसम्बर, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

*५२---**श्री महीलाल**---[३ जनवरी, १९५५ के लिये स्थगित किया गया।]

*५३-५५---**श्री रामचरन लाल गंगवार** (जिला बरेली)---[२० दिसम्बर, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

जौनपुर जिले की मड़ियाहूं तहसील में जमींदारी मुआवजा मिलने में असुविधा

*५६---**श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी** (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)---क्या सरकार को मालूम है कि तहसील मड़ियाहूं, जिला जौनपुर में नोटिस देने के बावजूद जमींदारी मुआवजा पाने वालों को तारीख पर तहसील में बुलाकर मुआवजा पाने की तारीख बार-बार बदली जाती है ?

श्री चरण सिंह---यह सत्य नहीं है कि तहसील मड़ियाहूं में जमींदारी मुआवजा पाने वालों को तारीख पर बुलाकर मुआवजा पाने की तारीख बार-बार बदली जाती हो। मुआवजा पाने की तारीख सिर्फ निम्नलिखित दशाओं में बदली जाती है :--

(१) जब जमींदार दफ्तर नियत समय के पश्चात् आते हैं।

(२) जब आये हुए जमींदार अपनी शिनाख्त नहीं पेश करते।

(३) जब जमींदार किसी ऐसे सम्बन्धी को भेज देते हैं जिनके पास मुआवजा लेने का अधिकार-पत्र मुख्तारनामा आदि नहीं होता।

(४) अंतरिम मुआवजा लेने के लिये जमींदार एग्रीमेंट फार्म तैयार करके नहीं लाते।

(५) जब किसी ऐसे जमींदार के लड़के या सम्बन्धी मुआवजा लेने आ जाते हैं जो जमींदारी उन्मूलन के बाद मर चुके हैं और जिनके वरासत की कार्यवाही पूरी नहीं हो पायी है। उन्हें उक्त कार्यवाही को पूरा करने के लिये समय दिया जाता है।

*५७--श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)--[१५ दिसम्बर, १९५४ लिये प्रश्न संख्या १० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*५८--श्री रमेश चन्द्र शर्मा--[३ जनवरी, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

*५९--श्री रामसुभग वर्मा--[३ जनवरी, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

सरकारी बसों का बिला परमिट लाइसेंस के चलना

*६०--श्री राजनारायण (जिला बनारस) (अनुपस्थित)--क्या सरकार को ज्ञात है कि सरकारी बसें मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट के बाद भी बिना लाइसेंस के चल रही हैं ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--सरकारी बसों को चलाने के लिये मोटर विहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ के अन्तर्गत परमिट (लाइसेंस) लेना जरूरी नहीं है।

*६१--श्री राज नारायण (अनुपस्थित)--सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से क्या सरकार सभी बसों को सरकारी लागत एवज में लेकर स्वतंत्र मोटर मालिकान यूनियन को देने या किसी कार्पोरेशन के अधिकार में देने का निश्चय कर रही है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--जी नहीं।

*६१--श्री राजनारायण (अनुपस्थित)--क्या सरकार के पास कोई ऐसा भी सुझाव आया है कि जिसके मुताबिक स्वतंत्र मोटर मालिकान यूनियन सरकार को इस समय जितनी सालाना आमदनी होती है उतनी या उससे अधिक आमदनी सालाना सरकार को देकर सारा रोडवेज का कार्य अपने अधिकार में लेना चाहती है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--जी नहीं। कोई ऐसा खास सुझाव नहीं आया है।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट की कौन सी दफा के मातहत उनको लायसेंस देने की जरूरत नहीं है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--यह तो अगर उपाध्याय जी ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी पढ़ा होता तो उसमें साफ तौर से लिखा हुआ है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि वह कौन-सी है ?

नोट--तारांकित प्रश्न ६०-६२ श्री मदन मोहन उपाध्याय ने पूछे।

श्री अध्यक्ष—आप कानूनी राय तो उनसे पूछ नहीं सकते। अगर उनको मालूम होता तो वे पहले ही बता देते।

यू० पी० रोड ट्रांसपोर्ट ऐक्ट, १९५१ में परिवर्तन के सम्बन्ध में परिप्रश्न

*६३—श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के फलस्वरूप "कि यू० पी० रोड ट्रांसपोर्ट ऐक्ट, १९५१ संविधान के *vltra vires* है" रोडवेज विभाग के प्रबन्ध में वह किस प्रकार का परिवर्तन करने का विचार करती है?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—जी नहीं।

श्री सुल्तान आलम खां—क्या सरकार मेहरबानी करके बतलायेगी कि इस कानून के अल्टरा वायर्स करार देने के बाद उन सड़कों पर जिनको सरकार ने ले लिया है, कोई प्राइवेट मोटर गाड़ियां चला सकता है या नहीं?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—जी नहीं।

श्री सुल्तान आलम खां—क्या माननीय मंत्री जी मेहरबानी करके बतलायेंगे कि उसके ऊपर जो गाड़ियां नहीं चल सकतीं हैं वह किस कायदे कानून के मुताबिक नहीं चल सकती हैं?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट के मातहत अगर जरूरत हो तो परमिट दिया जा सकता है। रोडवेज उस जरूरत को पूरा कर रही है इसलिये अब जरूरत का सवाल उठता नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार का विचार यू० पी० रोड्स ट्रांसपोर्ट ऐक्ट में कोई संशोधन करने का है?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—जी हां।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बिना मोटरों की परमिट लिये हुए क्या सरकार अपनी गाड़ियां चला सकती है?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—जी हां।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जब सरकार बिना परमिट लिये हुए सड़कों पर गाड़ियां चला सकती है तो यह यू० पी० रोड्स ट्रांसपोर्ट ऐक्ट के लगाने की क्यों आवश्यकता पड़ी?

श्री अध्यक्ष—यह तो विवाद है, मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं।

श्री सुल्तान आलम खां—क्या सरकार मेहरबानी करके यह बतलायेगी कि जो लोग मोटर गाड़ियों के लिये परमिट की दरख्वास्त दें उन सड़कों पर चलाने के लिये तो उनको परमिट दी जायगी या नहीं?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—यह सवाल उठेगा ही नहीं, उससे पहले ही ऐक्ट आ जायगा और आपको यह तकलीफ नहीं होगी।

*६४-६५—श्री राम सुन्दर पाण्डेय—[२७ दिसम्बर, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

* ६६—श्री रामसुन्दर पांडेय—[३ जनवरी, १९५५ के लिये स्थगित किया गया ।]

अतारांकित प्रश्न

१—श्री शिवपूजन राय—[२७ दिसम्बर, १९५४ के लिये स्थगित किया गया ।]

२–४—श्री हरदेव सिंह (जिला सहारनपुर)—[३ जनवरी, १९५५ के लिये स्थगित किये गये ।)

५—श्री यमुना सिंह (जिला गाजीपुर)—[२७ दिसम्बर, १९५४ के लिये स्थगित किया गया ।]

कार्यसूची में छपे हुए कार्यक्रम के परिवर्तन पर आपत्ति

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, जो एजेन्डा आज हमें मिला है उसमें पहले मुख्य मंत्री जी की ओर से एक संकल्प और उसके बाद उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, १९५४ पर विचार है ।

श्री अध्यक्ष—पहले तो यू० पी० इनकम्बर्ड इस्टेट्स ऐक्ट के ऊपर है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—जी हां, तो वह बहुत जरा सा है । तो जो पहले एजेंडा मिला हुआ था उसके अनुसार आज हस्तिनापुर विधेयक पर विचार होना चाहिये । इसमें आज के लिये पहला कार्यक्रम हस्तिनापुर विधेयक होना चाहिये था । जैसा आपको मालूम है, श्रीमन्, म्युनिसिपैलिटीज विधेयक बिजिनेस एडवाइजरी कमेटी के सामने रेफरेंस के लिये गया हुआ है । तो आपसे निवेदन करूंगा कि जो पुराना कार्यक्रम है विषय सूची में उसके अनुसार ही आज विधान सभा का कार्य हो, क्योंकि हम लोग उसी के अनुसार तैयार हो कर आये हैं और इसमें जो नया क्रम रखा गया है उसके अनुसार हम सुविधा के साथ कार्य नहीं कर पायेंगे ।

उद्योग मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—अध्यक्ष महोदय, मुझे जरा भी इस बात में दरेग न होता कि अपने मित्र की बात मान लूं लेकिन जो विधेयक हमने पेश किया है उसके सम्बन्ध में हमें गवर्नमेंट आफ इंडिया से कुछ आदेश मिले हैं उनके बारे में कुछ तरमीम भी लानी पड़ेंगी, उसके लिये कुछ समय की जरूरत है । इस ख्याल से मैंने यह प्रार्थना की थी कि बजाय आज के लाने के इस बिल को दो चार रोज के बाद ले लिया जाय यानी दूसरे या तीसरे दिन ले लिया जाय तो आपत्ति नहीं होगी ।

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)—श्रीमन्, आपकी इजाजत से मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि अब जो पहला विषय एजेन्डा पर विचाराधीन है वह है यू० पी० इनकम्बर्ड इस्टेट्स ऐक्ट, १९३४ के अधीन बनाये गये नियमों में किये जाने वाले संशोधनों के आलेख पर विचार । कुछ वजहों से पुरानी जो नियमावली थी उसमें कुछ संशोधन करने पड़े हैं और पुराने ऐक्ट में एक सेक्शन है कि जो नियम बनेंगे.....

श्री अध्यक्ष—उसके बारे में कोई एतराज नहीं किया गया । एतराज तो इस बात का है कि पहले हस्तिनापुर नगर विकास मण्डल विधेयक को क्यों नहीं लिया गया ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—एतराज उस पर भी है इसलिये कि उसका ड्राफ्ट हमारे पास नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—क्या रूल्स वगैरह कुछ नहीं बांटे गये हैं ? (कुछ ठहर कर) मुझे ज्ञात हुआ है कि वे किसी पेश्तर की तारीख में बंट चुके हैं, पहली या दूसरी को । यह एजेन्डा भी कल आपके पास पहुंच गया है, क्योंकि मैंने यह देख कर इसको इतवार को ही बंटवा दिया, ताकि माननीय सदस्य पढ़ कर आ सकें । अगर यह आप को इतवार को नहीं मिला होता तो मैं आपकी बात मान लेता । जहां तक कार्यक्रम का आर्डर मुकर्रर करने की बात है तो सरकार के कामों में सरकार को इसका पूरा अधिकार है, नियमों में । हां, मैं यह बात जरूर देखूंगा कि गैरवाजिबी तौर पर, विचार करने के लिये सामग्री न उपस्थित होते हुए भी, सरकार अगर विचार करने के लिये कोई दिन तय करे तो मैं उसमें वाजिब तौर पर हस्तक्षेप करता हूं और इसी तरह से मैंने इतना हस्तक्षेप अवश्य किया कि कल ही एजेन्डा बंटवा दिया । सामने जो मामले लाये गये हैं वे बहुत छोटे से हैं एक तो इन्कम्बर्ड स्टेट्स ऐक्ट का ड्राफ्ट है उसके थोड़े से नियमों पर विचार होना है और दूसरे एक संकल्प है और मैं समझता हूं कि इसके लिये लोगों को तैयार रहना चाहिये था । संकल्प तो केवल एक साधारण वैधानिक कार्यक्रम में से एक कार्यक्रम है तो इसलिये मैं समझता हूं कि कोई भी आपत्ति उचित सी नहीं मालूम होती इस वक्त और जो कार्यक्रम छपा है उसके अनुसार कार्य होना उचित होगा ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—हस्तिनापुर वाले के बारे में ?

श्री अध्यक्ष—उसके बारे में एक वैधानिक कठिनाई पड़ गई है । गवर्नमेंट आफ इंडिया ने कुछ सुझाव दिये हैं तो इसलिये सरकार उसको इस वक्त विचार के लिये नहीं लायेगी ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—वह प्रवर समिति के सामने जा सकता है ।

श्री अध्यक्ष—यह तो गवर्नमेंट की मर्जी के ऊपर है ।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—मैं एक निवेदन करना चाहता हूं । इस बात में तो कोई संदेह नहीं कि कल हम लोगों को एजेंडा मिल गया था, लेकिन इतवार होने की वजह से इन्कम्बर्ड स्टेट्स ऐक्ट के सम्बन्ध में हमें सामान कुछ भी नहीं मिल सका कि अगर हम उसको देखना और जानना चाहते तो जान सकें या उस बारे में कुछ स्टडी कर सकें । तो इन्कम्बर्ड इस्टेट्स ऐक्ट के बारे में हम बिलकुल तैयार नहीं हैं । रहा दूसरे संकल्प के बारे में, उस पर तो हमें कुछ सामग्री मिल गयी थी, तो इस आधार पर मैं माननीय राजस्व मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि उनको इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये कि इनकम्बर्ड इस्टेट्स बाद में ले लिया जाय और इस कांस्टीट्यूशन के संकल्प को पहले ले लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—(राजस्व मंत्री से) आप इसको कल के विचार के लिये रख सकते हैं, इसमें आपको कोई आपत्ति तो नहीं है ?

श्री चरण सिंह—अगर ऐसा है तो कल के लिये रख लीजिये, वैसे मुझे कल फुरसत कम है, क्योंकि मैं बाहर भी जा रहा हूं । इसमें कुल चार, पांच नियम हैं और यह बिलकुल जाब्ते की बात है । यह इसलिए किया जा रहा है कि कचहरियों के काम में कुछ कठिनाई हो रही है तो मैं चाहता था कि यह १३ तारीख को लेजिस्लेटिव कौंसिल के सामने रख दिया जाय । मेरी तो इच्छा थी कि यह आज ही हो जाय लेकिन अगर ऐसा है तो कल हो जायगा ।

श्री अध्यक्ष—इस पर विचार तो कल ही सबेरे समाप्त हो जायगा और अन्य बाकी विषय कार्यक्रम के अनुसार ही चलेंगे । पहले संकल्प पर विचार होगा और संकल्प के बाद समय रहा तो फिर म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट शुरू कर दिया जायगा । (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम से) आप संकल्प पेश करेंगे ।

कान्स्टीट्यूशन (थर्ड अमेंडमेंट) बिल, १९५४ द्वारा प्रस्तावित संशोधनों के अनुसमर्थन के लिए संकल्प

*वित्त मंत्री (श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम)—जनाब वाला, मैं आपकी इजाजत से यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं :—

"क्योंकि संसद् के दोनों सदनों ने कान्स्टीट्यूशन (थर्ड अमेंडमेंट) बिल, १९५४ को पारित कर दिया है, जिसके द्वारा भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची ३ की मद ३३ में, जो उन उद्योगों में व्यापार और वाणिज्य तथा उनके उत्पादन, सम्भरण और वितरण से सम्बन्धित है जिनका संघ द्वारा नियंत्रण संसद् से विधि द्वारा लोकहित में इष्टकर घोषित किया गया है, संशोधन करने का प्रस्ताव है :

और क्योंकि संविधान के अनुच्छेद ३६८ के प्रतिबन्ध के अनुसार यह आवश्यक है कि यदि ऐसा कोई संशोधन प्रस्तुत करना हो जिससे सातवीं अनुसूची की सूचियों में से किसी में परिवर्तन करना हो तो उसे राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिये उपस्थित किये जाने के पहले प्रथम अनुसूची के भाग (क) और (ख) में उल्लिखित राज्यों में से कम से कम आधों के विधान मंडलों से पारित संकल्पों द्वारा उसका अनुसमर्थन हो :

यह सदन संसद् के दोनों सदनों द्वारा पारित कांस्टीट्यूशन (थर्ड अमेंडमेंट) बिल १९५४, द्वारा संविधान की सातवीं अनुसूची ३ की मद ३३ में प्रस्तावित संशोधनों का अनुसमर्थन करता है।"

यह तो इसको जो मैंने पढ़ा इससे भी सुना मेम्बरान ने और वैसे भी मालूम होगा कि जो आर्टिकिल हमारे कांस्टीट्यूशन में कुछ इंडस्ट्रीज के ऊपर गवर्नमेंट आफ इंडिया का कन्ट्रोल रिटेन करने के मुताल्लिक है उसकी इबारत जिस तरीके से इस वक्त दी हुई थी इस कान्स्टीट्यूशन में उसमें इतनी तफसील नहीं थी जितनी कि इस तरमीम के जरिये से आ रही है। तो उसकी इबारत को मैं पढ़कर सुना देता हूं।

"33. Trade and commerce in, and the production, supply and distribution of the products of industries where the control of such industries by the Union is declared by Parliament by law to be expedient in the public interests.'

इतनी थी। यह अब जो यह बनने जा रही है जैसी इसमें लिखी है यह हो जायगी—

"33. Trade and commerce in, and the production, supply and distribution of,—

(a) the products of any industry the control of which by the Union is declared by Parliament by law to be expedient in the public interest, and imported goods of the same kind as such products;
(b) foodstuffs, including edible oilseeds and oils;
(c) cattle fodder, including oilcakes and other concentrates;
(d) raw cotton, whether ginned or unginned, and cotton seed, and
(e) raw jute."

इसकी किताब पहले हाउस में टेबिल पर रखी गयी थी और उसमें जो स्टेटमेंट आफ आबजेक्ट्स एण्ड रीजन्स है उसकी वजह भी इसमें लिखी हुई है, कि क्यों यह संशोधन किया जा रहा है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तो इस किस्म की पावर पहले से तो थी गवर्नमेंट आफ इंडिया के पास इस ३३ नम्बर के आइटम के मातहत .....

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---सुनाई नहीं दे रहा है।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---वह तो कुछ उस तरफ का कसूर है। मेरी समझ में नहीं आया कि इस तरफ के लोग तो मुझे सुन रहे होंगे और उधर के नहीं सुन रहे हैं उस दिन तो मुझे सुन रहे थे।

श्री गेंदासिंह---उस दिन तो हम लोग भी सुन ही रहे थे।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---इत्तफ़ाक से आवाज गई होगी।

श्री अध्यक्ष---कुछ आवाज तो जरूर धीमी है।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---इस लाउड स्पीकर के सामने तो जरा भी तेज बोलने की जरूरत नहीं होती है। इसके जरिये से तो आवाज तमाम में फैलती है, सबके कानों तक फैलती है। मैं यह बतला रहा था कि सातवीं अनुसूची जो हमारे कांस्टीट्यूशन की, हमारे संविधान की है उसमें इंडस्ट्रीज के मुताल्लिक जो आइटम नम्बर ३३ में लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट आफ इंडिया को पावर रहेगी कुछ इंडस्ट्रीज के प्रोडक्शन और उसकी सप्लाई और डिस्ट्रिब्यूशन के मुताल्लिक उसमें पहले कोई स्पेसीफिकेशन नहीं थे कि फलां फलां चीजें उसमें शामिल की जायंगी, या क्या होगा। उसके बजाय अब इस तरमीम में इन चीजों को जो कि एसेंशियल चीजें समझी जाती हैं इंसान की जिन्दगी के वास्ते, इनको गवर्नमेंट आफ इंडिया के मातहत रखा जा रहा है कि इनके मुताल्लिक लेजिस्लेशन वगैरह करने का हक अब पार्लियामेंट को रहेगा और अब तक यहां जो हो सकता था वह अब इसके बनने के बाद नहीं होगा। तो ऐसी तरमीम जो होती है वह स्टेट्स की रजामन्दी से की जाती है। तो यह अमेंडमेंट यहां पर इसलिये आया हुआ है कि उन्होंने यह मंजूर कर लिया है और हम भी इस अमेंडमेंट को जो इसमें किया गया है, मंजूर करते हैं और हम भी उससे इत्तफाक करते हैं। हमारे इत्तफाक करने की वजह यह है कि चूंकि मौजूदा हालात में उन एसेंशियल गुड्स के मुताल्लिक जो कि उसमें हैं और उनको पैदा करने वाली जो इंडस्ट्रीज हैं उनके आमतौर पर कंट्रोल की जरूरत रहती है और वह आल इंडिया मामला होता है अपने नेचर में जिसकी वजह से उसको करना पड़ता है। इसलिये इस पावर का उनके पास रहना कुछ गलत या बेजा बात नहीं। लिहाजा हम अपनी रजामन्दी से उनको यह अख्तियार देते हैं कि जो वह इस कांस्टीट्यूशन में इस अमेंडमेंट से ले रहे हैं, हम भी उससे इत्तफाक करते हैं। सिर्फ इतनी सी बात है। अगर किसी साहब को कुछ और बात मालूम करनी होगी तो मैं और अर्ज कर दूंगा। बस और इससे ज्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता। बहुत छोटी सी बात है।

*श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तावित संकल्प में निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं :---

"संकल्प के प्रथम दोनों पैराग्राफ निकाल दिये जायं।

तृतीय पैरा के शब्द 'करता है' के स्थान पर 'करना उचित न समझते हुए यह सिफारिश करता है कि संविधान की धारा ३६८ के कर्तत्व को ५ वर्ष के लिये और बढ़ा दिया जाय।' रख दिया जाय।"

श्रीमन्, आज जो यह संकल्प संविधान की धारा ३६८ के अनुसार माननीय वित्त मंत्री जी ने इस सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया है यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण संकल्प है। यह संकल्प

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

इसलिये महत्वपूर्ण है कि चूंकि यह हमारे संविधान की एक महत्वपूर्ण धारा को संशोधित करना चाहता है ।

आप जानते हैं श्रीमन्, कि किसी भी देश के संविधान को बदलने की आवश्यकता बहुत ही कम पड़ा करती है। संयुक्त राज्य अमेरिका का विधान जिसको कि बने हुए डेढ़ शताब्दी हो गयी अभी तक केवल २१ संशोधन उसमें हुए हैं। वह भी एक फेडरल कांस्टीट्यूशन है, संघीय विधान है। लेकिन डेढ़ सौ वर्ष में केवल २१ संशोधन उसमें हुए तो अगर आज इस संकल्प द्वारा हम केवल ४ साल के ही भीतर अपने संविधान में तीसरा संशोधन करने जा रहे हैं तो आज इस सदन के लिये और हम सभी के लिये एक महत्व की बात है। श्रीमन्, आखिर यह संकल्प हमसे क्या कहता है। इस संकल्प के द्वारा हम अपने इस राज्य के बहुत से अधिकारों को केन्द्र को देने जा रहे हैं। श्रीमन्, आप जानते हैं कि इस संकल्प में जिस संविधान के स्वीकृत होने की बात की गयी है उसमें पांच उसके हिस्से किये गये हैं। पहली बात तो यह है कि किसी भी उद्योग-धंधे के उत्पादन के सिलसिले में, पार्लियामेंट जिस पर कानून बनाना उचित समझती हो और विदेश से आने वाले माल के सम्बन्ध में खाने पीने के सामान चाहे किसी प्रकार के सीरिअल्स ही क्यों न हों अनाज वगैरह उनके सम्बन्ध में, तेल के मामले में, कैटिल फौडर यानी चारे के मामले में, कपास और कच्ची जूट के मामले में हम केन्द्र को हम पूरे अधिकार देने जा रहे हैं कि वह विधान बना सके। श्रीमन्, आप यह देखेंगे कि पहले इसकी व्यवस्था संविधान की धारा ३६९ में की गयी थी। जब यह धारा इसमें रखी गई थी उस समय देश में एक बड़ी विषम परिस्थिति थी, हमारे यहां खाद्यान की बड़ी भारी कमी थी, अनाज की कमी थी और करोड़ों रुपया खर्च करके बाहर से अनाज मंगाना पड़ता था। एक ऐसे समय में जबकि हमारे यहां खाद्यस्थिति नाजुक थी उस समय भी हमारे विधान निर्माताओं ने केवल ५ साल के लिये अपने हाथ में इस बात का अधिकार लिया कि वह खाद्य स्थिति के सम्बन्ध में या औद्योगिक उत्पादन के सम्बन्ध में राज्यों को पूरा अधिकार न दें, बल्कि ५ साल के लिये ट्रांजीशनल पीरियड के लिये अपने हाथ में अधिकार लें। उस समय की कांस्टीट्यूएंट एसेम्बली की रिपोर्ट को पढ़ें तो मालूम होगा कि लगातार जो संशोधन आये कि केन्द्रीय सभा को इस बात के पूरे अधिकार लेने चाहिये कि वह खाद्यान्न के सम्बन्ध में कानून बना सके तो कांस्टीट्यूएंट एसेम्बली ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और यह कहा कि केवल ५ साल के लिये इस ताकत को लेना पर्याप्त होगा और बाद में राज्य अपने आप कानून बना सकेंगे। हमें उनके अधिकार को नहीं छीनना चाहिये। आज इससे इस सदन का अधिकार छिनता है, इस सदन के कानून बनाने का अधिकार छिनता है जिससे कि हम राज्य की खाद्य स्थिति पर स्वयं कानून बना सकते हैं।

गन्ने के दामों के सिलसिले में, चीनी के अतिरिक्त मुनाफे के सिलसिले में हमारी राज्य सरकार को कितनी दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। सरकार को कहना पड़ता है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह तो केन्द्रीय सरकार के हाथ की बात है। कल ही उद्योग मंत्री ने कहा था कि हम इस सम्बन्ध में लेजिस्लेशन नहीं बना सकते हैं। श्रीमन्, मैं तो आप से स्पष्ट कहना चाहता हूं कि आज हमने यदि इसको स्वीकार कर लिया और जो मैंने संशोधन दिया है और कम से कम उसे न माना तो निश्चय समझिये कि आने वाले वर्षों में हमारी राज्य सरकार को और विधान सभा को इसमें लगातार अड़चनें पड़ेंगी। हम इस देश की खाद्यान्न स्थिति के संबंध में, तेल की नीति तथा गुड़ की व्यवस्था के सम्बन्ध में कोई कानून बनाना चाहेंगे तो नहीं बना सकेंगे। यह कहा जा सकता है कि यह कांकरेंट लिस्ट में है लेकिन जहां यह सवाल आता है वहां राज्य कोई ऐसा विधान नहीं बना सकेगा। मिसाल के लिये ले लीजिये कि संविधान की धारा ३६९ में असेंशल सप्लाईज ऐक्ट बना हुआ है उसके अनुसार जो कांकरेंट लिस्ट में चीजें हैं उनके लिये विपरीत कोई कानून हम नहीं बना सकते हैं। हमें असेंशल सप्लाईज ऐक्ट के लिमिटेशंस के अन्दर ही कानून बनाना पड़ेगा। इसलिये मैं कहता हूं कि इससे हमारे अधिकारों का हनन होता है।

श्रीमन्, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ और आपको भी हुआ होगा। आज हमारे मंत्री जी ने अपनी राय दे दी कि इसको पास कर दिया जाय। लेकिन, श्रीमन् हमें जो परसों प्रोसीडिंग्स बंटी है मुझे यह जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ जबकि यह तीसरा संशोधन राय जानने के लिये भेजा गया तो "But State Government have no opinion to offer....." कोई राय उनकी नहीं थी। अगर राज्य सरकार की उस समय कोई राय नहीं थी तो अब हमसे यह क्यों कहा जा रहा है कि हम इसके पक्ष में राय दें। आप चुप रहिये, कोई आवश्यकता नहीं है कि हर एक राज्य इस संविधान के संशोधन को पास करे। अगर भारत के १० सदन पास कर देते हैं तो यह बिल पास हो सकता है। मैं इस सम्बन्ध में श्रीमन्, टी० टी० कृष्णमाचारी जी का पार्लियामेंट में हुआ वह बयान पढ़ना चाहता हूं जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा कि यू० पी० सरकार ने कोई राय नहीं दी है --

"To sum up the reactions of the State Governments Hyderabad, Mysore, Orissa, Rajasthan, Saurashtra, Travancore-Cochin and West Bengal have broadly, at one time or another communicated their acceptance of the proposals of the proposed amendment. Bombay is definitely against it. Bihar approves of the extension of the powers by another five years. Andhra, Madras and Madhya Bharat are considering the matter. The other Governments have no opinions to offer."

तो हमारी यू० पी० की सरकार की कोई राय इस मामले में नहीं रही और मैं इसका एक और भी अर्थ लगाता हूं अगर आप मुझे ऐसे अर्थ को लगाने की इजाजत दें कि शायद यू० पी० सरकार की कैबिनेट में या तो कोई मतभेद था इस मामले में और अगर मतभेद नहीं भी था तो कम से कम यू० पी० की सरकार इस मेजर को नहीं चाहती थी नहीं तो कोई ऐसी बात नहीं थी कि संविधान के संशोधन का मामला हो और हमारी सरकार चुप रहे।

एक बात और इस सम्बन्ध में ध्यान देने लायक है। यह जो संशोधन हो रहा है संविधान में यह कमोडिटी कंट्रोल्स कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर हो रहा है। कमोडिटी कंट्रोल्स कमेटी इस बारे में विचार करने के लिये बनायी गयी थी कि राज्यों और केन्द्र की कंट्रोल प्रणालियों में किस प्रकार कोआर्डिनेशन हो और उस कमोडिटी कंट्रोल्स कमेटी में जिसकी राय के अनुसार यह संशोधन किया जा रहा है हमारी स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी नुमायन्दा नहीं था। बतायें मंत्री जी कि कौन था। चार सेक्रेटरीज़ की वह कमेटी थी और उसमें हमारी यू० पी० गवर्नमेंट का या किसी भी राज्य सरकार का कोई प्रतिनिधि नहीं था। उस कमेटी की राय को आज हमारे ऊपर लादा जा रहा है और श्रीमन्, जिन राज्य सरकारों ने राय दी भी है वे कितनी कम हैं। आसाम, बिहार, ट्रावनकोर-कोचीन और बम्बई, इन चार राज्यों ने तो इस संशोधन का बिलकुल विरोध किया है। यू० पी०, आन्ध्र, मैसूर, मद्रास और मध्यप्रदेश इन पांच राज्यों ने कोई राय जाहिर नहीं की है। केवल पांच राज्यों ने इसके पक्ष में राय दी है जिनकी आबादी हिन्दुस्तान की आबादी की चौथाई के लगभग है। तो इससे यह अन्दाज लगाया जा सकता है कि स्वयं राज्य सरकारें इस संशोधन के बारे में क्या राय रखती हैं।

श्रीमन्, मैं आपका ध्यान विधान की धारा २४९ की तरफ दिलाना चाहता हूं, जिसमें राज्य सभा को यह अधिकार दिया गया है कि अगर वह अपने दो-तिहाई बहुमत से इस प्रस्ताव को पास कर देती है तो स्टेट लिस्ट में भी जो बातें लिखी गयी हैं उनके बारे में भी पार्लियामेंट लेजिस्लेट कर सकती है, तो वह दो-तिहाई बहुमत से राज्य सभा का पास किया हुआ संशोधन किसी भी राज्य के ऊपर लागू होगा। तो जब हमारे विधान की धारा २४९ के अनुसार राज्य सभा को और पार्लियामेंट को पहले से ही ताकत है कि हमारी स्टेट लिस्ट के अनुसार विधान बना सकते हैं फिर इस संशोधन की क्या आवश्यकता है? फिर भी अगर यह माना जाता है कि केन्द्र को कुछ ऐसी ताकत मिलनी चाहिए तो मैं कहूंगा कि इस सम्बन्ध में मेरा संशोधन पर्याप्त है। मेरा संशोधन कहता है कि

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

शिडयूल ७ की लिस्ट ३ की मद ३३ को संशोधित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बल्कि संविधान की धारा ३६९ को पांच साल के लिए और बढ़ा दिया जाय तो काम निकल सकता है। मैं आपकी आज्ञा से संविधान की धारा ३६९ पढ़ना चाहता हूं। यह प्रोसीडिंग्ज चूंकि अंग्रेजी में बांटी गयी हैं, इसलिए मैं अंग्रेजी में संविधान की पुस्तक यहां पर लाया हूं। उसको आपकी आज्ञा से पढ़ना चाहता हूं —

"Notwithstanding anything in this Constitution, Parliament shall, during period of five years from the Commencement of this constitution, have power to make laws with respect to the following matters as if they were enumerated in the Concurrent List, namely:—

(a) trade and commerce within a State, and the production, supply and distribution of cotton and woollen textiles, raw cotton (including ginned cotton and unginned cotton or KAPAS, cotton seed), paper (including newsprint), food stuffs (including edible oilseeds and oil), cattle fodder (including oil-cakes and other concentrates), coal (including coke and derivatives of coal), iron, steel and mica;

(b) offences againt laws with respect to any of the matters mentioned in clause (a), jurisdiction and powers of all courts except the Supreme Court with respect to any of those matters, and fees in respect of any of those matters but not including fees taken in any court;"

यह संविधान की धारा ३६९ है इसमें यही ताकतें, जो संशोधन में मांगी गयी हैं, पांच साल के लिए पहले से पार्लियामेंट को थीं, आने वाली जनवरी, १९५५ तक। अगर मेरा संशोधन स्वीकार कर लिया जाता है तो इसका अर्थ यह होगा कि पार्लियामेंट को धारा ३६९ के अनुसार केवल पांच साल के लिए और अधिकार होगा कि आवश्यकता पड़ने पर इसेंशल सप्लाईज़ ऐक्ट जैसे लेजिस्लेशन को वह जारी रख सकती है। लेकिन अगर हम स्थायी रूप से इसको विधान का अंग बना देंगे तो यह हमारे फेडरल कांस्टीटयूशन के खिलाफ होगा। संघीय विधान का पूर्णतया अर्थ भारत की स्थिति में एक विकेन्द्रित राज्य है। अगर हम अपने राज्य के विधान सम्बन्धी अधिकारों को लगातार केन्द्र को देते जायंगे तो हमको नित्यप्रति के शासन में और जनता को न्याय देने में भी दिक्कतें हो सकती हैं। तो फिर डिस्ट्रिब्यूशन आफ पावर किस प्रकार से होना चाहिए। मुझे बड़ा दुःख होता है कि जब से विधान प्रयुक्त होता चला आ रहा है तब से लगातार एक टेंडेंसी रही है हमारे राज्य की, उनका एक दृष्टिकोण रहा है कि केन्द्र को अधिक से अधिक शक्ति दो, शक्ति को विकेन्द्रित न करो, बल्कि केन्द्रित करो। यह ठीक है कि प्लांड इकानोमी में केन्द्र को वह शक्तियां देनी पड़ती हैं। लेकिन उस नियोजन केन्द्र का अर्थ यह हो कि केन्द्र टर्म्स को डिक्टेट करे तो इससे काम चलने वाला नहीं है। यह तो परस्पर सहयोग और कोआर्डिनेशन की स्थिति होनी चाहिए, तभी कोई डिस्ट्रिब्यूशन आफ पावर ठीक हो सकता है। गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट, ३५ को देखा जाय तो उसमें भी जो कि इम्पीरियलिस्ट कांस्टिटयूशन था उसके शेडयूल में भी ये ताकतें नहीं थीं केन्द्र के हाथ में जिनको आज आप दे रहे हैं तो श्रीमन्, मैं बड़े अदब के साथ सरकार से कहना चाहता हूं कि सरकार इस प्रश्न पर पुनः विचार करे और यह जो संकल्प सदन की ओर से आया है इसको या तो वापस ले लिया जाय और यदि वापस नहीं लिया जाता तो बिहार सरकार ने जो बुद्धिमत्ता का कार्य किया और वही सिफारिश की जो मैंने आज की उसे ही हमें सिफारिश करना चाहिये। अगर हम पूर्णतया विरोध नहीं करना चाहते तो हम केवल ५ साल

के लिये मौका और दें जिसके अनुसार हमारी राज्य सरकार कार्य सम्पन्न करेगी और हमको जो रोजमर्रा दिक्कतें होती हैं उनको वह निभा सकें।

इस सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान उस मिनिट आफ डिसेंट की ओर भी ले जाना चाहूंगा जिसकी ओर हमारी लोक सभा के विद्वान जनों ने भी संकेत किया। आप पेज १०५ पर प्रोसीडिंग को देखिये।

"After giving our careful consideration to the weight of observations of Ministers in the Joint Committee as also the considered views of the different State Governments, we feel that, if necessary, the Government of Bihar's proposal may be accepted."

इस सम्बन्ध में देश के जो प्रमुख कानूनवेत्ता हैं उनकी भी राय इस संशोधन के साथ है। इस सम्बन्ध में एक नये डाक्टरिन का प्रतिपादन किया गया। लोकसभा और राज्य सभा में बड़े बड़े वित्त वेत्ताओं ने कहा, केन्द्र यह कहता है कि यह आपके क्षेत्र के बाहर है, लगातार राज्य सरकारों से यह कहा जाता है तो मैं राज्य सरकारों से यह कहूंगा कि जब हमारे सामने रुकावटें पड़ती हैं, हमारे अधिकार क्षेत्र से यह बाहर है तो उस अधिकार को हम स्वयं क्यों देने जा रहे हैं। मुझे वह समय याद आता है जब आगरा यूनीवर्सिटी ऐक्ट के समय विवाद हो रहा था तो मैंने प्वाइंट आफ आर्डर उठाया था कि हमारे यह अधिकार क्षेत्र के बाहर है। उस समय माननीय मुख्य मंत्री ने बड़ी विवादपूर्ण उक्ति में कहा था कभी भी राज्य को यह नहीं चाहिये कि वह अपनी ताकत खुद खत्म करने के लिये कहे। आज मैं वही बात माननीय वित्त मंत्री से पूछना चाहता हूं कि उन्हें क्या हुआ है? आज आप यह क्यों चाहते हैं कि राज्य की ताकत खत्म हो? आप यह प्रस्ताव हमारे सामने क्यों लाये हैं, आपको इसे वापस लेना चाहिये। माननीय मंत्री जी अगर राज्य की विधायक शक्ति को कुछ लिमिटेड करना चाहते हैं या वैसे ही कायम रखना चाहते हैं तो जिस प्रकार उन्होंने ला मिनिस्ट्री को कोई राय नहीं दी उसी प्रकार इस सदन को भी कोई राय न दें, पार्टी को फ्री वोट पर छोड़ दें और मैं दावे के साथ कहता हूं कि यह सदन अगर इस संकल्प को पास करना उचित समझेगा तो मेरे संकल्प को स्वीकार करेगा और केवल ५ साल के लिये पार्लियामेंट को और अधिकार दिया जायगा, ताकि वह एसेन्शियल सप्लाईज ऐक्ट को जारी रख सके और फूडस्टफ के बारे में कोई कानून बना सके।

श्री अध्यक्ष—वैसे संशोधन के वाक्यों से पता नहीं लग रहा था। आप चाहते थे कि पहले दो पैरे हट जायं और तीसरे में संशोधन किया जाय। लेकिन संविधान में यह दिया हुआ है कि अगर लोक सभा कोई ऐसा ऐक्ट पास कर दे तो इस सदन को सिर्फ इस बात का अधिकार है कि उसे वह रेटिफाई करे या न करे। लेकिन यह सुझाव इस सदन में देना कि यह बात की जाय या अमुक बात की जाय, इस तरह की बात कोई संशोधन में नहीं आ सकती है। इस संशोधन के बारे में आप वैधानिकता को बतलावें कि किस प्रकार से यह वैधानिक है क्योंकि यह तो बिल्कुल विरोध में जाता है। आप इसको रैटिफाइ नहीं कर रहे हैं। आपने कहा कि अमुक बात अनुचित है और अमुक उचित नहीं मानना चाहिये। इस प्रकार की सिफारिश आप अपने संशोधन में करते हैं और वह विधेयक जिसका रैटिफिकेशन होना या न होने ही का प्रश्न केवल सामने विचारार्थ है तो फिर इस प्रकार की सिफारिश का भी अधिकार संविधान के अनुसार आपको नहीं है। इस सरकार से केवल राय पूछी गयी है कि उसे ड्राफ्ट स्वीकृत है या नहीं और विधेयक के मसविदे को सुधारने का प्रश्न इस समय सदन के सामने नहीं है। तो आप किस तरह से अपने संशोधन को वैधानिक समझते हैं?

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं यह समझ रहा था कि चूंकि विधान का प्रश्न नहीं उठाया इस लिये यह स्वीकार कर लिया। लेकिन आखिर में इस प्रश्न को उठाया गया। मैं आपसे यह निवेदन करूं कि अगर कांस्टीटचूशन में रैटिफिकेशन की शब्दावली को देखा जाय तो यह संशोधन स्वीकृत हो सकता है लेकिन लिबरल इन्टरप्रिटेशन की बात है। मैं आपकी आज्ञा से ३६८ के आखरी हिस्से को पढ़ देना चाहता हूं :—

"Provided that if such amendment seeks to make any change in (a), (b) (c), (d),(e) the amendment shall also require to be ratified by the Legislature of not less than one-half of the States specified in Parts A and B of the First Schedule by resolutions to that effect".

आपने शब्द "रैटिफिशेन' को महत्व दिया है और मैं शब्द "रेज़ोलूशन" को महत्व देता हूं। अपनी नियमावली को भी मैंने देखा तो अपनी नियमावली के नियम ८२ की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अगर खाली रैटिफिकेशन की बात होती तब तो मैं संशोधन नहीं देता लेकिन चूंकि इसके अन्दर संकल्प के द्वारा यह चीज करने की बात कही गयी है तो उसके लिये हमको अपनी नियमावली को देखना पड़ेगा तो नियम ८२ के अनुसार संशोधन यह हो सकता है क्योंकि वह संशोधन के बारे में ही है। उसको भी मैं पढ़ देना चाहता हूं :—

"When a resolution is under discussion any member may subject to the rules relating to resolutions, move an amendment to such resolution".

श्री अध्यक्ष—यह ठीक है लेकिन यह निगेटिव करता है। आप दूसरी धारा में संशोधन चाहते हैं और पहली इस धारा में नहीं चाहते हैं तो वह ३६८ के अनुसार संशोधन नहीं हो सकता है। आप चाहते हैं कि ३६९ के मुताबिक इसमें ऐसा संशोधन कर लिया जाय यह आपका सुझाव है जो बिल्कुल दूसरी चीज हो गयी है। अब सवाल इस बात का उपस्थित होता है कि आप स्वयं इस प्रकार का रेज़ोल्यूशन कर सकते हैं या नहीं। अगर आपका स्वयं का रेज़ोल्यूशन होता तो मैं उसको मान लेता लेकिन आप तो उपस्थित प्रस्ताव को निगेटिव कर रहे हैं। यहां पर संकल्प तो इस बात का है कि इस बात को हम रैटिफाई करते हैं। इसके अन्दर आपका संशोधन चस्पां नहीं हो सकता है। इसलिये जो आपने कहा मैंने उसको सुन लिया और मैं उसका इतना लिबरल इन्टरप्रिटेशन करने के लिये तैयार नहीं हूं कि कोई इस प्रकार के संशोधन का सवाल पैदा होने दूं। अगर इसी सदन का कोई विधेयक विचारार्थ होता तो उसके लिये दूसरी बात थी। उसके लिये कोई सुझाव हो सकता था लेकिन यह तो संविधान के अनुसार बात उपस्थित है कि लोक सभा के विधेयक के मसविदे को यह सदन रेटीफाई करता है यही संकल्प है। इसलिये मैं ऐसे संशोधन को जो उस संकल्प को केवल निगेटिव करता हो उसको उपस्थित करने की अनुमति देने लिये तैयार नहीं हूं। मैं इसको अवैध करार देता हूं हालांकि आपका भाषण जो विरोध में होना चाहिये था, वह हो गया। मैंने आपको टोका नहीं है और आपका भाषण केवल विरोध में समझा जायगा और यह संशोधन के रूप में नहीं समझा जायगा।

*महाराजकुमार बालेन्दुशाह (जिला टेहरी-गढ़वाल)—अध्यक्ष महोदय, देखने में यह एक साधारण सा प्रस्ताव है। यह कौन कह सकता है कि हमारे भारतवर्ष सरीखे देश में कोई भी ऐसी वस्तु न होगी जिसके सम्बन्ध में प्रदेश-प्रदेश की सरकारों में विभिन्न रायें हों और इसे ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक हो जाता है। क्योंकि कुछ वस्तुयें ऐसी हैं जिनके ऊपर नियन्त्रण केन्द्र द्वारा किया जाय बनिस्बत विभिन्न प्रादेशिक सरकारों द्वारा। यह मानते हुये भी मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि हम किसी

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भी रूपसे अपनी मानी हुई बातों को यकायक ठुकरा दें या किसी भी रूप में जिस दृष्टिकोण से हमारा संविधान बना उसको आज भुलाकर, उसका आज एक प्रकार से तिरस्कार कर के, पूरे संविधान की रूपरेखा को बदलने की कोशिश करें। अध्यक्ष महोदय, बात सरल है और हमको इस बात का निर्णय करना है कि क्या हम अपनी केन्द्रीय सरकार के अधिकार बढ़ाना चाहते हैं या अपनी विभिन्न प्रादेशिक सरकारों के हाथ में अधिकार देना चाहते हैं। डेलीगेशन आफ अथारिटी, डेलीगेशन आफ प्राविंशियल अथारिटी को हम पूर्णरूप से मानने को तैयार हैं या नहीं, यह हमारे सामने प्रश्न है। कुछ वस्तुयें जो कि ऐसेंशियल कमोडिटीज गिनी गई हैं उनके सिलसिले में कुछ देर तक केन्द्रीय सरकार को अधिकार देना उचित होगा। इन वस्तुओं में अभी तक कुछ और भी चीजें ऐसी हैं जिनका नियंत्रण केन्द्रीय सरकार करती है, जिनके सम्बन्ध में कानून केन्द्रीय सरकार द्वारा बनते हैं। आज एक परिस्थिति उत्पन्न हुई। मंत्री महोदय ने बतलाया कि कुछ समय तक यह आवश्यक प्रतीत होता है कि केन्द्रीय सरकार इनके ऊपर कानून बनावे बनिस्बत हमारी प्रादेशिक सरकारों के। यह बात मैं मानने के लिये तैयार हूं और इस बात को मानते हुये और अपनी पहली बात को याद रखते हुये इसे मानने से यह मतलब न निकाला जाय कि हम अपनी विचारधारा पूरी बदल दें। यदि ५ साल के बाद और इसे बढ़ाना आवश्यक हो, जैसा कि हमारी सरकार बारम्बार करती है, और हो सकता है कि हमेशा के लिये उन्हीं को कानून बनाने का अधिकार दे दिया जाय, मैं समझता हूं कि न यह उचित है और न आवश्यक है।

अध्यक्ष महोदय, संविधान का संशोधन होना उचित या अनुचित है, इस बारे में यहां इस समय अधिक बोलना उचित न होगा। हमारे संविधान के बहुत से अंग हैं फिर भी इस सम्बन्ध में मैं अपनी प्रादेशिक सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार को यह कहलवाना चाहूंगा कि यह बड़ी ग़लत भावना है कि हम जब चाहें, यह मैं मानता हूं कि बहुमत का बोलबाला है और जो वह कहे वह वास्तव में सही माना जाना चाहिये—संविधान को जैसे चाहें बदल दें। आखिर जब संविधान बना था उस समय भी बहुमत का लिहाज रहा। मैं यह नहीं देख पाता कि उस समय में और आज क्या ऐसी सैद्धान्तिक बातें उत्पन्न हुई हैं कि हमारा मत एकाएक दूसरे रास्ते में पहुंच गया। मैं तो यह नहीं कहूंगा कि पाकिस्तान सरीखा एक पूरा युनिट बनावें बल्कि मैं यह कहूंगा कि यह सोचकर कि यहां भी कांग्रेस सरकार और वहां केन्द्र में भी कांग्रेस सरकार है। हमारी प्रान्तीय सरकार को इतना भरोसा नहीं रखना चाहिये और शनैः शनैः अपने अधिकारों को केन्द्र को न देते जाना चाहिये। हमारी चेष्टा तो यह होनी चाहिये कि अथारिटी और एकोनोमी की पावर्स का डेलीगेशन शनैः शनैः नीचे की ओर होना चाहिये, यानी सेण्टर से प्राविंसेज, प्राविंसेज से डिस्ट्रिक्ट और वहां से पंचायतों की ओर होना चाहिये न कि इस दिशा में होना चाहिये, जैसा कि हम इस संकल्प के द्वारा कर रहे हैं। अन्त में अधिक न कह कर मैं सदन से इतनी ही प्रार्थना करूंगा कि यही सिफारिश करे कि हम जिस रूप में प्रस्ताव सदन के सामने रक्खा है उसको अस्वीकार करते हैं और यह सिफारिश करते हैं कि इस प्रस्ताव के भाव को फिलहाल आवश्यक समझ कर यह सदन सिफारिश करता है कि इस अधिकार को ५ साल के लिये और ले लिया जाय और पांच साल के बाद जो स्थिति पैदा होगी, जो वातावरण होगा, उस समय जो उचित समझा जाय वह किया जाय।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी-अभी मैंने माननीय नारायण दत्त जी तिवारी के व्याख्यान को बड़े ध्यान से सुना और गम्भीरता-पूर्वक उस पर विचार करता रहा कि आपकी बातों में कितना वेट है, कितनी बातें

[श्री सीताराम शुक्ल]

उसमें मानने के योग्य हैं और कितनी न मानने के। काफी विचार करने के बाद भी बदकिस्मती से उनकी कोई भी बात मेरी समझ में नहीं आयी। बड़े जोरदार शब्दों में आपने अपने केस को पुटअप किया है कि प्रान्त के अधिकारों को छीनकर केन्द्र को दिया जा रहा है। एक जमाना था जब कि हम देखते थे कि मुस्लिम लीगी यह कहते थे कि पावर्स केन्द्र के पास न होकर प्रान्त के पास हों। मीटिंग्स में बड़े जोरों के साथ कहा जाता था और इस बात को बड़ी कोशिशें होती थीं, लेकिन अब जब पाकिस्तान बन गया है तो वही लोग जो इस बात को बड़े जोरों के साथ कहते थे अब कहते हैं कि पाकिस्तान के केवल दो भाग होने चाहिये और जो सूबे हैं वे तोड़ दिये जायं। इस वक्त अगर केन्द्र में विदेशी सरकार होती और सूबों में कांग्रेसी सरकार होती और उस वक्त यह प्रस्ताव आता तो मैं अवश्य इसका समर्थन करता। लेकिन जब यहां भी अपनी सरकार है और केन्द्र में भी अपनी सरकार है, वहां भी वयस्क मताधिकार के अनुसार लोग चुन कर गये हैं तो फिर यह कहना कि अगर वहां शक्ति चली जायगी तो पब्लिक का नुकसान होगा और यहां शक्ति रहेगी तो पब्लिक को फायदा होगा यह ठीक नहीं है। अगर हमारा देश छोटा होता तो एक केन्द्रीय पार्लियामेंट से ही काम चल सकता था लेकिन चूंकि हमारा मुल्क बहुत बड़ा है, ज्यादा लोगों की बातों को हमें सुनना है इसलिये प्रान्तीय सरकार और प्रान्त में असेम्बली बनाने की आवश्यकता हुई कि जिससे अधिक अच्छा प्रबन्ध हो सके। इसलिये जो घबराहट हमारे लायक दोस्त को है कि शक्ति वहां जाने से नुकसान होगा, बिल्कुल बेकार है। इससे कोई नुकसान नहीं होगा। वहां भी सोशलिस्ट साहबान हैं, कम्युनिस्ट साहबान हैं और कांग्रेसी साहबान हैं। कांग्रेसी साहबान मेजारिटी में हैं इसलिये उनके प्वायंट आफ व्यू से भी यह नहीं कहा जा सकता है कि इससे नुकसान है और आपके प्वायंट आफ व्यू से भी यह नहीं कहा जा सकता क्योंकि वहां भी विरोधी पार्टी है। आपके प्वायंट आफ व्यू से भी वहां शक्ति जाय तो अच्छा है, क्योंकि यहां पर तो वहां से आपकी तादाद बहुत कम है। तो मेरी प्रार्थना है कि आपके प्वायंट आफ व्यू से और कांग्रेस के प्वायंट आफ व्यू से भी इस पर काफी गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये। कुछ परिस्थिति ऐसी हो सकती है कि इन चीजों पर केन्द्र को ही अधिकार दिया जाय। एक चीज यह फरमायी गयी कि कुछ असेम्बलीज ने इसका विरोध किया है, कुछ ने अपनी राय ही नहीं दी है और यू० पी० के लिये भी तिवारी जी ने फरमाया कि यू० पी० ने कोई राय नहीं दी है। अगर कल कोई अपनी राय न दे तो उसके लिये यह लाजिमी नहीं है कि वह आज भी अपनी राय नहीं दे सकता। हो सकता है कि कल राय देना जरूरी न समझा गया हो तो आज भी वह अपनी कोई राय न कायम करे तो यह ग़लत होगा। मेरी प्रार्थना है कि अगर हम ठीक समझते हैं कि शक्ति देने से नुकसान नहीं होगा तो हमें शक्ति देने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिये।

जनाबवाला, अब तो रेल, तार, हवाई जहाज और टेलीफोन के जरिये सारा संसार एक होने जा रहा है। जो बात कुछ रोज पहले जायज थी, अब साधन इकट्ठा हो जाने से गलत हो सकती है तो उसको बदलना पड़ेगा। इसलिये आज आवश्यकता है कि केन्द्र को शक्ति अधिक से अधिक दी जाय। मान लीजिये दर्जा ४ का इम्तहान होता है तो वहां भी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीन ही आदमी आते हैं, इन्ट्रेंस की परीक्षा में भी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीन ही आदमी आते हैं, इसी तरह से एम० ए० में भी तीन ही आदमी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड आते हैं। इसी तरह से तहसील से जिले में, जिले से प्रान्त में और प्रान्त से केन्द्र में ऊपर जाते-जाते फर्स्ट क्लास आदमी ही रहेंगे। इसलिये हम तो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा शक्ति केन्द्रित हो। यह बात हिन्दुस्तान ही नहीं बल्कि सारे संसार के लिये है। अच्छे आदमी कम तादाद में होते हैं और फर्स्ट कम

ही आते हैं, जिनके हाथ में शक्ति केन्द्रित होगी। इसलिये मैं अदब के साथ अर्ज करूंगा कि अच्छे आदमियों के हाथ में शक्ति जाने से कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि फायदा ही होगा। इसलिये मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा) माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह तो अवश्य महसूस करता हूं, जैसा आपने भी कहा कि यह सदन सिर्फ जो अमेंडमेंट हुआ है कांस्टीटचूशन में, उसी को या तो रेटिफाई करे या रिजेक्ट करे। लेकिन जब मैं माननीय शुक्ल जी को सुन रहा था तो मैं सोच रहा था कि कहीं हमारी बदकिस्मती से उस वक्त उस कांस्टीटुएंट एसेम्बली में भी माननीय शुक्ल जी होते तो इस प्रदेश का क्या हाल होता, इसका कुछ पता नहीं। अच्छा हुआ कि ये उस वक्त वहां नहीं थे। अध्यक्ष महोदय, ये साफ कहते हैं कि हमारी पालिसी सेंट्रलाइजेशन की है और यह सोच रहा था कि मिनिस्टीरियल बेंच पर बैठने से उसका असर तो कहीं इनके ऊपर नहीं पड़ गया? उनका यह कहना है कि सारी पावर केन्द्र के हाथ में होनी चाहिये। यहां भी अपनी गवर्नमेंट है, सेंटर में भी अपनी गवर्नमेंट है इसलिये हमको इस बात का कोई खतरा तो होना ही नहीं चाहिये कि कोई सबजेक्ट चाहे यहां रहे, चाहे वहां रहे। अध्यक्ष महोदय, अगर उनकी राय मान ली जाय तो फिर यह जो साल भर एसेम्बली बैठी रहती है और करोड़ों रुपया जनता का खर्च होता है और लेजिस्लेशन बनाया जाता है इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाय। क्योंकि जब कानून बनाने की पावर सेंटर के हाथ में रहेगी तो फिर इसकी क्या जरूरत है? हम तो साफ कहते हैं कि हम डिसेंट्रलाइजेशन की पालिसी में विश्वास करते हैं और समझते हैं कि हम अपने प्रान्तों के अन्दर जहां तक भी हो सके अपना कानून बनावें और जितने ज्यादा हक़ मिल सकें उन्हें हासिल करने की कोशिश करनी चाहिये और हम तो यहां तक कि डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स तक को और ज्यादा पावर्स देना चाहते हैं और उन्हें पावरफुल बनाना चाहते हैं। उसका फल भला-बुरा कुछ भी हो, लेकिन हम उसी उद्देश्य को लेकर चलना चाहते हैं। जब हमारा संविधान बना था उस समय भी बहुत लम्बा चौड़ा विचार इस पर किया गया था कि कौन से सबजेक्ट स्टेट्स के रहें और कौन से सेन्टर के रहें, और कौन से कानकरेंट रहें, इस पर काफी बहस और विचार उस समय हुआ था और उस समय कांस्टीटुएन्ट एसेम्बली में इस प्रदेश के मुख्य मंत्री भी मौजूद थे और वह भी चाहते थे कि स्टेट सबजेक्ट ज्यादा हों। लेकिन आज के भाषण को सुनकर मुझे बहुत दुःख हुआ, वह कह सकते थे कि इस समय एमर्जेंसी आ गई है, अब ५ साल खत्म हो रहे हैं और कुछ काम नहीं हो सका है और कुछ ठीक व्यवस्था नहीं हो सकी है जिसकी वजह से कुछ साल के लिये इस किस्म की पावर्स दी जा रही हैं। जैसा कि प्रस्ताव माननीय नारायणदत्त जी ने दिया था वह ठीक है क्योंकि हमें रेटिफाई करने का हक नहीं है, इसलिये बेहतर यही होता कि ५ साल के लिये हम मियाद रख कर ऐसा कर लेते बजाय इसके कि हम सेंटर लिस्ट में इस तरह से तब्दीली करें। पर आज क्योंकि हमारी मेजारिटी भी नहीं है और न हम रिजेक्ट ही कर सकते हैं वर्ना हम कुछ कारणों के साथ इसको रिजेक्ट कर सकते थे। अगर सेंट्रल पार्लियामेंट के सामने हमारी बातों को रखा जाता तो पार्लियामेंट भी मजबूर हो जाती और इस तरह का संशोधन न आता। अगर आप देखें तो मालूम होगा कि हमारे गांव में केन का प्रोडक्शन और काटन का प्रोडक्शन बढ़ा है और हमारे फूड मिनिस्टर साहब कह चुके हैं कि हम अब फूड में सेल्फ सफीशेंट हो चुके हैं। इन हालतों में तो हमें यहां पर और भी अधिक हकूक मिलने चाहिये थे, स्टेट को हर प्रकार का लेजिस्लेशन लाने का अधिकार होना चाहिये था बजाय इसके कि जो पावर्स थीं कि जिनका वह इस्तेमाल नहीं कर सकें वह भी सेन्टर को दे दी जायं। इन शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि इसको रेटिफाई न किया जाय।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से इस संशोधन का समर्थन करना चाहता हूं। मैंने सदन में बैठे-बैठे माननीय नारायणदत्त जी को सुना।

श्री अध्यक्ष—संशोधन अब कोई सामने नहीं है, नारायणदत्त जी का जो था वह अवैध हो गया।

श्री शिवनारायण—मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और श्री नारायण दत्त जी का विरोध करता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि आज देश में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, सेंटर में भी डेमोक्रेटिक गवनमेंट है, यू० पी० में भी है और हमने जिलों को भी उसमें पावर दे रखी है है जैसा कि उपाध्याय जी ने कहा। यह गवर्नमेंट किसी की शक्ति में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती।

मैं निवेदन करूं कि हमको रुई की जरूरत होती ह और बहुत सी चीजें जिन्हें हम स्वयं उत्पन्न नहीं कर पाते हैं जिसके कारण ही आज नारा लगता है कि पूर्वी जिले भूखों मर रहे हैं। यही बात है कि इस कमी को पूरा करने के लिये आज हम सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देना चाहते हैं उसमें कोई अनुचित बात नहीं है। कानकरेंट लिस्ट ज्यों की त्यों है उसमें कोई विशेष अन्तर नहीं होता। मैं तो इस मामले में केंद्र की सरकार की तारीफ करता हूं क्योंकि वह हमारी कीमत समझती है। वह समझती है कि वाकई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमारे स्टेट्स में है और इस सदन के हमारे सम्मानित सदस्यों की बड़ी प्रतिष्ठा केन्द्र की सरकार ने की है और उसको ही ध्यान में रख कर उन्होंने हमसे सलाह मांगी है और आज वह सलाह न मांगते तो हम समझते कि हमको इग्नोर किया गया और अनुचित किया गया। मैं इस संबंध में उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सोच समझ कर आपके सदन के सामने इस चीज को उपस्थित किया। हमारे भाई ने तीन चार स्टेटों का नाम लिया जैसे ट्रावनकोर, कोचीन, इंदौर वगैरह: का जिक्र किया गया जो उत्तर प्रदेश के पासंग के बराबर भी नहीं है और यह भी कहा कि पिछले समय जब राय मांगी गई थी तो हम न्यूट्रल रहे थे। आज क्यों उनको यह अधिकार देना चाहते हैं। तो हमारा यह विधान मनु का विधान नहीं है जो बदला नहीं जा सकता। हमारे विधान के बनाने वाले मौजूद हैं, पंडित नेहरू, मौलाना आजाद और पंडित पंत। बड़े-बड़े राजनीतिज्ञ विद्वान और वकील जिन्होंने इसको बनाया वह हैं। पंडित पंत ने पहले भी कहा था कि इस सदन में जब-जब आवश्यकता होगी तब-तब हम अपने विधान को बदलेंगे, अपने बनाये हुये कानूनों को बदलेंगे, समय-समय पर अगर त्रुटि पावेंगे तो उसको बदलेंगे। कहीं पर आज यह कहा जाता है कि स्टेट गवर्नमेंट को यह ताकत न हो, पंचायत राज की जरूरत नहीं है और जब यहां शक्ति केन्द्र को देना चाहते हैं तो विरोध किया जाता है। मेरी समझ में नहीं आता कि लोग किस बुद्धि से काम करते हैं, कहीं कुछ कहीं कुछ। इस तरह से काम चलने वाला नहीं है। हमें केंद्र के हाथ को मजबूत करना चाहिये और इस दृष्टि से यह प्रस्ताव बिलकुल उचित है और इसलिए मैं त्रिपाठी जी के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री जयेन्द्र सिंह विष्ट (जिला गोरखपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस संकल्प का विरोध करता हूं। माननीय शिवनारायण जी का भाषण अभी मैंने सुना। उन्होंने सच कहा है कि यह विधान हमारे भारतवर्ष के विद्वानों का बनाया हुआ है जिन्होंने बहुत सोच समझ कर बनाया है। यही तो हमारा कहना है कि इस सोच समझ कर बनाये हुये कानून में हस्तक्षेप किया जाता है। यह मानी हुई बात है कि यह अमेंडमेंट हमारे सामने है जिसके मुताल्लिक यह प्रस्ताव है। देखने में बहुत छोटा सा मामूली सा प्रस्ताव है। लेकिन यह हमारे विधान पर और स्टेट की अटोनामी के अधिकारों पर कुठाराघात है। मैं इसका तो विरोध नहीं करता कि सेंटर को अधिकार दिया जाय। विधान में भी व्यवस्था है कि जब जरूरत पड़े और जब इमरजेंसी हो तो कोई भी कानून, कोई भी अधिकार जो स्टेट के हैं वह २४९ के मुताबिक अथवा इमरजेंसी पावर के अधीन केन्द्र में लिये जा सकते हैं। लेकिन जहां तक इस अमेंडमेंट का

संबंध है उसके लिये जो रीजन्स, स्टेटमेंट आफ आबजेक्टस में दिये हुये हैं उनको देखनेके बाद मेरी समझ में नहीं आता कि इस वक्त कौन सी आवश्यकता है जिसके कारण यह अमेंडमेंट लाया जा रहा है। सिर्फ एक ही कारण मुझे मालूम होता है कि वह यह है कि क्योंकि ५ साल की अवधि ३६९ के मुताबिक दी हुई है वह खत्म होने जा रही है इसलिये अब कंट्रोल रखा जाय और वह अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं इसलिये इस अमेंडमेंट को ले आये हैं। इसमें यह भी लिखा हुआ है कि खाद्य समस्या बहुत अच्छी है। विधान में जो पांच साल के लिये प्राविजन किया गया था वह ट्रांजिशनल पीरियड के लिये था और वह भी विधान बनाने वालों ने इसलिये रखा था कि अगर कोई स्टेट अपने बल पर न खड़ी हो सके तो केंद्रीय सरकार को यह अधिकार दिया गया था कि वह उनकी मदद कर सके और उसी वास्ते यह प्राविजन रखा गया था लेकिन ५ साल अब खत्म होने जा रहे हैं। जब खाद्य समस्या बहुत जटिल थी उस वक्त तो यह संशोधन लाया जा सकता था लेकिन आज जब खाद्य समस्या बहुत खराब हालत में नहीं है अच्छी है तब कोई खास वजह समझ में नहीं आती और यह जो कार्यवाही आज की जा रही है या जो इस संकल्प का समर्थन किया जा रहा है इसमें कोई तुक नहीं मालूम होता।

अध्यक्ष महोदय, अगर हम इस संशोधन को स्वीकार करते हैं तो इससे विधान की स्टेट लिस्ट में लिस्ट नं० २ में जो कि हमारे स्टेट के अधिकार हैं, उनमें भी अमेंडमेंट हो जाता है और उसमें एक एनोमेली हो जाती है क्योंकि लिस्ट नं० २ के १४ और १५ में जो हमारे स्टेट के अधिकार हैं वह इस प्रकार हैं।

"14. Agriculture, including agricultural education and research, protection against pests and prevention of plant diseases.

15. Preservation, protection and improvement of stock and prevention of animal diseases; veterinary training and practice."

इस अमेंडमेंट से कैटिल फाडर पर भी केन्द्रीय सरकार अपना नियंत्रण करना चाहती है और मैं समझता हूं कि यह एक इंडाइरेक्ट तरीका है जिसके द्वारा स्टेट की जो एक्सक्लूसिव पावर्स हैं जो कि विधान से दी गई हैं, उनको छीना जा रहा है और जिसके लिये कोई विशेष कारण और परिस्थिति हमारे सामने नहीं है क्योंकि केन्द्रीय सरकार अपने हाथ में इन अधिकारों को लेने जा रही है। इसलिये मैं यह समझता हूं कि यह जो इंडाइरेक्ट तरीका है कि जिसके द्वारा स्टेट को मिली हुई एटोनोमी छीनी जा रही है, ठीक नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर पूर्वी जिलों की भुखमरी की बाबत भी कहा गया तो प्रश्न यह नहीं है कि कंट्रोल केन्द्रीय सरकार के हाथ में हो या प्रान्तीय सरकार के हाथ में। हमें यह देखना है कि कहां कंट्रोल रहने से हमें ज्यादा सुविधा रहती है। जाहिर है कि जब सेंट्रल के अधिकार में कंट्रोल जायगा तो उसमें अधिक विलम्ब होगा, देर होगी और कंट्रोल की स्थिति में कितना करेप्शन और ब्लैकमारकेटिंग होता है और कितनी ही समस्याओं को हल करने में हमारी सरकार केन्द्रीय सरकार का मुंह ताकती रहती है, यह किसी से छिपा नहीं है। माननीय शिवनारायण जी ने कहा कि केन्द्रीय सरकार ने बड़ी मेहरबानी की है कि इस सदन को पूछा और उसकी राय मांगी। मैं माननीय शिव नारायण जी को बताना चाहता हूं कि इसमें केन्द्रीय सरकार की कोई मेहरबानी नहीं है। यह तो विधान में है कि यदि कोई ऐसा अमेंडमेंट आये तो हमसे राय ली जाय। इसमें उनकी कोई विशेष कृपा नहीं है कृपा तो उनकी तब होती कि जब वे अपने अधिकार हमारी सरकार के हाथ में देते लेकिन उनके लिये तो हमारी सरकार उनका मुंह ताका करती है। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

*श्री केशभान राय (जिला गोरखपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तावित संकल्प का समर्थन करता हूं। यह भारतवर्ष जैसा कि माननीय नारायण दत्त जी ने बतलाया एक

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री केशभान राय]

फेडरेशन नहीं है। उनको यह जानना चाहिये कि यह एक यूनियन है। भारतवर्ष के बारे में जो यह फेडरेशन की कल्पना की गई है वह ठीक नहीं है। फेडरेशन की जब हम कल्पना करते हैं तो साधारणतः यह सोचते हैं कि कई राज्य जो स्वतंत्र होते हैं वह मिल जाते हैं और अपने कुछ विषय केन्द्र को दे देते हैं। ऐसी स्थिति में वह केन्द्र अथवा केन्द्रीय सरकार फेडरेशन कहला सकती है लेकिन भारतवर्ष ऐसा नहीं है। भारतवर्ष भौगोलिक, ऐतिहासिक और आर्थिक दृष्टिकोण से एक यूनिट है और एक यूनियन है और जैसा कि सीताराम शुक्ल जी ने बतलाया भारतवर्ष की सारी शक्ति केन्द्र में है और अगर यह संभव हो कि वह सुचारू रुप से समस्त विषयों पर नियंत्रण रख सकें तो कोई वजह नहीं है कि प्रांतों को अलग-अलग बांटा जाय, मैं यह कहना चाहता हूं कि शासन की सुविधा के लिये शक्ति वितरित कर दी जाय। केन्द्र में बुद्धिमान लोग हैं लेकिन फिर भी यह संभव नहीं है तमाम देश का समस्त शासन वह अपने हाथ में ले सकें, यह साधारणतः संभव नहीं था। इसी लिये यह वांछनीय होता है कि शक्ति का वितरण कर दिया जाय किन्तु जब शक्ति वितरित की जाती है तो यह भाव नहीं रहता है कि केन्द्र के ऊपर हम शंका करते हैं और प्रांत के प्रति हमारा विश्वास है ऐसी बात नहीं है। हमारे इस संसार के सूर्य का एक केन्द्र है और उसके तमाम ग्रह फैले हुये हैं। ग्रह को सारी शक्ति सूर्य से मिलती है लेकिन सूर्य की शक्ति से अलग हो करके ग्रह की कोई शक्ति नहीं रहती। सारी शक्ति उसको सूर्य से मिलती है और सूर्य के साथ रहते हुये भी हम यह देखते हैं कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां पर ग्रह ही का प्रभाव होता है सूर्य का प्रभाव नहीं रहता है। यह पुस्तक जो हमारे हाथ में है यह सूर्य की शक्ति काम करती है लेकिन यह पृथ्वी पर ही जायगी क्योंकि इसका संबंध पृथ्वी से ही है, यद्यपि इसमें सूर्य की शक्ति काम करती है। इसी तरह से हमारी सारी शक्ति केन्द्र ही में है हम कोई भी काम केन्द्र से अलग होकर नहीं कर सकते। सारी शक्ति उसी से ग्रहण करनी है। और अगर संविधान को देखें तो पता चलेगा कि इसका संविधान ऐसा ही है। जब कभी भी कोई इमर्जेंसी पैदा होगी तो सारी शक्ति केन्द्र ही में जा सकती है वह इस बात का द्योतक है। हमारे संविधान का निर्माण करने वालों ने इस बात का ध्यान रखा था कि साधारण स्थिति में हम अपनी शक्ति वितरित रखेंगे लेकिन असाधारण स्थिति में सारी शक्ति हमारी केन्द्र को चली जायगी। इस तरह से हमें यह विचार करना होगा कि जो शक्ति हमें केन्द्र दे रहा है वह शक्ति किस प्रकार की है या उस पर हमारी पृथ्वी का अधिकार रहता है या सूर्य का। हमें देखने से पता चलेगा कि अगर वह इतने महत्व का है कि हमारी पृथ्वी का अधिकार रहना चाहिये तो उसे हमें प्रांत को देना चाहिये और अगर यह पता चले कि ऐसा विषय है जिस पर हमारे सूर्य का अधिकार होना चाहिये तो उसे हमें केन्द्र को देना चाहिये।

अगर हम विचार करके देखें तो पता चलेगा कि कपड़े की समस्या, भोजन की समस्या और जूट की समस्या, जूट क्या है? जूट के लिये हम यह जानते हैं कि विदेशों को भेजने का हमारा बहुत बड़ा अंश जूट का होता है। हमारे देश के अन्दर सबसे बड़ी समस्या भोजन की और उसके बाद अगर कोई प्रश्न है तो रुई का है। कोई भी राज्य अपनी समस्या का समाधान अपने ही अन्दर पैदा की हुई चीजों से नहीं कर सकता है। बहुत सी समस्याएं ऐसी आ सकती हैं जब कि कोई राज्य केवल अपने पर ही स्वावलम्बित नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में केन्द्र को यह करना पड़ता है कि जो उसकी इकाइयां हैं उनमें से जो अभावग्रस्त हों उनकी पूर्ति दूसरी इकाइयों से करे। इसीलिये भोजन पर, जूट पर, काटन पर जो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हैं, इनका केन्द्र के नियंत्रण में रखना आवश्यक हो जाता है।

श्री अध्यक्ष—अभी आप कुछ देर और भाषण देंगे। अब हम उठते हैं और सवा दो बजे फिर बैठेंगे।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १५ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हर गोविन्द पंत, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री केशभान राय—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह बता रहा था कि केन्द्र को अधिक शक्ति दी जा रही है, राज्यों से शक्ति हटायी जा रही है इस प्रश्न को यहां पर उठाना अनावश्यक था इससे और इस प्रश्न से कोई मतलब नहीं है । मैं यह बतला रहा था कि जो विषय उसमें रखे गये हैं नये नये, केन्द्रीय सरकार के मातहत संयुक्त सूची में वे राष्ट्रीय महत्व के हैं । वह ऐसे महत्व के विषय हैं जिनकी हम उपेक्षा नहीं कर सकते । उदाहरण के लिये रा काटन और रा जूट को लिया गया है और तीसरा फूड स्टफ्स ये तीन महत्वपूर्ण हैं । मैंने यह बतलाया कि जूट के उद्योगधंधे और काटन के उद्योगधंधे ये उद्योगधंधे केन्द्रीय सरकार के हाथ में हैं । केन्द्रीय सरकार इनको अपने हाथ में ले सकती है, ऐसे प्राविजन संविधान में हैं । ऐसी स्थिति में क्या यह आवश्यक नहीं है कि जब काटन और जूट के उद्योग-धंधे उनके हाथ में हैं तो रा काटन और रा जूट भी उनकी शक्ति के अन्दर लाया जाय । हमें विचार करने से यह मालूम होगा कि जो उद्योग-धंधे केन्द्रीय सरकार के हाथ में जा सकते हैं, उन उद्योग-धंधों के लिये जो कच्चा माल है वह भी अवश्य उनके पास होना चाहिये अन्यथा उस उद्योग-धंधे पर उसका नियंत्रण ठीक तरह से नहीं रह सकता । उसकी उत्पत्ति, उसके वितरण और उसके व्यापार आदि पर किसी प्रकार केन्द्रीय सरकार नियंत्रण नहीं कर सकती अगर उनके हाथ में कच्चा माल न आये । तो ऐसी स्थिति में रा काटन और रा जूट जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय अवश्य केन्द्रीय सरकार के हाथ में जाने चाहिये ।

अब रही बात फूड स्टफ्स की । तो यह सर्वविदित है कि सभी राज्य अपने भोजन के मामले में स्वावलम्बी नहीं हैं । हमने बंगाल का अकाल देखा है और यह देखा है कि जब बंगाल का अकाल पड़ा था उस समय हमारे और सूबों में भी वैसा ही अकाल पड़ा हुआ था । हम यह भी जानते हैं कि हमारे अपने ही सूबे की यह हालत है कि गत दो-तीन वर्षों में भयंकर अकाल की जो स्थिति पैदा हो गई थी वह अपने काबू में हम नहीं ला सकते थे अगर हमारा अधिकार अन्य राज्यों पर भी न होता, अन्य राज्यों पर भोजन के मामलों में अगर केन्द्रीय सरकार का हाथ न होता । अगर केन्द्रीय सरकार इनको अपने हाथ में न लेती तो हम इस समस्या को हल न कर पाते भविष्य के लिये भी । यद्यपि इस समय हमारे सूबे की स्थिति अच्छी हो गई है, लेकिन यह कहा नहीं जा सकता कि किस समय कहां अकाल की स्थिति पैदा हो जाय । ऐसी स्थिति में हमारी केन्द्रीय सरकार को हस्तक्षेप करना आवश्यक हो जायगा । हर राज्य अपने राज्य की समस्या को देखता है । वह यह सोचता है कि हमें ऐसा कार्य करना चाहिये जिससे हमारे राज्य की जनता हमसे खुश रहे, वह हमसे नाराज न हो । थोड़े समय के लिये मान लीजिये बम्बई में कोई चीज पैदा होती है जिसकी आवश्यकता दूसरे राज्यों में है तो उसके लिये बम्बई की सरकार दूसरे राज्यों के लिये उतनी चिन्तित नहीं रहेगी जितनी अपने राज्य के लिये चिन्तित रहेगी, क्योंकि वह उन्हीं के द्वारा चुनकर आती है और उनका उसे ख्याल रखना पड़ता है । किन्तु हम यह जानते हैं कि हम सभी सूबे अपने कुछ मामलों में स्वावलम्बी नहीं है, किसी में हम परावलम्बी हैं तो दूसरा किसी दूसरे में परावलम्बी है, तो हम में कोआर्डिनेशन होना चाहिये और उसके लिये केन्द्र का नियंत्रण होना चाहिये । रा काटन और रा जूट के बाद फूड स्टफ्स एक ऐसा नितान्त आवश्यक पदार्थ है कि जिसमें हमारे लिये कोआर्डिनेशन की सब से अधिक आवश्यकता है । इसलिये केन्द्र को इसमें भी शक्ति मिलनी चाहिये कि जब कभी वह आवश्यकता समझे, जब कभी ऐसी बात आ पड़े कि किसी वस्तु की कमी किसी राज्य में पड़े और उसकी सरप्लस उत्पत्ति किसी दूसरे राज्य में हो तो उसको अधिकार होना चाहिये कि उस राज्य को कुछ कष्ट देकर भी दूसरे राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करे, इस बदले में कि जब उस पर भी कोई संकट आ पड़ेगा तो उसके संकट को भी दूसरे राज्यों की सहायता से केन्द्रीय सरकार दूर करने का उपाय करेगी और इस प्रकार वह समस्त राष्ट्र के हित को देखती रहेगी । हम यह बतलाना चाहते हैं कि अगर हम संविधान को पढ़ें तो हमें पता चलेगा कि

[श्री केशभान राय]

केन्द्रीय सरकार शांति और व्यवस्था के लिये भी जिम्मेदार है। उसकी यह ड्यूटी है, उसका यह कर्त्तव्य है कि वह यह देखे कि उसकी इकाइयां राज्य सरकारें भी अपना कर्त्तव्य सुचारु रूप से करती रहती हैं या नहीं। यदि कहीं पर पता चले कि वह शांति और व्यवस्था कायम रखने में सफल नहीं हो रही है, शांति और व्यवस्था भंग हो रही है तो ऐसी स्थिति में केन्द्रीय सरकार को अधिकार है कि वह समस्त शक्ति को अपने हाथ में ले सकती है जब ऐसी परिस्थिति है तब हम समझते हैं और जिसके बारे में हम पहले से ही जानते हैं कि भोजन के बारे में, कपड़े के बारे में ऐसी समस्या पैदा हो सकती है तो हम अभी से यदि शक्ति दे दें तो बुरा नहीं होगा।

एक और नई बात आगई है कि "Imported goods of such kinds." यह नई बात है। इसलिये यह आवश्यक है कि यदि हम अपने देश में किसी चीज पर नियंत्रण रखें तो दूसरे देशों से आने वाली चीज पर भी नियंत्रण होना चाहिये, नहीं तो हमारा नियंत्रण व्यर्थ हो जाता है। मान लीजिये कि हम गल्ले की पैदावार और वितरण वगैरह पर नियंत्रण रखते हैं और बाहर से आने वाली चीज पर न रखें तो हमारे इस नियंत्रण पर काफी असर पड़ेगा। इसलिये यह आवश्यक हो जाता है कि बाहर से आने वाली चीज पर भी नियंत्रण रखा जाय। इसलिये इसमें जो नया क्लाज आ गया है उसकी भी आवश्यकता है, इसलिये मैं इसका समर्थन करता हूं। इन सब बातों पर विचार करते हुये मैं समझता हूं कि यह अमेंडमेंट जो कांस्टीट्यूशन में रखा गया है उसका समर्थन किया जाय।

एक बात और कहना चाहता हूं कि जो यह धारा ३४ में प्राइस कंट्रोल की बात लिखी हुई है तो यह बात अर्थ शास्त्र के जानने वाले सभी लोग जानते हैं कि जब प्राइस कंट्रोल करेंगे तो फिर उसके व्यापार और वितरण वगैरह पर भी प्रभाव पड़ सकता है। हम जानना चाहते हैं कि इसमें जो बात छिपी हुई है उसे प्रगट क्यों न करें और स्पष्ट रूप में रख दें, इसलिये जब प्राइस कंट्रोल की बात रखी हुई है तो इस बात की नितांत आवश्यकता है कि चीजों के व्यापार तथा वितरण वगैरा भी केन्द्रीय सरकार की शक्ति में आ जाने चाहिये। यह जरूरी नहीं है कि केन्द्र प्रांत के रोजमर्रा के कामों में हस्तक्षेप करता रहेगा। मैंने पहले ही बतलाया है कि केन्द्रीय सरकार के पास इतनी फुरसत नहीं है कि वह प्रांतों के रात-दिन के मामलों में हस्तक्षेप करे। इसलिये यह समवर्ती सूची में रखे गये हैं। राज्य सरकारों को कानून बनाने से कोई रोकता नहीं है लेकिन जब ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाय कि जिसका प्रभाव दूसरे प्रांतों पर पड़ और केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों में कोआर्डिनेशन कायम रखने के लिये आवश्यक समझे तो कानून बनायेगी। शेष कानूनों को जिनकी आवश्यकता होगी राज्य सरकार उसके बनाने का अधिकार अपने हाथ में रखती ही है, अस्तु मैं सदन से प्रार्थना करता हूं कि वह इस संकल्प को स्वीकार करे।

*श्री केशव गुप्त (जिला मुजफ्फरनगर)—श्रीमन् उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव हमारे माननीय हाफिज जी ने इस हाउस के सामने पेश किया है उसका समर्थन करता हूं। मुझे खुशी हुई कि अध्यक्ष महोदय ने जो श्री नारायणदत्त तिवारी जी ने संशोधन रखा था, उसको अवैध करार दे दिया है, वह ठीक ही था। जब श्री नारायणदत्त तिवारी जी अपने संशोधन पर बोल रहे थे तो मैं यह सोच रहा था कि नारायण दत्त जी जैसे विद्वान शख्स जो हमेशा समझ-बूझ और अध्ययन के साथ किसी बात को भवन के सामने रखते हैं, उन्होंने कैसे इस अमेंडमेंट को भवन के सामने रखने का साहस किया, क्योंकि संविधान की धारा ३६८ के अनुसार केवल दो ही रास्ते उनके सामने हैं। एक तो यह कि जिस प्रकार से यह पार्लियामेंट में पास हुआ है उसे ही ज्यों का त्यों स्वीकार करें या फिर उसको रिजेक्ट कर दें और कह दें कि हम इसको स्वीकार नहीं करते। तीसरा रास्ता ही नहीं था। इसलिये अध्यक्ष महोदय ने उनके अमेंडमेंट को अवैध करार दिया, यह ठीक किया।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जहां तक इसका संबंध है मेरे लायक दोस्त श्री नारायण दत्त जी ने कहा कि विधान की धारा २४९ इस काम को करने के लिये काफी थी और उसके अनुसार जब कभी भी पार्लियामेंट को आवश्यकता होती वह इस प्रकार का कानून जिस प्रकार का कि कांस्टीट्यूशन में अमेंडमेंट हो रहा है, बगैर कांस्टीट्यूशन को अमेंड किये हुये कर सकती थी। परन्तु मुझे खेद है कि श्री नारायण दत्त जी ने शायद २४९ धारा को ध्यान से नहीं देखा। वह तो महज एक इमर्जेंसी के लिये शक्ति है जो कि केवल एक वर्ष के लिये पार्लियामेंट अपने हाथ में रेजोल्यूशन के द्वारा ले सकती है या ज्यादा से ज्यादा एक साल और उसे एक्सटेंड कर सकती है वह बहुत ही विशेष परिस्थितियों के लिये है। इसलिये यह कहना कि इस कमी को बगैर कांस्टीट्यूशन को अमेंड किये पूरा किया जा सकता था, सही नहीं है।

दूसरी बात उन्होंने यह कही कि कांस्टीट्यूशन को तीसरी बार चार वर्ष में अमेंड किया जा रहा है और अमेरिकन कांस्टीट्यूशन बावजूद इसके कि दो सौ वर्ष के करीब उसे बने हुए उसमें केवल २० या २१ अमेंडमेंट्स अब तक हुये हैं, इसलिये हमारे देश के जो लोग हैं या जो हमारी पार्लियामेंट है वह हमारे संविधान को पवित्र न मानकर उससे खिलवाड़ कर रही है। यह बात नहीं मैं मानता। संविधान देश को आगे ले जाने के लिये होता है, "It is a means to an end" (यह सिद्धि का साधन है) वह देश को उन्नत करने में साधन हो यह कांस्टीट्यूशन का आशय होता है। मैं संविधान को स्वयं पवित्र मानता हूं लेकिन अगर उससे देश की प्रगति रुकती हो, देश की आवश्यकता पूरी न होती हो तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, चार बार नहीं अगर १०० बार भी कांस्टीट्यूशन को तब्दील करने की आवश्यकता पड़े तो उसमें कतई तौर पर देश को नहीं हिचकना चाहिये और मैं तो यहां तक कहूंगा कि अगर देश में इस बात की जरूरत पड़े कि संविधान को समूचा बदल दिया जाय तो देश को पूरा अधिकार है कि उसको समूचा बदल दे बशर्ते कि उसमें देश की उन्नति निहित हो और मौजूदा संविधान उसको पीछे की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा हो। तो इसलिये यह बात कहना कि इसमें कांस्टीट्यूशन तब्दील होगा यह कोई बहस की बात नहीं है। जब-जब देश को जरूरत पड़ेगी संविधान अवश्य तब्दील किया जायगा।

रहा यह कि जो बिल आपके सामने पार्लियामेंट ने रैटिफिकेशन के लिये भेजा है वह बिल्कुल सही है। उसमें जहां तक आप कांकरेंट लिस्ट को देखेंगे जो ३३ वां क्लाज है कांकरेंट लिस्ट में वह पहले से मौजूद था, लेकिन उसमें कुछ और शक्तियां उसको सुधार करके फूडस्टफ्स रा काटन और जूट के बारे में बढ़ाने की कोशिश की गयी है। वह तो ठीक ही किया क्योंकि अभी मेरे लायक दोस्त जो मुझसे पहले बोल रहे थे उन्होंने भली-भांति इस बात पर रोशनी डालने की कोशिश की कि किस तरह से इन चीजों का महत्त्व है। अगर ये चीजें केवल स्टेट्स के ऊपर छोड़ दी जायं तो एक तरह की स्टेट-जेलसी पैदा हो सकती है। हमारे देश के अन्दर प्राचीन इतिहास को अगर आप देखें तो हमारी फिसीपरस टेंडेंसीज रही हैं, हमेशा जब प्रदेश के लोगों ने मौका पाया तो उन्होंने अपनी शक्तियों को सेंटर से खींच कर अपने में केन्द्रित करने की कोशिश की और इसीलिये देश में आपत्ति आयी। इसलिये हमारा कर्त्तव्य है कि हम जितना भी ज्यादा से ज्यादा केन्द्र को मजबूत बना सकें उतना ही देश के भविष्य के लिये हितकर है क्योंकि हमें फिसीपरस टेंडेंसीज का मुकाबिला करना है और सबक सीखना है। इसलिये यह कहना कि हम अपनी स्टेट को कमजोर कर रहे हैं यह कोई बात नहीं है। अगर केन्द्र हमारा मजबूत होता है तो तमाम देश मजबूत होता है और केन्द्र के मजबूत होने से कोई जैलसी तमाम स्टेट्स में पैदा हो यह बात भी नहीं है।

दूसरी बात यह कि यह तो कांकरेंट लिस्ट में होगा यह कोई ऐसी चीज नहीं जो कि पार्लियामेंट एक्सक्लूसिवली अपने हाथ में ले रही हो। स्टेट लेजिस्लेचर्स को भी और पार्लियामेंट को भी इस बात के लिये विचार करने का अधिकार होगा और जब कभी ऐसी आवश्यकता होगी हमेशा पार्लियामेंट स्टेट्स को कंसल्ट करती है और उनकी राय को भी महत्त्व देती है।

[श्री केशव गुप्त]

अभी आपने देखा और मुझे भी इस बात की शिकायत है कि जब यह अमेंडमेंट बिल पेश हो रहा था उसकी जब रिपोर्ट पढ़ी तो पार्लियामेंट व तमाम स्टेट्स से उनकी राय मांगी। हमारी स्टेट इस पर खामोश रही, यह कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लगा। यह बात मुझे भी थोड़ी सी अखरी। हमें भी अपनी राय देनी ही चाहिये थी कि हमारा इसमें क्या मत है। तो मैंने यह बात इसलिये मिसाल के तौर पर कही कि पार्लियामेंट ने, आपने देखा कि बिल के पास होने से पहले भी आपसे, सब प्रदेशों से सम्मति मांगी कि उनकी क्या राय है इस संबंध में, और अब भी दफा ३६८ के मुताबिक उस समय तक संविधान नहीं होगा जब तक आपकी ए और बी स्टेट्स को मिलाकर उसमें से आधी स्टेट्स इसके लिये रजामन्दी न देंगी। इसलिये यह भी स्टेट्स के हाथ में है। आप चाहें तो इसको स्वीकार करें या न करें। लेकिन सोचना यह है कि हमको स्वीकार करना चाहिये या नहीं करना चाहिये। संजीदगी के साथ इस विषय पर विचार करना है और मैं कहता हूं कि जो बिल आया है उससे प्रदेश और देश का भला है क्योंकि जो चीजें इसमें लिखी हैं वे देश के हित में हैं। आज फूड स्टफ्स की पोजीशन ईज हो गयी। उतनी दिक्कतें नहीं हैं जितनी पांच साल पहले थीं। यह ठीक है लेकिन खाने के मसले पर हम आंख बन्द करके नहीं बैठ सकते। हमारे देश की आबादी बढ़ती जाती है। उसमें श्री नारायण दत्त तिवारी जी आगे को ही सहयोग लगा रहे हैं कि वह बढ़ती ही चली जाय। लेकिन हमारी जमीन उस शक्ति के साथ नहीं बढ़ रही है। इसलिये हमेशा फूड स्टफ्स के मामले में तमाम देश के प्रदेशों के ऊपर केन्द्र को हमेशा ध्यान रखना होगा और देखना होगा कि हमारी क्या जरूरतें हैं और वह किस तरह से पूरी हों। हमारे देश के सभी प्रदेश सभी चीजों में आत्मनिर्भर नहीं हैं। किसी प्रदेश में किसी चीज की कमी है तो किसी चीज का सरप्लस है। इन सब बातों को देखते हुये यह ठीक ही है कि फूड स्टफ्स पर केन्द्र का हाथ रहे और यह सब्जेक्ट कांकरेंट लिस्ट में रहे जिससे केन्द्र अपनी नीति को निर्धारित करता रहे।

नारायणदत्त तिवारी जी ने कहा कि जहां पर सोशलिस्ट इकानोमी हो वहां पर तो इस प्रकार की शक्तियां अगर दी जायं तो वह ठीक हो सकता है। मैं कहता हूं कि हमारे यहां जो नियोजन कार्य चल रहा है, चाहे उस रूप में न हो जिस रूप में आप उसका ध्यान रूस और चीन या किसी दूसरे देश में करते हैं, लेकिन जहां तक हमारे देश का ताल्लुक है हम उसी प्लांड इकानामी की तरफ चले जा रहे हैं। और हम अपने तमाम कार्यों को पंचवर्षीय योजनाओं के आधार पर करने जा रहे हैं। इस प्रकार से हम अपने कार्यों को आर्थिक पद्धति के अन्तर्गत करने जा रहे हैं और यह बात सही है कि अगर हमारी प्लांड इकानामी नहीं हुई तो हमारे देश में उन्नति नहीं हो सकती और वह दूसरे देशों के मुकाबले में संसार में पीछे रह जायगा। इसलिये प्लांड इकानामी की तरफ हमें जाना ही है। आगे चल कर हमें और भी तेजी के साथ जाना है।

आज पं० जवाहरलाल नेहरू जी जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके भाषणों को, चीन से वापस आने के बाद आप सुनते रहे हैं और देख रहे हैं कि उनका रुख तेजी के साथ उस तरफ चलता जा रहा है चाहे पार्लियामेंट या दूसरे लोगों में मतभेद हो। लेकिन जहां तक हमारे प्राइम मिनिस्टर का संबंध है वह देश की जरूरतों को महसूस कर रहे हैं कि इस वक्त देश क्या चाहता है और खुल्लमखुल्ला इस बात को रख रहे हैं कि देश को प्लांड इकोनामी की जरूरत है। चीन और रूस की तरफ नहीं बल्कि अपने देश की आवश्यकताओं और भावनाओं के आधार पर हमें अपनी प्लांड इकानोमी बनानी है। तो यह सब चीजें प्लान के साथ चलनी चाहिये। यह नहीं कि एक प्रदेश एक तरह से, दूसरा प्रदेश दूसरी तरह से और तीसरा प्रदेश तीसरी तरह से सोचे। शुगरकेन बोर्ड में कुछ लोगों ने कहा कि गन्ने का दाम एक रुपया बारह आने या दो रुपये होना चाहिये। तो केन्द्र के एक साहब ने कहा कि अगर यू० पी० तमाम प्रदेशों से अलग होना चाहता है और दो रुपये दाम रखना चाहता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन

उन्हें इतना करना होगा कि उन्हें अपनी चीनी भी अपने ही प्रदेश में बेचनी होगी । अगर दूसरे प्रदेशों में वह बिकेगी तो हम जो मूल्य अन्य जगहों के कास्ट आफ प्रोडक्शन को भी देखकर निर्धारित करेंगे, उसी हिसाब से बिकेगी तो बिलकुल केन्द्र के हिसाब को छोड़कर प्रदेशों को अपनी नीति पर चलने की स्वतंत्रता दे दी जाय । तो उससे बहुत कम्पलीकेशंस पैदा हो सकते हैं । इसलिये मैं कह सकता हूं कि इन चीजों का केन्द्र के पास रहना बहुत जरूरी है और जैसा कि आपने देखा यह तो कान्करेंट लिस्ट में आ जायंगी और केन्द्र के अधिकार में हो जायंगी । इससे केन्द्र की शक्ति बढेगी और केन्द्र की ही नहीं बल्कि देश की और स्टेट की शक्ति बढ़ेगी । इसलिये मैं आशा करता हूं कि यह भवन सहृदयता के साथ और एक मत हो कर इस रिजोल्यूशन को पास करेगा ।

श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर मेरे मित्र नारायण दत्त तिवारी और उपाध्याय जी ने जो भाषण दिये उनको गौर के साथ सुना । निवेदन यह है कि आखिर उनको आपत्ति किस बात पर है ? इस बिल पर जब लोकसभा में विवाद हो रहा था उस समय इस संविधान की रूपरेखा प्रस्तुत करने वाले डाक्टर अम्बेदकर ने भाषण करते हुये कहा था कि जहां तक इस बिल का, कांस्टिट्यूशन की स्पिरिट का संबंध है उसको यह बिल जरा भी कांस्टिट्यूशन से अलग नहीं करता । कोई ऐसी बात इसमें नहीं है जिससे यह कहा जाय कि यह बिल संविधान की पवित्रता को अलग करता है । दफा ३६९ में जो अधिकार दिये हुये हैं उन अधिकारों को सामने रख करके कांस्टिट्यूशन में जो यह अमेंडमेंट किया जा रहा है यह कोई कांस्टिट्यूशन की दृष्टि से नहीं है बल्कि प्रशासकीय दृष्टि से यह महसूस हुआ कि इस प्रकार के परिवर्तन को लाने की आवश्यकता है । देश की स्थितियों को देखते हुये लिहाजा यह एक परिवर्तन लाया गया ।

जहां तक दूसरे देशों के संविधानों की तुलना की जाती है हमारे विरोधी दल के माननीय सदस्यों को यह बात ध्यान में रखना चाहिये कि हमारा संविधान इतना विषद है, इतने व्यापक रूप से उसकी व्याख्या की गई है, केवल उसमें मौलिक सिद्धांतों को नहीं रक्खा गया है बल्कि इतने डिटेल्स में वह है कि बहुत सी जगह वह ऐक्ट सा कार्य करता है, इस दृष्टि से इस परिवर्तनशील संसार में पग-पग पर हम इस बात की आवश्यकता महसूस करते हैं कि जो संविधान में कही गई बातें हैं उनमें अगर आवश्यकता हो तो हम परिवर्तन करें । यह कहना जैसा कि नारायण दत्त और उपाध्याय जी ने कहा कि अभी उसे बने हुये ४ वर्ष हुये ही हैं और जिस भावना को ले कर संविधान प्रस्तुत किया गया था उस भावना के विपरीत यह कार्य किया जाता है तो सोचने की बात यह है कि ४ वर्ष पहले बने हुये संविधान को जिन लोगों ने इसे बनाया था यह परिवर्तन भी वही लोग ला रहे हैं । हो सकता है कि एक आध आदमी इधर उधर हो गये हों लेकिन इस परिवर्तन को करने वाले अधिकांश में वही लोग हैं जिन्होंने इस संविधान को बनाया था और स्वीकार किया था । प्रगति के हामी और प्रगति के समर्थक और यहां तक कहने वाले व्यक्ति कि यह संविधान देश की आवश्यकता की पूर्ति नहीं करता इसलिये इसे बदल कर एक दूसरा संविधान देश के लिये लाया जाय, उसी दल से इस प्रकार के तर्क का उपस्थित किया जाना कि यह परिवर्तन करना अनुपयुक्त होगा, मेरी समझ में नहीं आया । अगर हम कोई मौलिक परिवर्तन करने जाते होते, या जो उसकी फंडामेंटल क्लाजेज हैं उनमें कोई किसी तरह का परिवर्तन करने जाते होते जैसे कि बालिग मताधिकार की बात है, या व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात है या धार्मिक स्वतंत्रता है इस प्रकार की बातों में यदि हम आज कोई संशोधन करने जाते होते तो यह कहा जा सकता था कि हम मूलभूत सिद्धांत का परिवर्तन करने जा रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है । जैसा कि मैंने बतलाया और मेरे मित्र केशव गुप्त जी ने बतलाया कि यहां पर राज्य का अधिकार नहीं लिया जा रहा है । हमने पहले ही अपनी केन्द्रीय सरकार को यह अधिकार दिया है, उसको पहले ही संविधान में दे रखा है, उसको कानून बनाने का अधिकार हमने पहले ही दिया हुआ है, हम उसी कानून की अवधि बढाने जा रहे हैं, जैसा कि अम्बेडकर जी ने अपने भाषण में कहा था

[श्री देवदत्त मिश्र]

कि इस प्रकार का निर्णय करने का अधिकार, कि इस प्रकार के किसी संशोधन की इसमें आवश्यकता आज है या नहीं इसका फैसला केवल गवर्नमेंट कर सकती है। उन्होंने पार्लियामेंट के मेम्बर की हैसियत से कहा था कि मैं इसका जज नहीं हो सकता हूं। केवल सरकार ही इसका जज हो सकती है कि संशोधन की आवश्यकता है या नहीं। तो राज्य सरकार का कोई अधिकार नहीं छीना जा रहा है। इस संशोधन के पास हो जाने के बाद भी यह अधिकार प्राप्त रहेगा कि यदि वह चाहे तो उन्हीं विषय पर जो कि सूची में दिये हुये हैं उनमें केन्द्रीय सरकार कानून बना सकती है। अगर आवश्यकता हो तो उसी प्रकार राज्य सरकार भी तत्संबंधी कानून बना सकती है। इस दृष्टि से इस परिवर्तन में कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसके विषय में कोई घबराने की बात पैदा होती हो। अगर कोई इस प्रकार की बात होती कि जिससे हमारे अधिकार को संकुचित करने की चेष्टा की जाती तो हम उसको समझ सकते थे। अभी हमने देखा कि जैसा कि देश की स्थिति है अकाल, दुर्भिक्ष आदि इस प्रकार की चीजें आ जाती हैं कि जिससे भयंकर प्रकार की स्थिति पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ जाता है। ऐसी परिस्थिति का सामना करने के लिये यदि खाद्य पदार्थों को उसमें सम्मिलित किया गया एवं जैसा कि रा जूट है और कपास है यह दोनों चीजें हमारे देश में कम पैदा होती हैं। हमारे देश में इतना रा जूट नहीं पैदा होता है कि हम अपने यहां की मिलों को चला सकें। इन चीजों के लिये हमको अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान के ऊपर बहुत कुछ मुनहसर रहना पड़ता है। कपास के लिये भी ऐसी ही स्थिति है। हमारे देश में जितनी कपास की आवश्यकता है उतनी कपास हमारे देश में पैदा नहीं होती है। लिहाजा यह एक स्थिति आ सकती है कि हमको इस बात की आवश्यकता हो कि हम इन दोनों चीजों के लिये अपने देश को स्वावलम्बी बनाने के लिये कोई कानून का सहारा लें क्योंकि हमको अपने उद्योगों को बढ़ाना है और उनको उनकी आवश्यकता पूरी करने के लिये सामान देना है क्योंकि उसमें हमारी बहुत बड़ी पूंजी और श्रम लगा हुआ है। ऐसी स्थिति में आज हम यदि इन दोनों वस्तुओं के लिये अन्य देशों पर अवलम्बित रहें और हम परमुखापेक्षी बने रहें तो यह हमारे देश के लिये लाभ की बात नहीं हो सकती है। ऐसा समय आ सकता है कि जब हमको दूसरे देश इन चीजों को देना खत्म कर सकते हैं और हमको और हमारे उद्योग को नुकसान पहुंचा सकते हैं तो इस दृष्टि से उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से हम ऐसा कर सकते हैं कि जिसकी देश को नितान्त आवश्यकता हो। आज सब जानते हैं कि इस वैज्ञानिक युग में अमेरिका जैसा देश आज इस बात का प्रयत्न कर रहा है कि उसको पटसन के लिये दूसरों पर अवलम्बित न रहना पड़े। आज अमेरिका पटसन जैसी एक वस्तु तैयार कर रहा है जिससे उसको दूसरे देशों पर अवलम्बित न रहना पड़े। ठीक इसी तरह से हम इन दोनों चीजों को, कपास और पटसन को, केन्द्रीय नियंत्रण में ले आवें और उसके बाद उनके अधिक उत्पादन के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार कोई ऐसी योजना बनावे जो प्रत्येक राज्य के लिये या ऐसे राज्यों के लिये जहां ये चीजें पैदा होती हों, लागू हों तो इस प्रकार का अधिकार हमें केन्द्रीय सरकार को देना सर्वथा उचित और उपयुक्त होगा। इसलिये मैंने जैसा कहा, इस अमेंडमेंट में, जो थर्ड अमेंडमेंट संविधान का है और जो हमारे माननीय वित्त मंत्री ने संकल्प किया है इसमें हमारे विधान की भावना कहीं भी भंग नहीं होती। इसलिये मैं चाहूंगा कि हमारे विरोधी दल के माननीय सदस्य इस संकल्प को सर्वसम्मति से स्वीकार करने की कृपा करें, इसके विरोध में कोई विशेष लुब्बोलुबाब या तत्व नहीं है। जैसा मैंने कहा, यदि कोई मौलिक सिद्धान्तों के ऊपर संशोधन करने या परिवर्तन करने की बात होती तो उसके ऊपर विचार किया जा सकता था। यह तो केवल प्रशासकीय दृष्टि से किया जा रहा है। इसका विरोध अनुचित होगा।

इन शब्दों के साथ मैं अपने मित्र माननीय नारायणदत्त जी से तथा विरोधी दल के अन्य सदस्यों से यह अपील करूंगा कि वे अपने विरोध को हटा लें।

†श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें तो सन्देह नहीं कि संविधान या कोई कानून इस देश के बसने वालों के हित के लिये होता है। यदि उसमें देश के बसने वालों के हित की कोई बात हो तो उसके बदलने में, संशोधन करने में, कोई हिचक नहीं होनी चाहिये। लेकिन कम से कम इस बात को भी मानना पड़ेगा कि संविधान के बदलने में जल्दी न की जाय तो अच्छी बात है। जैसा माननीय मिश्र जी ने अभी कहा, यह कोई मौलिक बात नहीं है, यह तो प्रशासकीय ढंग से किया गया है जिसके लिये संविधान को बदलने की जरूरत पड़ गई। प्रशासकीय ढंग से मैं उनसे यह निवेदन करूं कि यदि वह संविधान की आर्टिकल २६३ को देखें तो मालूम होगा कि संविधान में यह गुंजाइश है कि राष्ट्रपति का यह अधिकार है कि जहां दो स्टेट्स में कोई संघर्ष हो तो वह एक काउन्सिल बना सकते हैं और उसके सिपुर्द वह कार्य कर सकते हैं जहां कि डेवलपमेंट में कोई उनको बाधा मालूम पड़ती हो। अगर आर्टिकिल २६३ को वह देखें तो मेरी राय के वह हो सकते हैं कि संविधान को बदलने की आवश्यकता ही नहीं थी।

रहा यह कि जो संशोधन इस समय हमारे सामने है, उस पर हमें मत देना है। मैं ऐसे मौके पर माननीय पन्त जी की मौजूदगी बहुत जरूरी समझता हूं क्योंकि जो उन्होंने इस संबंध में अपनी राय पहले कायम की थी यह सदन उससे लाभ उठाता। उन्होंने जब कभी उनसे यह सलाह मांगी गई थी, कोई चीफ मिनिस्टर्स की कानफरेंस हुई थी, तो उसमें उन्होंने कहा था कि बिल्कुल स्कैलेटन लेजिस्लेटिव मेजर लो। 'स्कैलेटन' शब्द उन्होंने कहा था कि अगर कोई इस प्रकार का कानून बनाना है तो स्कैलेटन लैजिस्लेशन ही सेंटर से और नियम बनाने का या और कोई काम डेलीगेट कर देना चाहिये स्टेट गवर्नमेंट को और फिर स्टेट्स उसकी कार्यवाही करें। मैं नहीं समझा कि इसके लिये सेंट्रल गवर्टमेंट कहां तक तैयार होगी। मैं समझता हूं कि माननीय पन्त जी आज भी उ राय के होंगे। मैं कभी यह आशा नहीं कर सकता कि चूंकि वह अब सेंटर के मिनिस्टर हो गये हैं इसलिये वह यू० पी० के हित से जो कि बहुत ही सिद्धान्त की बात है उससे मुकर सकते तो। लेकिन दुर्भाग्य है कि वे इस समय सदन में नहीं हैं और शायद फैसला होते समय भी न आयें। मैं सदन से बहुत जोर के साथ इस बात को कहना चाहता हूं और अव्वलन तो मैं हाफिज जी से कहूंगा कि वे इस प्रस्ताव को वापिस ले लें तो अच्छा हो ताकि हमको फिर से विचार करने का मौका मिल जाय। आज न जाने किस मूड में यह सदन है कि कांस्टीटयूशन में यह तब्दीली हो रही है और उस तब्दीली में भाग न लेकर अपनी तकदीर का फैसला बाहर कर रहा है। यह मामला ही ऐसा है कि इसमें लोग दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। मैं समझता हूं कि माननीय हाफिज जी हमको इस बात का मौका देंगे ताकि हम अच्छी तरह से अपनी राय कायम कर सकें। मैं ऐसा समझता हूं कि जब ३६९ आर्टिकिल में ऐसी गुंजाइश की गयी थी और केवल पांच वर्ष के लिये मियाद रक्खी गयी थी उस समय उनका दिमाग बहुत साफ था जो कि कांस्टीटयूशन बनाने वाले थे। वे समझते कि ४६ से ४९ और फिर ४९ से ५ वर्ष की मियाद बढ़ाकर ५४ तक ऐसी एकोनोमिक अवस्था हो जायगी, एकोनोमी स्टेबीलाइज हो जायगी कि स्टेट गवर्नमेंट्स अपना काम मजे में चला सकेंगी और फिर ऐसी जरूरत न होगी कि सेंटर उनके लिये कोई लेजिस्लेशन करे। अब हम समझते हैं कि हमारे देश की स्टेट गवर्नमेंट्स स्टेबिलाइज कर गयी हैं और प्राईसेज भी स्टेबीलाईज हो गयी हैं। इसलिये ऐसी हालत में यह ठीक नहीं मालूम होता कि सेंटर इस चीज को अपने हाथ में ले। सेंटर ने जो कुछ किया है उसकी कारगुजारी तो हमको मालूम ही है, उसके तो हम भुक्तभोगी ही हैं। हम ही उसके लिये रोते हों ऐसी बात नहीं है, हमारे मिनिस्टर साहबान भी उसके लिये रोते रहते हैं और माननीय हुकुम सिंह जी तो रोज ही रोते हैं। वे कहते हैं कि

† वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गेंदा सिंह]

हमने चिट्ठी लिखी है, वे चुपके-चुपके चिट्ठी लिखते हैं और बताते भी नहीं हैं कि चिट्ठी क्या लिखी गयी है। अगर ऐसा नहीं है तो वे क्यों नहीं बताते क्या बात है, उसमें क्या वे अपनी बदनामी समझते हैं? हमारे देश में गन्ना एक कामर्शियल क्राप है और उसको सेंटर ने अपने हाथ में ले लिया है और पिछले दो वर्षों में करोड़ों रुपया मिल मालिकों को दिलवा दिया है। ६६ मिल मालिक यू० पी० और २५–३० बिहार के हैं और उनको ४० करोड़ के करीब रुपया दिला दिया है और इस प्रकार से करोड़ों किसानों की कमर तोड़ दी है। हम कहते हैं कि गो कि उनकी नीयत नहीं थी लेकिन जो कुछ हुआ उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ रहा है। हम यहां पर कोई बात कहते हैं लेकिन यह गवर्नमेंट मजबूर है। अगर इस गवर्नमेंट के हाथ में पूरी ताकत होती तो ऐसा नहीं होता। ज्वाइंट शुगर कंट्रोल बोर्ड में बैठ कर हम पास करते हैं कि गन्ने का भाव १रु० १२ आना मन हो और बिहार असेम्बली में भी उसका भाव यूनेनीमसली १ रु० १२ आना ही तय होता है।

हम कहते हैं कि चीनी २७ रुपया मन से अधिक की न होनी चाहिये लेकिन ३२, ३५ रुपया मन कुछ भी बिके उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। और इधर गन्ने का दाम १ रुपया ५ आना मन मुकर्रर कर दिया जाता है और यू० पी० बिहार वालों का जो दर्द है उसको बिल्कुल भी नहीं सुना जाता। माननीय सदस्य कहेंगे कि यह खामख्वाह ही गन्ने की बात कहने लगता है लेकिन पिछले वर्ष १६ करोड़ मन गन्ना सप्लाई हुआ, जिसमें ६–७ आना मन का नुकसान हुआ। उससे पहले २१ करोड़ मन गन्ना सप्लाई हुआ और उस पर ८ आना मन का नुकसान हुआ। फिर कैसे हम उसकी उपेक्षा करें?

उसी प्रकार से मैं आपको बतलाऊं कि जूट की बात है। हमने देखा कि श्री कृष्णाचारी साहब ने जहां जूट का नाम लिया वहां बंगाल, आसाम और हमारे पड़ोसी बिहार का भी नाम लिया लेकिन उन्होंने यू० पी० का नाम नहीं लिया। उनको मालूम ही नहीं है कि यू० पी० में भी जूट पैदा होता है। यू० पी० में हम लोगों ने जूट की पैदावार तिगुनी कर ली है। जहां आज सारे देश में जूट की तिगुनी पैदावार होने लगी है वहां हमारे यहां पैदावार तिगुनी से भी ज्यादा है मगर इसकी किसी को कोई खबर ही नहीं है। हमारा यू० पी० सारे देश में सब से बड़ा स्टेट है और सबसे बड़ा स्टेट होने के नाते चाहे जूट की खेती हो, चाहे गन्ने की खेती हो, चाहे किसी और चीज की खेती हो हमारी उपेक्षा होती है। हम यहां कोई प्रान्तीयता की बात नहीं कह रहे हैं और न करनी चाहिये। लेकिन हमें दुख है कि ऐसी चीजें जिन पर हमारी स्टेट अच्छी तरह निगाह डाल सकती है उन चीजों को सेंटर के अन्दर देना मुझे मुनासिब नहीं मालूम होता। मैं कांस्टीटयूशन के झगड़े में नहीं पड़ना चाहता हूं। बहुत से लोग सूरज की किरण या यूनिटरी गवर्नमेंट या फेडरेटेड गवर्नमेंट की बात भी कहते हैं लेकिन मैं उन झगड़ों में नहीं पड़ना चाहता। मैं सीधी सी बात यह कहना चाहता हूं कि अगर उस वक्त कांस्टीट्यूशन भी बना तो वह ५ वर्ष के लिये ही बना और इसके बनाने वालों ने भी कुछ अक्ल रख कर ही इसे बनाया था। लेकिन अब तो इन वस्तुओं को हमेशा के लिये ही कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया है; जितने सारे फूड स्टफ हैं उनमें कुछ ऐसे हैं जिनको जबर्दस्ती अपने हाथ में पकड़े रहे तो यह मुनासिब बात नहीं है। मैं समझता हूं कि हम डिसेंट्रलाइजेशन आफ एडमिनिस्ट्रेशन इकोनामी के पुजारी हैं। पं० जवाहरलाल जी भी जब चीन से लौट कर आये तब आते ही आते उन्होंने कहा कि बगैर काटेज इंडस्ट्रीज के हिन्दुस्तान का उद्धार नहीं हो सकता और अगर हिन्दुस्तान का उद्धार काटेज इंडस्ट्रीज से ही होने वाला है तो हमारी सारी शक्ति अगर केन्द्र के हाथ में ही दे दी जाय तो उसकी तरक्की कैसे हो सकती है? मैं अपने साथियों से पूछना चाहता हूं कि पुराने जमाने के पक्के गांधीवादी हैं और गांधीवादी विचारधारा से ओतप्रोत हैं फिर काटेज इंडस्ट्रीज की तरक्की सेंट्रलाइजेशन से कैसे होगी यह बात मेरी समझ में नहीं आती है।

एक बात और उपाध्यक्ष महोदय में निवेदन करूं कि दुनिया में आज जितनी भी गवर्नमेंट हैं, सब के यहां फूड स्टफ की कीमत गिर रही है। आज सारे संसार में खेती की पैदावार की कीमत गिर रही है। लड़ाई के बाद तो यह चीज होने ही वाली थी। क्योंकि दुनिया में कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो इसको रोक सके। बहुत सी जगह तो क्राइसेस की बात भी सुनने में आती है और उस क्राइसेस के बीच में ऐग्रीकल्चरल प्रोडक्ट की कीमत कंज्यूमर्स गुड्स की कीमत नीचे न गिरने पावे उसके लिये रूस और चीन की सरकारें क्या कर रही है उसका भी जिक्र न करके अमेरिका जो पूंजीवादी राष्ट्र है वह पूंजीवादी राष्ट्र होते हुए भी करोड़ों डालर इसके लिये खर्च कर रहा है ताकि इन सामानों की कीमत नीचे न आने पावे, उसका क्या परिणाम होगा? आज गुड़ के बाजार को ही ले लीजिये। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि श्री केशव गुप्त जी अपने मुजफ्फरनगर की हालत को ही देखें कि वहां क्या हो रहा है। जहां कुछ महीने पहले गुड़ का भाव १९, २० और २२ रुपये मन था जब कि गुड़ काश्तकारों के पास न होकर मिडल मैन के पास था वहां अब गुड़ ९ रुपये मन बिक रहा है और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट सोयी हुई है। श्री केशव गुप्त जी सोये हुए हैं। उनका फर्ज है कि वे सेंट्रल गवर्नमेंट को नींद से जगावें। इसी तरह से ५ रु० ६ आना से लेकर ६ रु० मन के बीच में अभी से मटर का सौदा हो रहा है, इस प्रकार से हर चीज की कीमत गिर रही है। मैं इस बात को मानता हूं कि कीमतें गिरनी चाहिये लेकिन एक सिस्टमेटिक ढंग से कीमतें गिरनी चाहिये। मैं पूछता हूं कि इंडस्ट्रियल गुड्स की कितनी कीमत गिरी है? सन् ५२ और ५४ के बीच में कपड़े की कितनी कीमत गिरी है? फैक्टरी के अन्दर तैयार होने वाले सामानों की कितनी कीमत गिरी है? आखिर आप ऐग्रीकल्चरिस्ट्स को किस तरफ ले जाना चाहते हैं? श्री केशव गुप्त जी को चाहिये कि वे इस बात को देखें कि आज मुजफ्फरनगर की गुड़ मंडी की क्या हालत हो रही है और वह ज्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, सेन्टर से हम क्या करें, हमारी मजबूरी है, हम उनसे आशा नहीं करते चाहे उनकी नियत पवित्र ही क्यों न हो लेकिन हम जो काम करते हैं उसका असर हम पर पड़ता है।

हमें खुशी है कि सेन्टर के कुछ काम अच्छे हैं जैसे वहां जो टी० ए०, डी० ए० आदि मिलता है वह सेंटर में हमारे चपरासियों से डयोढ़ा दुगुना मिलता है और वहां के नौकर मजे में हैं और वह स्टेट के नौकरों से मजे में हैं और उन्हें पैसा ज्यादा मिलता है। लेकिन काश्तकार सेन्टर से करीब नहीं पड़ता और न खेतिहर मजदूर उनके नजदीक पड़ता है, वह तो नजदीक पड़ता है माननीय मुख्य मंत्री जी के या यहां स्टेट से। इसलिए मैं सोचता हूं कि माननीय नारायण दत्त जी ने जो कहा कि ५ साल के लिये दे दो, तो मेरी राय तो यह है कि कतई न देना चाहिये और जो २६३ आर्टिकिल है उसके अनुसार प्रेसीडेंट को पावर है कि अगर ऐसी बात आये तो वह दुरुस्त कर लें। इसलिये मैं माननीय केशभान राय, माननीय केशव गुप्त और माननीय मिश्र जी से निवेदन करूंगा कि वह इस पर ज्यादा जोर न दें और मैं माननीय हाफिज जी से तो प्रार्थना करूंगा कि वह इस पर आज वोट न करायें और अच्छा हो कि हम इस पर जरा और सोच विचार कर लें और अच्छी ओपिनियन दें ताकि स्टेट के हक को न छीना जाय, वैसे तो वहां पर जो लोग हैं वे भी घर के ही आदमी हैं लेकिन वह लोग दिल्ली दूर होने के नाते समझ नहीं पाते हैं। शिवनारायण जी को मालूम है कि भुखमरी का इलाज हो रहा है, लेकिन पता नहीं कहां इलाज भुखमरी का हो रहा है, हम तो उसके लिये बरसों से चिल्लाते चिल्लाते मर गये। इसलिये मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं और मैं चाहता हूं कि यह प्रस्ताव पास न किया जाय और जिस प्रकार से कि यू० पी० ने पहले कोई राय नहीं भेजी थी उसी तरह से अब की बार भी हमें कोई राय न देना चाहिये और इसे अस्वीकार कर देना चाहिये।

श्री नौरंगलाल (जिला बरेली)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रस्ताव पर सदन में इस समय विचार हो रहा है वह बहुत महत्वपूर्ण है और संविधान से संबंधित है। संविधान एक बहुत महत्व की चीज है लेकिन इस समय जिस छोटी सी बात को इतना महत्व दिया जा रहा है वह ठीक नहीं है। संविधान एक महत्त्व की चीज होती है और साथ ही किसी देश का जो संविधान होता है वही असल में उस नेशन की आत्मा होती है और वह बदलती और बढ़ती रहती है। अगर हम उसमें कभी परिवर्तन न लायें और क़सम खा लें कि उसको बदलेंगे नहीं तो समझना चाहिये कि हमने अपनी राष्ट्र की आत्मा को मुरदा कर दिया और उसको दफना दिया। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि जिस समय भी संविधान में कोई तरमीम आये और तरमीम की जरूरत हो तो हमें नेशन की बदलती हुई स्पिरिट के साथ उसको बदलने के लिये तैयार रहना चाहिये, यह गलत है कि हम जिन लेटर्स में एक बार कांस्टीटयूशन को रख दें वैसे ही उसे हमेशा के लिये रहने दें क्योंकि नेशन की स्पिरिट बदलती रहती है और उसके साथ ही साथ संविधान का बदलना भी जरूरी है। संविधान में कभी रिजिडिटी नहीं होनी चाहिये बल्कि वह हमेशा फलेक्सिबिल होना चाहिये, उसको रिजिड हमेशा के लिये बना देना यह किसी प्रगतिशील जमात का काम नहीं है, यह तो रिएक्शनरी जमात ही कर सकती है। यहां सवाल यह पैदा होता है कि सेन्टर जो दो तीन चीजों पर कंट्रोल मांग रहा है वह उसे मिलना चाहिये या नहीं। देखना यह है कि आया हमें इन चीजों पर सेंटर का कंट्रोल होने से देश का फ़ायदा हो सकता है या नहीं। उधर से कहा जाता है कि विकेन्द्रीकरण के सिद्धान्त के अनुसार ऐसा नहीं होना चाहिये और जितनी भी शक्ति स्टेट के पास रहे वह अच्छा है। विकेन्द्रीकरण अच्छी चीज है और जहां तक हो सके स्टेट को पावर मिलनी चाहिये। लेकिन हर जगह तो यह विकेंद्रीकरण का सिद्धान्त नहीं चल सकता। विकेन्द्रीकरण के लिये यह भी बहुत आवश्यक है कि हम जागराफिकल परिस्थितियों को देखते हुये थोड़ा बहुत कंट्रोल केन्द्र के हाथ में रखें। बिना केन्द्रीय कंट्रोल के विकेन्द्रीकरण सफल भी नहीं हो सकता। अभी भाई गेंदा सिंह जी ने एक मिसाल दी है इस सदन में कि काटेज इंडस्ट्रीज के लिये विकेन्द्रीकरण होना आवश्यक है और सेंटर को इसके ऊपर कंट्रोल नहीं करना चाहिये। एक आर्गूमेंट उन्होंने दिया लेकिन मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि इसमें भी केन्द्रीय कंट्रोल आवश्यक है। इसलिये आवश्यक है कि जिस वक्त हम किसी इंडस्ट्री का विकेन्द्रीकरण करते हैं तो हमें यह ख्याल करना ही पड़ेगा कि कौन सी जगह पर कौन सी इंडस्ट्री कामयाब हो सकती है।

श्री उपाध्यक्ष—मैं देख रहा हूं कि कोई माननीय सदस्य अखबार पढ़ रहे हैं। यह तो शायद उचित नहीं है।

श्री नौरंगलाल—यह तो गेंदासिंह जी ने जैसा कहा कि इतनी बड़ी बात पर भी लोग नहीं ध्यान देते हैं तो इसीलिये तो मैं कहता हूं कि सेंटर को कंट्रोल दे दीजिये वह ध्यान तो देंगे। खैर, मैं अर्ज कर रहा था कि विकेंद्रीकरण के लिये केन्द्रीय कंट्रोल होना भी आवश्यक है। जैसे मद्रास के अन्दर कोई सामान अच्छा हो सकता है पंजाब में नहीं हो सकता, बिहार में नहीं हो सकता तो यह कौन तय करेगा। अगर स्टेट की सरकार को दे दिया जाता है तो वह तो एक छोटा सा यूनिट है। वह अपने यहां के हिसाब से प्रोडक्शन करेगा और तमाम बातों को वह कंसीडरेशन में नहीं ले सकता कि मद्रास के लोग उस चीज को अच्छी पैदा कर लेते हैं और सस्ती भी और उसका परिणाम क्या होगा सिवाय इसके कि वह इंडस्ट्री फेल हो जायगी और लेबर लास्ट हो जायगा। तो इसलिये विकेन्द्रीकरण की आवश्यकता को मानते हुये भी जागराफिकल परिस्थितियों का विचार करना ही पड़ेगा और यह विचार केन्द्रीय सरकार ही कर सकती है। इसलिये यदि आप चाहें कि केन्द्रीय व्यवस्था बिल्कुल ही न हो तो वह गलत सी चीज हो जायगी। यदि आप चाहें

भी कि कंपलीट आइसोलेशन हो वह हो नहीं सकता। इसलिये यदि माननीय गेंदा सिंह जी काटेज इंडस्ट्रीज के लिये चाहें भी कि बिल्कुल डिसेंन्ट्रलाइज होना चाहिये तो वह लाजिक और तर्क से ठीक नहीं मालूम होता है।

अब सवाल पड़ता है कि हम क्यों कंट्रोल दें इन तमाम चीजों पर। अभी इंडस्ट्रीज पर दिया है और अब जूट इंडस्ट्रीज, काटन और फूड प्राडक्ट्स पर और इन तमाम चीजों से सम्बन्धित इम्पोर्ट पर भी कंट्रोल दे दें। इसका जवाब यह है कि हम अगर चाहते हैं कि प्लानिंग कामयाब हो और प्लानिंग सेंटर में है और जब प्लानिंग को कामयाब बनाना है इसमें भी मतभेद नहीं है कि प्लानिंग को कामयाब होना चाहिये और प्लानिंग सेन्टर में है इसमें भी मतभेद नहीं है तब तो आवश्यक हो जाता है। जिन सवालों पर जिन वस्तुओं पर वह अपना कंट्रोल चाहें वह हमें देना पड़ेगा नहीं तो हमारी प्लानिंग कामयाब नहीं हो सकती। प्लानिंग की कामयाबी के लिये आवश्यक है कि सेन्टर को ताकत मिले। जो योजनायें हैं सारे देशों की हैं उनको कामयाब बनाना है। अगर प्लानिंग को कामयाब नहीं बनाना है तब तो दूसरी बात है लेकिन प्लानिंग के बिना देश का उद्धार नहीं हो सकता और इसके लिये सेंटर को कंट्रोल देना पड़ेगा। और जब इस प्लानिंग की कामयाबी के लिये इन तमाम चीजों के रा मेटीरियल पर कंट्रोल उनको देना पड़ेगा। तब इसके साथ साथ आवश्यक है कि इनके इम्पोर्ट का भी नियंत्रण उनके हाथ में देना पड़ेगा। यह छोटा सा सवाल है और उसका छोटा सा जवाब भी है। इसमें परेशानी की क्या बात है? शुगर का एक मसला चल रहा है। बड़ा जटिल सा मसला है। मजदूरों को कम तनख्वाह दी जाती है और किसानों को कम मिलता है। इसको इसलिये सेन्टर के हाथ में नहीं देना चाहिये यह कहा गया। लेकिन इसमें सोचने की बात यह है कि इसमें सवाल यह पैदा होता है कि अगर हम स्टेट को ये सबजेक्ट दिये देते हैं तो अपने मत के अनुसार स्टेट जहां चाहे गेहूं पैदा करे, जहां चाहें जौ पैदा करें और चाहें गन्ना पैदा करें। लेकिन सोचना तो यह है कि नेशनवाईड इंटेरेस्ट के लिये कौन सी चीज हमको कहां पैदा करना जरूरी है।

शुगर का ही मामला है। यू० पी० में शुगर का काफी प्रोडक्शन है। लेकिन अगर यह सेंटर के कंट्रोल में न हो और यू० पी० अपने हिसाब से उसका प्रोडक्शन करे तो जो शुगर बाहर के मार्केट्स से जावा वगैरह से आती है वहां पर अगर बहुत ज्यादा पैदा होती है तो यहां हमारा कास्ट आफ प्रोडक्शन होगा और वहां से लोअर कास्ट आफ प्रोडक्शन में पैदा होने की वजह से वह मार्केट में शुगर डम्प की जा सकती है और फिर हमारी इंडस्ट्री को बहुत लास हो सकता है। इसलिये शुगर इंडस्ट्री के लिये सारा कंट्रोल सेन्टर में ही रहना अच्छा है कि कितनी मात्रा में शुगर उत्पन्न की जाय। इसलिये अब सवाल यह है कि हम अपने देश में या स्टेट में शुगर इंडस्ट्री रखें या गेंहूं रखें या काटन रखें। अगर आप दबाव में आ जायेंगे तो अपनी गेहूं या काटन की पैदावार को बढायेंगे नहीं, शुगर की पैदावार बढायेंगे लेकिन यह सेंटर के देखने की बात है कि फिलहाल हमें किसकी जरूरत है। आज शुगर इंडस्ट्री अनप्राफिटेबिल हो रही है और हमें जरूरत गेहूं और काटन की है। अगर हम राष्ट्रीय प्वाइन्ट आफ व्यू से देखें तो हमें गेहूं और काटन की जरूरत है और शुगर अगर हम खत्म भी कर दें तो उसे हम चीप रेट पर बाहर से मंगा सकते हैं। इसके बरखिलाफ अब अगर हम शुगर ही पैदा करते हैं तो जिन बाहरी देशों से हमें मशीनें मंगानी है वह मशीनें नहीं भेज सकते। इसलिये कि मशीनों के बदले में उन्हें हमारी शुगर की जरूरत नहीं है। तो इसलिये अगर हमें दूसरे देशों से कोई चीज मशीनें आदि मंगानी है तो हमें इसके लिये कोई दूसरी चीज पैदा करनी पड़ेगी। हमें कोई ऐसी चीज पैदा करनी पड़ेगी कि वह अपनी मशीनों के बदले में उसे हमसे ले सकें और इसके लिये हमें गेहूं और काटन पैदा करने की जरूरत है। इन चीजों की डिमांड है यूरोप में और बाहर के दूसरे देशों में भी। अगर हम यह दोनों इंडस्ट्रीज अपने यहां डेवलप करते हैं तो हमारा भला हो सकता है। यह करके हम डालर कंट्रीज से भी

[श्री नौरंग लाल]

माल मंगा सकते हैं और स्टर्लिंग कंट्रीज से भी माल मंगा सकते हैं और अगर हम ऐसा नहीं करते और शुगर ही पैदा करते चले जाते हैं तो वह चीप होती चली जायगी और इस तरह से आपका सत्यानाश हो जायगा और इसलिये हमें शुगर को डिस्करेज करना चाहिये और काटन और गेहूं को इन्करेज करना चाहिये।

आज हम देश को किस तरफ ले जा रहे हैं इसे हमें देखना चाहिये। इंग्लैन्ड आज इसीलिये घबड़ा रहा है कि हमारी काटेज इंडस्ट्री बढ़ रही है, जहां मैनचेस्टर इंडिया को रूल करता था वहां आज इंडिया मैनचेस्टर को रूल करने जा रहा है। क्या हम इस एडवांटेज को छोड़ दें, मैं समझता हूं कि काटन इंडस्ट्री हमारी जापान के बाद में दूसरे नम्बर पर होगी और हमारे लिये यह बुद्धिमत्ता की बात न होगी कि हम अपनी काटेज इंडस्ट्री को इन्करेज न करें। तो इसके लिये हमें गेहूं और काटेन को अवश्य ही सेंटर को दे देना चाहिये ताकि जिन जिन मुकामों पर वह समझता है कि गेहूं अच्छी तरह और कम कास्ट आफ प्रोडेक्शन में पैदा हो सकता है, इसी तरह से जहां काटन के लिये ऐसा ही समझता है, वह वहां ह्वीट और काटन पैदा कराये। यह देश का एक बड़ा और महान् इंटरेस्ट है और इसके सामने हमें छोटे इंटरेस्ट की परवाह नहीं करनी चाहिये। इसलिये आपको इसका विरोध करने से पहले सोचना चाहिये कि वह इंडस्ट्री कि जिससे हमारे देश की उन्नति हो सकती है, हमारा देश प्रगति के पथ पर बढ सकता है उसको इंकरेज करना, बढ़ाना और जिस इंडस्ट्री से आपको ज्यादा प्राफिट नहीं है, जिसकी विदेशों में मांग नहीं है उसको डिस्करेज करना आपका परम कर्त्तव्य है और यह काम सेंटर का है जिसके लिये आपको सेंटर को ताकत देनी होगी। ऐसा करके आप अपने अधिकारों का कोई अनड्यू एडवांटेज उन्हें नहीं दे रहे हैं। हमें अपनी जगह पर यह सोचना चाहिये कि हम कौन सी चीज को अपने देश में ज्यादा पैदा करके उसकी उन्नति ज्यादा कर सकते हैं। उन्होंने एग्री-कल्चर, जूट और कपास पर नियंत्रण मांगा है। अब सवाल यह है कि यह अधिकार उन्हें देने से क्या आपके हाथ कट जायेंगे, ऐसा भी नहीं होता है। लेकिन अगर यह सदन मुनासिब समझता है कि इसमें कुछ रद्दोबदल की जरूरत है तो वह अपना कोई एक कानून पास कर सकता है। आपको इसके लिये कोई मना नहीं कर सकता लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि जिस वक्त आपका कानून पास होगा और उसी के साथ एक कानून पार्लियामेंट का होगा, तो जहां पर दोनों में संघर्ष होगा, जहां दोनों में एख्तिलाफ होगा वहां पार्लियामेंट का कानून चलेगा और वहां पर हमें दब जाना चाहिये। पार्लियामेंट का जो कानून बनेगा वह सारे देश का एक कानून होगा, सारे देश को देख कर, सारे देश का ध्यान रखते हुये वह कानून बनाया जायगा, वह कानून एक बड़ी तस्वीर को सामने रखते हुए बनाया जायगा जब कि हमारा कानून एक छोटी तस्वीर को सामने रख कर बनाया हुआ होगा तो उनके तजुर्बे को बड़ा मान कर हमें उनके सामने झुक जाना चाहिये, इसी में हमारी जीत है हमारी हार नहीं है। इससे हमारी शान कम नहीं होती और ऐसा मान कर हमें सेंटर की बात मान लेनी चाहिये।

जहां तक मेरा ख्याल है सेंटर कभी भी प्राविंशियल एटोनोमी के खिलाफ नहीं जायगा इसलिये कि वहां पर भी स्टेट के मेम्बर होते हैं और वे सोच समझ कर ही बिल पास करते हैं। जो यहां का कानून पास होगा उसको सेंटर भी मानेगा। लेकिन हो सकता है कि कभी कभी मतभेद भी हो जाय। इसमें कोई दुख की बात नहीं है। अब जैसे प्लानिंग का मामला है इसके लिये अत्यन्त आवश्यक है कि हम सेंटर को कंट्रोल दें इस बात का कि जिन जिन इंडस्ट्रीज पर चाहे वह कंट्रोल रखे क्योंकि सेंटर जितना अच्छा इस चीज को देख सकता है, समझ सकता है कि कहां क्या चीज कम कीमत पर अधिक पैदा हो सकती है जिससे हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी हो, उतना हम नहीं देख सकते। बल्कि मैं तो यहां तक कहता हूं कि सेंटर सब इंडस्ट्री को नेशनलाइज कर दे और बिना कमपेन्सेशन। हम नहीं चाहते कि मामूली-मामूली टुकड़े इस तरह बने रहें। इस तरह देश की उन्नति नहीं हो पायेगी। अगर हमें अपनी प्लानिंग को कामयाब बनाना है तो उसके लिये हमें यह नियंत्रण सेन्टर को देना है। एक तरफ तो प्लानिंग बनाने

का आप नारा लगाते हैं और साथ-साथ आप यह कहते हैं कि हम सेंटर को पावर नहीं देते, यह गलत है। जो सेंटर कंट्रोल मांगता है वह न्यायपूर्ण और आवश्यक है। और यह जो संविधान में संशोधन किया गया है वह तर्क पूर्ण है और स्वीकार होना चाहिये।

*श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत संकल्प के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। इस सदन में बड़े लम्बे चौड़े भाषण संकल्प के ऊपर हुये। मैं सभी आदरणीय सदस्यों के विचारों का आदर करता हूँ परन्तु इसके माने यह नहीं हैं कि मैं उनकी विचारधारा से सहमत हूं। मैं यह बताना चाहता हूं कि संसार के कांस्टीट्यूशन जितने भी हैं, उनमें कोई सुन्दरता की वस्तु नहीं हुआ करती है। ललित कलाओं के समावेश का प्रश्न नहीं उठता। खासकर जब कांस्टीट्यूशन उन आदर्शवादी लोगों ने बनाया हो जिन विद्वानों को किताबों ने पैदा किया हो, दुनिया के तजुर्बे से नहीं, उस कांस्टीट्यूशन को बदलना नितान्त आवश्यक है। कान्स्टीट्यूशन को वही लोग बना सकते हैं और बनाने का दावा रख सकते हैं जिन्होंने मुल्क की जरूरतों को देखा है। जिन्होंने अपने राष्ट्र के लोगों के कस्टम्स, उनकी विचारधाराओं, उनके कल्चर को, उनकी संस्कृति का मनन जिन्होंने किया है, वही लोग कान्स्टीट्यूशन बनाने में फलीभूत हो सकते हैं। लेकिन आज के संसार में मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं, बड़े बड़े राष्ट्रों के ऊपर मार पीट कर कांस्टीट्यूशन थोपा जा रहा है जो कि उनका कान्स्टीटट्यूशन नहीं है। क्योंकि कुछ राष्ट्र दुनिया के अन्दर अपने महत्व को कायम रखने के लिये, कुछ राष्ट्रों को पददलित करके उनके ऊपर जबरदस्ती कान्स्टीट्यूशन लाद रहे हैं। मैं कुछ इंस्टांस इस सदन के सामने उपस्थित करना चाहता हूं।

जिस प्रकार चीन, जर्मनी और दूसरे राष्ट्र हैं जिनकी सभ्यता और संस्कृति भिन्न है, जापान के ऊपर वह कान्स्टीट्यूशन थोपा जा रहा है "which is not the product of the land, not the product of the genius of that country" वह कांस्टीट्यूशन गैर जहनियत, गैर सांस्कृतिक तथा गैर मुल्की है। आप समझते हैं वह कांस्टीट्यूशन उस पौधे की तरह है जो कि इंगलैन्ड में पनप सकता है। क्या आप उसको दूसरे जोन में लाकर पनपा सकते हैं? हर्गिज नहीं। जिस मुल्क की सभ्यता, संस्कृति तथा जरूरतों के मुताबिक कान्स्टीट्यूशन नहीं है वह पनप नहीं सकता है। इसलिये मैं बताना चाहता हूं कि हमारे भाइयों ने इस बात को महसूस किया कि जो कान्स्टीट्यूशन बनाया गया उसमें कुछ कमी है उसे हमें दूर करना है। जिन्होंने इस अमेंडमेंट को पार्लियामेंट में मूव किया है उनका मतलब हम नहीं समझ पाये। उनका मतलब अगर यह है कि वह मुल्क की प्रतिष्ठा को उठाना चाहते हैं, मुल्क की आमदनी को बढ़ाना चाहते हैं तो उनको पहले भारत का जो एक्सपोर्ट है उसमें दुनिया के राष्ट्रों का विश्वास पैदा करना चाहिये। अगर भारतवर्ष की पार्लियामेंट इस काम को अपने हाथ में ले लेती तो मुल्क जल्दी प्रगति कर सकता था। क्वालिटी मार्किंग गुड्स का प्रोडक्शन, उनकी क्वालिटी और उनकी क्वालिटी का विश्वास कस्टमर्स में पैदा करना ये ऐसे काम हैं कि जिनके किये बगैर हम दुनिया के देशों का विश्वास नहीं प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा काम है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का। हमारे देश के इंडस्ट्रिअल डेवलपमेंट का एक नकशा बनाना होगा और उस नकशे के अनुसार कोई भी इंडस्ट्री वहीं कायम की जाय जहां कि उसके लिये उपयुक्त रा मैटीरिअल मिल सके। छोटी-छोटी स्टेट भी अगर उनके यहां थोड़ी सी पैदावार जूट की है तो वह अपने यहां जूट की इंडस्ट्री खोल लें, मिलें खड़ी कर लें तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार से मिलें कायम कर लेने से हम न इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ा सकते हैं और न इससे देश का भला कर सकेंगे। इस तरह से हमारे माल के ऊपर किसी का विश्वास नहीं पैदा किया जा सकेगा। इसीलिये सेंट्रल गवर्नमेंट को खुद अथारिटी इस बात की होनी चाहिये कि वह गुड्स को, रा मैटीरिअल्स को खुद उन सेंटर्स पर मुहैय्या कर सकें जहां कि उनकी एक बड़े पैमाने पर आवश्यकता है और जहां कि उनकी क्वालिटी को इस प्रकार किया जा सकता है कि हमारे माल पर दुनिया विश्वास रख सके और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चन्द्र सिंह रावत]

वह यह मान सके कि हिन्दुस्तानी जितना गुड्स प्रोड्यूस करते हैं उनकी क्वालिटी वही होती है जो कि होनी चाहिये, इससे हमारे राष्ट्र का उत्थान हो सकता है।

मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारे संविधान में कई कमियां हैं। उन कमियों के होते हुये हम उसके गीत नहीं गा सकते हैं। जब तक तजुर्बा हमें यह नहीं बताता कि इससे हमारे राष्ट्र का विकास हो सकता है तब तक हम यह कैसे कह सकते हैं कि हमारा कांस्टीट्यूशन परफेक्ट है। वह तो तभी मालूम होगा जब कि हमारे कांस्टीट्यूशन की धारा हमारी टांग को पीछे न खींचे बल्कि हमारे राष्ट्र को प्रगति के रास्ते पर आगे ढकेलते हुये मुल्क को ऊंचे स्थान पर प्रतिष्ठित कर सकें। इसलिये मैं इस सदन से निहायत अदब के साथ यह प्रार्थना करूंगा कि हम लोगों को किताबी पंडित नहीं होना चाहिये। हमें इंसानों की जिन्दगी का पंडित होना चाहिये क्योंकि हमें इंसान के लिये व्यवस्था करनी है। आदर्शों के लिये हमें व्यवस्था नहीं करनी है, आदर्श तो हम संसार में इसलिये प्रीच करते हैं कि इंसान की जम्हूरियत उसकी क्रियाशील बुद्धि नीचे की ओर न गिरे बल्कि ऊपर की ओर उठे। हमारे कांस्टीट्यूशन में गलतियां हैं। यह मनुष्यों का बनाया हुआ है लेकिन उसमें गलतियां इसलिये हैं कि बनाने वाले बड़े-बड़े आइडिअलिस्ट थे। आदर्शवादी व्यक्तियों द्वारा कोई कानून इंसानों के लिये नहीं बनाया जा सकता। मनु का कांस्टीट्यूशन मौजूद है लेकिन उसे आज उठाकर फेंक दिया गया इसीलिये कि आदर्शवादी कानून से मुल्क को आगे नहीं ले जाया जा सकता। मैं तो यह कहता हूं कि आप ऐसे कानून की प्रतिष्ठा को उसी वक्त खो देते हैं, ऐसे कानून के लिये उसी वक्त गड्ढा खोद देते हैं जब आप उसे ऐसा रूप देते हैं। इस प्रकार के कानून को बनाना, पैदा करना कोई इज्जत का काम नहीं है, कोई सम्मान का काम नहीं। मैं इस प्रकार के कांस्टीच्यूशन का हामी नहीं हूं। मैं समझता हूं कि प्रगतिशील कानून वह है जो हमारे लिये सोर्स आफ डेवलपमेंट है और मैं ऐसे ही कांस्टीट्यूशन का हामी हूं। इसी प्रकार के कांस्टीट्यूशन को मैं चाहता हूं। इसलिये हाथ ऊंचा उठाकर, बुद्धि से काम लेकर अगर हम आगे बढ़ें तो इसमें दो रायें नहीं हो सकती हैं। अगर आप चाहते हैं कि एक स्टेट को कंट्रोल करके सारा भारतवर्ष ऊंचा उठ जाय तो यह कभी नहीं हो सकता है जब तक सब स्टेट्स कोआपरेट न करें, जब तक कि स्टेट्स का पूरा विकास नहीं होता है, जब तक कि सब में एक आवाज पैदा न हो तब तक हमारा राष्ट्र ऊंचा नहीं उठ सकता है। इसलिये जो अमेंडिंग बिल पार्लियामेंट ने उपस्थित किया है, मैं समझता हूं कि अगर हम उनके विचारों को बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो हम इस निश्चय पर पहुंचेंगे कि एक मत से हम सबको इसका समर्थन करना है।

*श्री पद्मनाथ सिंह (जिला आजमगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कांस्टीट्यूशन रिजिड और फ्लैक्सीबिल अब तक संसार में दो नामों से प्रसिद्ध रहे हैं। रिजिड कांस्टीट्यूशन के मुकाबले में फ्लैक्सीबिल कांस्टीट्यूशन को अधिक पसन्द किया गया है। इंगलैन्ड के लिये कहा जाता है कि वहां फ्लैक्सीबिल कांस्टीट्यूशन है और वह कंवेंशन के आधार पर बनता है। हमारे यहां का कांस्टीट्यूशन रिटिन कांस्टीट्यूशन है और उसमें बार बार अमेंडमेंट आते हैं इसलिये इसकी फ्लैक्सीलिटी को रिजिड न होने का एक आधार मिलता है। अमेरिका का कांस्टीट्यूशन रिटिन जरूर है लेकिन इसके संबंध में अधिक दिक्कत इसलिये नहीं पड़ी कि वहां का प्रेसीडेंट उसको इंटरप्रेट करता रहता है वर्तमान परिस्थितियों के मुताबिक। हमारे यहां के कांस्टीट्यूशन को बनाते समय यह परेशानी थी कि अगर यह रिजिड हुआ और फ्लैक्सीबिल नहीं हुआ तो हमारा देश एक ही स्थिति में रह सकता है। इसलिये फ्लैक्सीबिल कांस्टीटयूशन बनाना अच्छा है और कन्वेन्शन पर बनने वाला कानून अच्छा है तो इसमें संशोधन की गुंजाइश के संबंध में हमारा ख्याल यह है कि यह एक अच्छे कांस्टीट्यूशन होने का द्योतक है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कांस्टीट्यूशन बदलता रहना चाहिये और संशोधन होने रहने चाहिये। जो लोग कांस्टीट्यूशन के बदलने का विरोध करते हैं वह स्टेटस को चाहते हैं। वर्तमान स्थिति में कोई परिवर्तन न हो इसीलिये वह गालिबन कांस्टीट्यूशन के संशोधन का विरोध करते हैं। हमारे यहां के कांस्टीट्यूशन के संबंध में एक चीज है कि वह बहुत ही लम्बा है। एक तरह से वह एक लेजिस्लेशन सा है और उसमें बहुत बड़ी डिटेल्स की बातें हैं। रूस का कांस्टीट्यूशन केवल ४५ पेज का है। चीन के कांस्टीट्यूशन में भी फंडामेंटल बातें ही हैं जैसे लेबर और मैन पावर इत्यादि की कुछ खास खास बातें ही कही गई हैं। लेकिन हमारे यहां का बहुत डिटेल्ड कांस्टीट्यूशन है। मस्लन जो यह अमेंडमेंट उपस्थित है उसकी भी एक लिस्ट है, एक इनैक्टमेंट स्टेटमेंट की बात है, लेजिस्लेशन की बात है। इसलिये हमें आवश्यकता पड़ती है कि हम इसको समय-समय पर बदलते रहें। अगर ऐसी बात होती जो सर्वदा के लिये, प्रत्येक काल के लिये सत्य होती तो ऐसी बात अगर कांस्टीट्यूशन में कह दी जाय तो कोई हर्ज नहीं। उसका जैसा भी चाहें हमेशा अर्थ लगा सकते हैं और फिर भी अपनी जगह पर वह ज्यों के त्यों पड़े रहेंगे। लेकिन जब हम तफसील में जाते हैं तो उस वक्त अमेंडमेंट की भी जरूरत पड़ा करती है। तो इस हैसियत से इस कांस्टीट्यूशन के अमेंडमेंट पर अगर हम विचार करें तो दो तीन बातें हमें दिख पड़ेंगी। एक तो वह कांस्टीट्यूशन जो युग के साथ, प्रत्येक समय में परिवर्तित होने की क्षमता रखता हो या जो कांस्टीट्यूशन के इंटरप्रेट करने वाले हों वे क्षमता रखते हों और दूसरे वह कांस्टीट्यूशन जो हमेशा मानव आवश्यकताओं को ध्यान में रखे। वह कांस्टीट्यूशन प्रगतिशील इसलिये होगा कि कल जो बात थी वह आज नहीं है और जो आज है वह कल नहीं होगी और जो परसों होगी वह दूसरे दिन नहीं होगी, इसलिये कि दुनिया बदलती रहती है, समाज बदलता रहता है।

इस सिलसिले में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान का जब कांस्टीट्यूशन बना तो एक बड़ा ही अजीब सा समय था, हम ट्रांजिशनल पीरियड में चल रहे थे, लड़ाई खत्म हुई, हमारा देश आजाद हुआ, तरह तरह की मनोवृत्तियां हमारी मोल्ड हो रही थीं, कई तरह के एकोनामिक इंटरेस्ट्स का हमें समन्वय करना था। जब हम रेवोल्यूशन नहीं करते हैं, जब हम किसी का सिर नहीं काटते हैं तो हमें हृदय के परिवर्तन से या परिस्थितियों के परिवर्तन से समाज को एक दिशा में मोल्ड करना होता है। हमारा देश आज भी लड़ाई के बाद स्वतंत्रता प्राप्त करने के पश्चात् दुनियां के ऐसे प्रकरण में चल रहा है कि जब एक तरफ अपनी अभी अभी वेस्टर्न जर्मनी को आर्म करने का प्रश्न आया है तो ऐसा लगता है कि एक तीसरी लड़ाई की नींव डाली गयी है। तो एक ऐसी परिस्थिति भारतवर्ष में भी आ जाना चाहती है जब कि जीवन की आवश्यकता की चीजों पर, कामर्स और इंडस्ट्री पर तथा खेती से पैदा होने वाली चीजों पर कंट्रोल करने की आवश्यकता होती है। आज से चार या छः वर्ष के बाद या कल परसों अगर लड़ाई छिड जाय तो फिर वह परिस्थिति आ सकती है जो कि सन् १९४५ या ५० में थी। तो फिर सेंटर से कंट्रोल करने की परिस्थिति पैदा हो सकती है। तो इन तमाम चीजों को देख कर अगर हम समझें आज वह परिस्थिति नहीं है और आज जो दुनियां का कांटेक्स्ट है उसमें तो हम इस इक्वीलिब्रियम पर हैं जहां पर हम शांति से कुछ दिनों के लिये एक ऐसी व्यवस्था बना सकें जिसमें कि देश में जो परिस्थिति आज पैदा है वह २०, ५० वर्ष के लिये हो सके। जैसे फूडस्टफ्स में प्राइसेज के फाल होने का प्रश्न है। आज से एक वर्ष पहले परिस्थिति दूसरी थी लेकिन आज एक वर्ष बाद और मेरा विश्वास है कि आज से ६ महीने बाद इससे भी ज्यादा सस्ता अनाज होने की सम्भावना है।

मैं केवल यह प्वाइंट आउट करना चाहता हूं कि आज जो परिस्थिति हमारी है आजादी के पश्चात् दुनिया के कांटेक्स्ट में वह ऐसी है जिसमें मिनट टु मिनट, डे टु डे और मन्थ टु मन्थ परिवर्तन के प्रश्न पर विचार करना होगा। जो यह कहा गया है कि कांस्टिटयूशन में इस परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, परिवर्तन बार-बार अच्छा नहीं होता है, मैं माननीय गेंदा सिंह जी से पूछता हूं कि जमींदारी एबोलीशन ऐक्ट में अगर सीलिंग

[श्री पद्मनाथ सिंह]

फिक्स अप करने और कम्पेनसेशन के प्रश्न को दूर करने के लिये सेंटर कांस्टिटयूशन में अमेंडमेंट करे तो क्या वह उसे वेलकम नहीं करेंगे ? जरूर करेंगे क्योंकि इसमें उनका इंट्रेस्ट लाई करता है। यह हर्गिज नहीं कहेंगे कि कांस्टिटयूशन का फोर्थ अमेंडमेंट वांछनीय नहीं है। जिस समय कांस्टिटयूशन बना, जिस समय आज हम हैं और जो आगे आने वाला समय है, जो परिस्थितियां हैं उनमें अमेंडमेंट की बहुत आवश्यकता है और आवश्यकता आगे भी हो सकती है। चीन से वापस आने के बाद पंडित नेहरू ने इंडस्ट्रीज के बारे में नई नीति अपनानी शुरू कर दी। उसमें कम्पेनसेशन का सवाल आउट आफ डेट है, नेशनलाइजेशन बहुत आवश्यक हो गया है। इसके लिये कांस्टिटयूशन को अमेंड करने की आवश्यकता पड़ेगी और कोई भी प्रगतिशील दल ऐसा नहीं होगा जो इसका विरोध करे इसलिये कि बार-बार कांस्टिटयूशन में अमेंटमेंट हो रहा है।

सेंट्रलाईजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का प्रश्न होता है। डिसेंट्रलाइजेशन उस समय अच्छा होता है जब एक ऐसी स्टेटिक स्थिति पर पहुंच जायं, ऐसे शान्ति के युग में पहुंच जायं, जब हम टेंशन पीरियड से उस अवस्था में पहुंच जायं १०० या ५० वर्ष के लिये—१०० या ५० वर्ष का नाम लेना आज के वक्त में तो असंगत होगा—१०, १५ या २५ वर्ष के लिये हमें ऐसा दिखाई पड़े कि शान्ति का युग है, पूरा संसार इस तरह से चल रहा है जिसमें कोई गड़बड़ न होगी तब हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात सोच सकते हैं और उसके लिये व्यवस्था होनी चाहिये। लेकिन जैसा कि अन्य प्रकरणों में भी निवेदन किया है कि डिसेंट्रलाइजेशन भी होता रहेगा लेकिन साथ ही साथ उसे सेंट्रल कंट्रोल की आवश्यकता होगी इंडस्ट्री के लिये।

चीन से वापस आने के बाद नेहरू जी ने कहा कि चीन को भी एक बहुत बड़ी परेशानी है। उनके देश का सर्वे पूर्ण नहीं है। उन्हें ज्ञात नहीं है कि कहां कौन चीज प्राप्त है, किस चीज की कहां असुविधा होगी, कौन सी इंडस्ट्री कहां एस्टेब्लिश होनी चाहिये, कहां उसका उपयोग है, कहां उसके लिये उपयोगी सामान उपलब्ध हो सकता है। हमारे देश में भी ऐसे सर्वे की आवश्यकता है और यह सर्वे यूनियन गवर्नमेंट ही कर सकती है और इस सर्वे को जब यूनियन गवर्नमेंट करेगी तो जैसी स्थिति इस वक्त होगी वैसा वह निर्णय करेगी। फूड, जूट या अन्य सामान उत्पन्न करने वाली इंडस्ट्रीज का सामान हो या बाहर से सामान मंगाने का सम्बन्ध है जो हमारे जीवन को नित्य प्रति इफेक्ट करते हैं उसी के हाथ में यह चीजें पूर्णतया रहनी चाहिये जो ताकत सारे भारतवर्ष पर कंट्रोल करती है और फारेन फोर्सेज को देखती हो। हमें यह देखना है कि आया यह देश के हित में होता है या नहीं। देश का हित महत्वपूर्ण है न कि सेंट्रल का प्रश्न। यह प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिये कि यह प्रश्न तो हमारी स्टेट से सम्बन्ध रखता है। स्टेट भी तो सेंटर की एक यूनिट मात्र है और हम जो काम करते हैं वह पूरे सेंट्रल के लाभ के लिये, सफलता के लिये, करते हैं। तो इस दृष्टि से हमें यह देखना चाहिये। सेंटर के हाथ में शक्ति हो और ठीक से उसका उपयोग न होता हो तब तो विरोध हो लेकिन इसलिये विरोध होता है कि यह काम तो स्टेट का है, सेंटर का नहीं, यह उचित नहीं है।

एक बात यह भी है ४ साल के लिये यानी सन् ५४ तक के लिये अधिकार मांगा गया और अब ६०–६५ तक के लिये अधिकार मांगा जा रहा है क्योंकि परिस्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, टेंशन वही है तो इसमें फिर वैसा करने की आवश्तकता होगी ही। ६५ को ७५ कर दिया जाय या ८० कर दिया जाय। नित्यप्रति के प्रकरणों में इन चीजों पर गौर करने की आवश्यकता है। कांस्टीटयूशन का अमेंडमेंट एक कारण से और होना अनिवार्य है। चाहे वह कांस्टीटयूशन मेकिंग में डिफेक्ट के कारण हो या उसका कोई और कारण हो लेकिन जो कांस्टीटयूशन हमारे देश का है उसमें एक दोष

लाजमी तौर से है, और उसे स्वीकार करने में मुझे कोई संकोच भी नहीं है और वह यह कि बड़ी जल्दी में कांस्टीटयूशन बना । १९४७ में हमारा देश आजाद हुआ था और १९५० में वह कांस्टीटयूशन पूरा हुआ । तो हमारी जो शिक्षा थी वह केवल इंगलैण्ड की शिक्षा थी, अमेरिका की शिक्षा थी और फ्रांस की शिक्षा थी। हमारे लायर, डाक्टर और बैरिस्टर या जो भी लिटरैरी आदमी थे वह सब इंगलैण्ड, फ्रांस और अमेरिका की शिक्षा के आधार पर शिक्षित थे। हमने जो सोचा वह इन ही देशों की लाइन्स पर सोचा और उस वक्त जो हमने अपना संविधान बनाया वह इन देशों के अपने जो संविधान थे उनकी नकल करने के तरीके पर ही बनाया । इस कारण जो हमारा संविधान बना उसमें संशोधन करने की आवश्यकता पड़ेगी और जैसे जैसे हम अपने देश को समझते जायंगे और यहां की आवश्यकता को समझते जायंगे उसी तरह से उसमें अमेंड करने की आवश्यकता भी पड़ेगी। इसी वजह से यह संशोधन भी आज हमारे सामने आया है और मैं इस अमेंडमेंट का स्वागत करता हूं ।

*श्री अवधेश प्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बड़े ध्यानपूर्वक इस संकल्प पर हुये विवाद को सुनता रहा और सहसा जैसा कि एक माननीय सदस्य अपने भाषण के उपरान्त में यह कहने की आवश्यकता समझता है कि म इसका विरोध करता हूं या समर्थन करता हूं, मैं इस प्रकार से कहने की आवश्यकता नहीं समझता हूं। यह एक ऐसा विषय है जिस पर हमको बहुत गम्भीरता-पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। मान्यवर, आज जो भाषण हुये उनमें कुछ लोगों का अभिप्राय यह था कि भारतीय संविधान में संशोधन होना और बहुत थोड़े समय में ही संशोधन होना उसके विचारों में परमआवश्यक प्रतीत होता है। इसके ऊपर हमें बहुत शान्ति से विचार करना है और यह देखना है कि यह संशोधन इस देश के कहां तक हित में है। श्रीमन्, इस विषय में मैं सम्मानित सदस्यों का ध्यान अमेरिकन कांस्टीटयूशन और आस्ट्रेलियन कांस्टीटयूशन की तरफ दिलाना चाहता हूं। श्रीमन्, आस्ट्रेलियन कांस्टीटयूशन की धारा १२८ में यह स्पष्ट दिया हुआ है कि जब किसी धारा के परिवर्तन करने की आवश्यकता प्रतीत हो तो उसमें इस प्रकार का बन्धन है, अंकुश है कि जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट के उस संविधान के संशोधन का उपहास न उड़ाया जा सके। श्रीमन् जहां पर आस्ट्रेलियन संविधान का प्रश्न उठता है उसमें यह कहा है कि जब तक बोथ दि हाउस-सेज इस बात के लिये सहमत न हो जायं कि संशोधन होने की उसमें आवश्यकता है तब तक कोई कदम आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। पहली शर्त यह अपनी जगह समाप्त नहीं होती है। जो इसकी दूसरी शर्त है वह बहुत महत्वपूर्ण है। जितने वहां पर एलेक्टर्स हैं और जितने कामनवैल्थ के देश हैं अगर उनकी मेजारिटी इस संशोधन करने के पक्ष में हो तो संशोधन किया जा सकता है। आज अमेरिका कांस्टीटयूशन में यह है कि जब तक होनों हाउसेज को २/३ मेजारिटी संशोधन को स्वीकार करने के पक्ष में न हो, कोई क़दम आगे नहीं बढ़ सकता है। और कोई क़दम आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है और साथ ही साथ अगर स्टेट्स करना चाहें तो वह संशोधन ३/४ मेजारिटी से ही कर सकते हैं। इसे देखने से एक मौलिक सिद्धान्त दृष्टिगोचर होता है। उन लोगों को जो संविधान पर बोलने का दुस्साहस करते हैं वह सोचना चाहिये कि उन सिद्धान्तों का वहिष्कार नहीं किया जा सकता। जिस जनता के प्रतिनिधि बनने का हम लोग दावा करते हैं, क्या यह कभी माना जा सकता है कि उनको संविधान में किसी संशोधन की सूचना न दी जाय या उनकी राय न ली जाय? जनता को सूचना होनी चाहिये और इस बात का अवसर होना चाहिये कि वह अपना मत प्रकट कर सके। परन्तु जब से हमारा भारतीय संविधान पास हुआ है दुर्भाग्यवश तब से कितने संशोधन आ चुके हैं सभी को भलीभांति मालूम है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अवधेश प्रताप सिंह]

मैंने माना कि जब कांस्टीटयूशन असेम्बली संविधान पर विचार कर रही थी तो लोग यह समझते थे कि समयानुकूल बहुत से संशोधन करते होंगे और उसके लिये मार्जिन भी रखा गया। हमारे संविधान में आर्टिकिल ३६८ इसी के लिये विद्यमान है। यदि यह सोचा जाय कि वह लोग यह भी आशा करते थे कि हर साल, या जब कभी उनकी इच्छा हो, मनमाने ढंग से अकारण हमारी सरकार इसमें संशोधन लाया करे, यह दुर्भाग्य की बात होगी। मैं समझता हूं कि कहीं अच्छा होता यदि हमारा संविधान लिखित न होता। मैंने माना कि हम परतंत्रता से स्वतंत्रता की सीमा में पदार्पण कर रहे हैं। मैंने माना कि परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं जब कि संविधान में संशोधन करना जनता के हित के लिये आवश्यक हो जाता है परन्तु यह मैं मानने के लिये तयार नहीं हूं कि जिस जनता के द्वारा आप चुनकर आये हैं उसे इस बात का पता भी न हो और उसे अपने विचार प्रकट करने का अवसर भी न दिया जाय। जो लोग इंगलैण्ड की बात करते हैं, उन्हें मालूम होगा कि वह लोग अपने इलेक्शन मैनीफेस्टो के अन्तर्गत ही आगे बढ़ने का प्रयत्न करते हैं। इस सदन में आने पर या इधर या उधर बैठने पर अधिकार नहीं हो जाता कि जब चाहा मनमाने ढंग से किसी भी प्रकार का संशोधन लाकर पास करा लिया जाय और उसके बाद किसी लेजिस्लेशन का अमेंडमेंट करके महान् अन्तर कर दिया जाय। यह दोनों एक फूटिंग पर नहीं माने जा सकते हैं और यदि माने जावेंगे तो यह बहुत भारी भूल होगी। ऐसी दशा में हमें यह देखना होगा कि यह संशोधन स्वयं क्या है। श्रीमन् यदि थर्ड अमेंडमेंट बिल १९५४ पर प्रकाश डाला जाय तो यह मालूम होगा कि इसमें मूलतः वही वस्तु है जो कि आपके कांस्टीटयूशन की धारा ३६९ में है, केवल एक दो माइनर अमेंडमेंट हैं। लिस्ट ३ का आइटम नम्बर ३३ इस प्रकार से है। मैं आपकी आज्ञा से उसे पढ़ देना चाहता हूं :—

"33. Trade and commerce in, and the production, supply and distribution of, the products of industries where the control of such industries by the Union is declared by Parliament by law to be expedient in the public interest."

और आर्टिकिल ३६९ इस प्रकार है—

"369. Not withstanding anything in this Constitution, Parliament shall during a period of five years from the commencement of this Constitution, have power to make laws with respect to the following matters as if they were enumerated in the Concurrent List, namely:—

(a) trade and commerce within a State in, and the production, supply and distribution of cotton and woollen textiles, raw cotton (including ginned cotton and unginned cotton or kapas), cotton seed paper (including newsprint), foodstruffs (including edible oilseeds and oil) cattle fodder (including oil-cakes and other concentrates) etc. etc.

इस प्रकार से यह थर्ड अमेंडमेंट बिल बिल्कुल रिपीटीशन है सिवाय इसके कि इसमें "and imported goods of the same kind as such products".. और लाया गया है। श्रीमन् कांस्टीटयूशन असेम्बली में बहुत से माननीय सदस्यों ने यह भी विचार प्रकट किया था पांच साल की अवधि में बुद्धि की जाय और उसको १०–१५ साल कर दिया जाय लेकिन कांस्टीटयूशन असेम्बली ने यह मुनासिब समझा कि उसको सिर्फ ५ साल ही रक्खा जाय। यह हो सकता है कि इससे माननीय कृष्णमाचारी जी को इससे कुछ लाभ पहुंचता हो कि उन्होंने यह कह दिया कि यह किसी माननीय सदस्य की दूरदर्शिता थी, जो इस अवधि में वृद्धि चाहते थे। लेकिन कांस्टीटुयेंट असेम्बली ने इस बात को तय कर लिया था कि यह जो पावर्स आर्टिकिल ३६९ द्वारा दी जा रही हैं वह केवल ५ साल के लिये रहेंगी और उस समय जो परिस्थिति थी उसमें आज बहुत कुछ सुधार हुआ है। आज ऐसी

विषम परिस्थिति नहीं है जो यह समझा जाय कि आज सेंटर के हाथ अधिक मजबूत बनाने की आवश्यकता है। जहां तक स्टेट आटोनोमी का सवाल है, कांस्टीटयूशन को देखें तो मालूम होगा कि उसमें यह स्पष्ट है कि हर एक प्रदेश को जो स्वतंत्रता दी गयी है, जो आटोनोमी उसके पास है उसमें किसी प्रकार भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है, उसके लिये उन्होंने लिस्ट २ रक्खी है। लिस्ट १ में यूनियन के सब्जेक्ट्स हैं, लिस्ट २ में स्टेट के सबजेक्ट्स हैं और लिस्ट ३ वह है जिसमें कंकरेंट सबजेक्ट्स हैं। श्रीमन्, यदि उस समय यह समझा जाता कि यह आवश्यक है कि कंकरेंट लिस्ट बनावें ने कोई वजह मालूम नहीं होती कि दफा ३६९ इसके अन्दर रखी जाती। जो उस समय यह रखा गया और एक दृढ़ निश्चय के साथ रखा गया कि यह परमानेंट फीचर कंस्टीटयूशन का नहीं होगा। थर्ड अमेंडिंग बिल में इसको बताया जाता है और समझा जाता है कि यह परमावश्यक है। कुछ लोगों ने जवाहरलाल जी की फारेन पालिसी के ऊपर भी कह डाला, कुछ लोगों ने फारेन और इंटर नेशनल सिचुएशन के ऊपर भी प्रकाश डाला है और रूस तथा चीन का कंस्टीटयूशन जिससे यहां कोई भी वास्ता नहीं था उनकी बातों को भी इस सदन में कह डाला है। फिलहाल उन तर्कों का जवाब तो वे स्वयं समझते हैं, उनको कुछ कहना चाहिये था इसलिये कह दिया। इसलिये मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों को खुद उन तर्कों पर विश्वास नहीं है।

मान्यवर, जब यह सिद्धान्त और उसूल निश्चयात्मक रूप में तय हो चुका है कि इसको परमानेंट फीचर न दिया जायगा तो यदि यह होता तो उस समय कंकरेंट लिस्ट में यह रख दिया गया होता। अगर यह कहा जाय कि कोई इमर्जेंसी है जिसके लिये यह बढ़ाया जाय तो उसमें भी मैं कुछ तथ्य समझता और इस परिस्थिति में ऐडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सी दिक्कतें हो सकती हैं जो कि एक माननीय सदस्य होने के नाते हमको न मालूम हो। यह ऐडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टी हो सकती है। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम नहीं जानते। अगर उस आधार पर वह कहते कि हमको टाइम की जरूरत है। और इसके लिये ५ साल एक्सटेंड करते हैं तो मुझे कोई विरोध नहीं हो सकता था। मैं यह भी मान लेता हूं कि ऐडमिनिस्ट्रेटिव इंटरेस्ट में आज की परिस्थिति में से पहले सन् ४९ या ५० में कहीं अधिक डिफिकल्टी एराइज हो रही थी और उनकी भी एक सीमा थी। यों तो श्रीमन्, यह मानव स्वभाव है सभी अपने अपने अधिकारों में वृद्धि चाहते ही हैं, चाहे यह उनकी दुर्बलता ही हो लेकिन सब लोग इस अधिकार वृद्धि को चाहते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि कौन सा इंटरनेशनल सिचुएशन ऐसा आ पड़ा है, कहां हमारे फ्रांटियर पर हमला होने वाला है जिससे खतरा उत्पन्न हो गया है? या कौन सी विषम परिस्थिति का सामना हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को करना पड़ रहा है जिससे वे कहें कि हमारे लिये यह आवश्यक है। क्या वे स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं? क्या वे नहीं समझते हैं कि बहुत सा उत्साह जो हम लोगों को मिलता रहा है, यदि इस तरह से हस्तक्षेप रोजमर्रा के कार्य में होता रहा केन्द्र की तरफ से तो मैं समझता हूं कि बहुत से मंत्रिमंडल के सदस्य जो उस तरफ बैठे हुये हैं, चाहे पार्टी डिसिप्लीन की वजह से वे कुछ न कहें लेकिन उनका दिल भी इस बात को पसन्द नहीं करता कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस तरह से हस्तक्षेप किया करे। बिहार और बम्बई की गवर्नमेंटों ने तो इसका विरोध किया है कि इस तरह का अमेंडमेंट किया जाय। बम्बई ने तो साफ तौर से इसका विरोध किया है। बिहार इस बात के लिये सहमत है कि उसकी अवधि बढ़ा दी जाय लेकिन वह स्टेट लेजिस्लेचर में आवेगा तो मुख्यमंत्री जो उस प्रदेश के हैं वे इसका विरोध करेंगे और केवल अवधि बढ़ा दी जाय इस नीति से उसे पारित कराने का प्रयत्न करेंगे। श्रीमन्, यह हो सकता है कि ऐसी परिस्थिति में हमको यह आश्वासन दिया जाय कि कंकरेंट लिस्ट में स्टेट लेजिस्लेचर की मेजारिटी की आवश्यकता है यदि सेंटर कोई संशोधन करना चाहे, जैसा कि मैंने कहा बिहार और मद्रास में यह बहुमत से पारित

[श्री अवधेश प्रताप सिंह]

होगा लेकिन यह संकल्प जब विधान सभा में लिया जायगा तो जो मेम्बर कल विरोधी थे वे आज इसके पक्ष में वोट देंगे । तो जहां तक कोई पार्टी डिसिप्लिन है, जहां तक कि कोई दूसरा प्रतिबन्ध है जिन प्रतिबन्धों के कारण आज हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है हमारी सीमा को संकीर्ण किया जा रहा है तो श्रीमन्, मैं नहीं समझा और मैं अपने मित्रों से पूछना चाहूंगा कि यह कहां की बुद्धिमानी है कि वे आज अपने अधिकारों की न्यूनता चाहते हैं जब कि सेन्टर अपने अधिकारों में वृद्धि चाहता है। यह दुर्भाग्य की बात है। आज सदन में क्या हो रहा है यह मैं नहीं समझ पाया कि आज वह खुद अपने अधिकारों को सीमित करने के लिये तैयार हैं और अगर यही रवैया रहा तो मैं समझता हूं कि यह इस सदन के स्तर जिसको श्रीमान् आप भी उच्च से उच्च देखना चाहते हैं उसका हनन होगा। इसलिये मैं थोड़े से शब्दों में इसका विरोध करता हूं।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)---उपाध्यक्ष महोदय, सचमुच शक्ति का क्या प्रभाव होता, शक्ति और संतुष्टि दोनों में किस प्रकार विरोध या विषमता है इसका परिचायक यह अमेंडमेंट संशोधन है। जिस समय कांस्टीटुएंट असेम्बली बैठी थी और ड्राफ्ट कांस्टीटयूशन का हो रहा था उस समय भी कई लोग ऐसे थे जिन्होंने इस प्रकार का सुझाव दिया था कि यह जो धारा ५ वर्ष के लिये रखी गई है उसका समय और बढ़ा दिया जाय।

(इस समय ४ बजकर ११ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

अगर उस समय की उन तमाम कार्यवाहियों को पढ़ा जाय तो उसमें सम्भवतः कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जिसने इस बात का समर्थन किया हो या इस प्रकार का सुझाव दिया हो कि यह जो धारा ३६९ है इसको परमानेंट बना दिया जाय । अगर इसमें कहीं यह प्रतिबन्ध होता कि धारा ३६९, ५ साल के बजाय १० साल या १५ साल के लिये कर दी जाय तो सम्भवतः एक बहुत बड़े मत से ही नहीं बल्कि सर्वसम्मति से यह स्वीकार हो जाता लेकिन उस समय जब कि एक विशेष गम्भीर परिस्थिति थी उस समय तो इसको परमानेंट बनाने की आवश्यकता नहीं समझी गई और अब जब देश में वैसे कोई विषम परिस्थिति नहीं है, जैसा कि उस समय लड़ाई का आतंक था, इस देश में और बाहर भी वह खत्म हो गया तब इस अमेंडमेंट को लाकर केन्द्रीयकरण की भावना को क्यों बढ़ाया जाता है ? जिस समय स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी जा रही थी उस समय सब से बड़ी बात यही थी कि स्वराज्य के बाद ताकत अधिक से अधिक जनता में आवे । स्वराज्य ही इस बात का परिचायक है केन्द्र को इतनी अधिक शक्ति नहीं दी जानी चाहिये कि जिसमें राज्य की सरकारें पंगु व पराधीन हो जायं और वह केन्द्र पर ही पर निर्भर रहें।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)---अध्यक्ष महोदय, हाउस में कोरम नहीं है ।

श्री अध्यक्ष---(श्री जोरावर वर्मा से) आप भाषण अपना थोड़ी देर के लिये स्थगित कर दीजिये।

(घंटी बजाई गई और कोरम पूरा होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री जोरावर वर्मा---अध्यक्ष महोदय, कोरम पूरा न होना ही इस बात का परिचायक है कि सदन इस अमेंडमेंट को स्वीकार नहीं करना चाहता ।

श्री अध्यक्ष---या यह है कि भाषण को नहीं सुनना चाहता।

श्री जोरावर वर्मा---मेरा ऐसा ख्याल है, श्रीमान् कि वे बजाय इसके कि यहां बैठकर इसका मर्थन करें उनकी अनुपस्थिति ही इस बात की परिचायिका है कि वे इस संकल्प का समर्थन नहीं करना चाहते हैं। इस समय इसके यहां समर्थन या विरोध का प्रश्न है, मेरे भाषण का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि सरकारी प्रस्ताव समर्थन अगर भाषण से नहीं हो तो कोरम पूरा रख कर करना उनका कर्त्तव्य है।

अध्यक्ष महोदय जिस समय यह कांस्टीट्यूएन्ट एसेम्बली कांस्टीट्यूशन ड्राफ्ट कर रही थी उस समय श्री जोगेश्वर प्रसाद जी ने इसी प्रकार का एक संशोधन रखा था कि बजाय पांच साल के यह जो धारा है ३६९, इसको पंद्रह साल तक बढ़ा दिया जाय। लेकिन उस समय कांस्टीट्यूएंट एसेम्बली ने इसको स्वीकार नहीं किया क्योंकि वह समझती थी कि ऐसी विषम परिस्थिति नहीं है और अगर होगी तो हम इसको बढ़ा सकेंगे। इतना ही नहीं, स्वर्गीय डाक्टर श्यामा प्रसाद जी मुकर्जी जो उस समय इंडस्ट्री और सप्लाई के मिनिस्टर थे तो उस समय एक बैठक मुख्य मंत्रियों की हुई थी, उसमें उन्होंने सुझाव दिया था कि यह धारा ३६९ को इंडस्ट्री और कामर्स के सब्जेक्ट्स की तरह ही प्रथम सूची में शामिल कर देना चाहिये। लेकिन उस समय भी कांस्टीट्यएन्ट एसेम्बली ने इसको स्वीकार नहीं किया, और मैं आपकी आज्ञा से इस रिपोर्ट के पेज चार पर वह भाग पढ़ना चाहता हूं कि जिसमें हमारे मुख्य मंत्री आदरणीय गोबिन्द बल्लभ जी पंत ने डाक्टर मुकरजी के सुझाव का विरोध किया था उनका मत था कि—

"The present Chief Minister of U. P. at that time very aptly indicated that though Centre might have legislative powers in regard to some of these commodities, these powers have been and are being exercised only for the purpose of preparing a skeleton legislative measure, . . ."

अध्यक्ष महोदय, यह हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी का उस समय विरोध था जिस समय देश में विषम परिस्थिति थी और मैं समझता हूं कि जिस समय धारा ३६९ को बढ़ाये जाने का टाइम भी था। लेकिन उन्होंने उसका विरोध किया क्योंकि इस प्रकार के लेजिस्लेशन से प्रांतीय सरकारें अपंग हो जातीं और उनकी जो काम करने की शक्ति एवं भावना है वह खत्म हो जाती। इसी तरह से श्री शिब्बन लाल सक्सेना ने भी अपना एक सुझाव उस समय रखा था कि पब्लिक इंटरेस्ट में यह आवश्यक है कि ३६९ धारा को बजाय टेम्पोरेरी और ट्रांजीशनल पीरियड के उसे हमेशा के लिये परमानेंट बना दी जानी चाहिये। लेकिन उस सुझाव को भी उस समय की कांस्टीट्यूयेन्ट एसेम्बली ने स्वीकार नहीं किया। अध्यक्ष महोदय मेरी समझमें यह नहीं आया कि देश जिस समय ट्रांजीशनल पीरियड में था जिस समय देश की और विदेश की, संसार भर की स्थिति डावांडोल थी उस समय उन दूरदर्शी लोगों ने यह आवश्यक नहीं समझा कि यह चार कमोडिटीज जिन पर हमारी सरकार परमानेंट कंट्रोल करने जा रही है और केंद्रीय सरकार उनको हाथ में लेने जा रही है, उस सुझाव को स्वीकार करना उचित नहीं समझा। अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से जो स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स एन्ड रीजन्स है इस संशोधन के लाने में है उसको मैं पढ़ दूं तो उससे मालूम हो जायगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट को भी यह संतोष है कि इस समय खाद्यान्नों की ऐसी स्थिति नहीं है कि जिससे इन पर कंट्रोल करना आवश्यक हो और न ऐसी पोजीशन है कि जिससे यहांकी स्थिति खराब होती हो। यह दूसरा पैराग्राफ है जिसे मैं आपकी आज्ञा से पढ़ रहा हूं—

"The position in respect of foodstuffs and cattle fodder at present is fairly comfortable, but it will not be advisable for the Centre to be divested of all legal powers to control their production, supply and distribution."

उन्होंने बतलाया कि स्थिति संतोषजनक है लेकिन वह कंट्रोल करना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, जिसके हाथ में शक्ति होती है उसको उससे संतोष नहीं होता है, जितनी शक्ति रहती है जिसके हाथ में उसको उससे संतुष्टि नहीं होती है और इसी भावना का प्रतीक अगर हम याद करें तो सिकन्दर था। जब वह सारी दुनिया को लूट चुका तो उसके मन में यह भावना पैदा हुई कि यह जो मैंने दुनिया का ऐश्वर्य एकत्रित किया है उसको मेरे सामने लाया जाय क्योंकि बिना उसके मुझे संतोष न मिलेगा। इस प्रकार का लालच हमारी केन्द्रीय सरकार को हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, बम्बई की सरकार ने भी इसका पूर्ण विरोध किया है

[श्री जोरावर वर्मा]

और जो पंडित ठाकुरदास भार्गव हैं और मैं समझता हूं कि वे कांग्रेस कमेटी के एक प्रमुख व्यक्ति हैं, उन्होंने भी इसके विरोध में कहा है कि यद्यपि सरकार को धारा २५४ और ३०१ के अनुसार कंट्रोल करने का पूर्ण अधिकार है लेकिन इस तरह से लेजिस्लेशन करने से हमारी जो राज्य सरकारें हैं वह पंगु हो जायंगी और उनमें जो एक स्वतंत्र भावना और इनीशियेटिव की भावना है वह खत्म हो जायगी।

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं यह बता दूं कि टी० के० चौधरी ने जिस समय यह बिल कमेटी में इंट्रोड्यूस हुआ इसका विरोध किया कि.....

श्री अध्यक्ष---किताब सब के पास पहुंच गई है। आपको उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है।

श्री जोरावर वर्मा---जी हां, उन्होंने कहा है कि यह अमेंडमेंट बहुत ही प्रतिक्रियावादी है। कोई संशोधन, जैसा कि सदस्यों ने कहा कि अगर स्टेट्स को अधिक शक्ति दे तो यह कहा जायगा कि यह उन्नतिशील विचार धारा का है, लेकिन शक्ति का केन्द्र में निहित करना और सेंट्रलाइज करना तो मैं समझता हूं हमारी जो स्वतंत्रता की जो लड़ाई थी जो हमको उससे लिबर्टी मिली थी, उसको स्टेट से छीना जाता है। अध्यक्ष महोदय हमें पूज्य बापू की बात भी याद रखना है कि जिस समय कंट्रोल लगा था तो उन्होंने दिल्ली में अनशन किया था कि जब तक कंट्रोल ढीला नहीं किया जायगा तब तक मैं अनशन करूंगा। हमारे माननीय प्रधान मंत्री पं० जवाहर लाल नेहरू ने भी उस पर विचार किया और हमने यह देखा कि जिस समय से हमारे सूबे में अनाज पर से कंट्रोल ढीला पड़ा उस समय से अनाज की स्थिति ही बदल गई। जो ६ छटांक गेहूं फी आदमी मुश्किल से मिलता था, दो सेर का अनाज ढूंढे नहीं मिलता था वह अब तीन सेर साढ़े तीन सेर के भाव का खुले बाजार में मिलता है और जहां पर गेहूं होता है वहां मैं समझता हूं कि ८ या ९ रुपये मन का भाव है। मेरे यहां हमीरपुर जिले में कहीं कहीं सात रुपये मन तक का भाव है। और कोई उसको ले नहीं रहा है। इससे किसानों की परिस्थिति इतनी विचित्र हो गई है कि हमारी इस सूबे की सरकार ही कुछ नहीं कर पा रही है तो केन्द्रीय सरकार जो उतनी दूर है वह तो सुन भी नहीं सकती। शक्कर अधिकांश मात्रा में हमारे सूबे में है लेकिन कंट्रोल हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। इससे हमारे यहां इतनी शुगर पैदा होती है तो भी उसका भाव यहां चौदह आने सेर है और देहातों में तो एक रुपये से लेकर डेढ रुपये तक ढूंढे नहीं मिलती है। तो इस तरह हमारी शक्ति का छीन लेना अच्छा नहीं है लेकिन उसको किस प्रकार से निभाया जाय। मैं तो यह कहूंगा कि जो शक्ति स्टेट गवर्नमेंट को देना चाहिये थी वह केन्द्र ने ले ली है। लेकिन इसके साथ साथ ही केन्द्र के शक्ति लेने से जो सदुपयोग उसका होना चाहिये था, उसे जो प्रोत्साहन मिलना चाहिये था वह नहीं हुआ, उसका परिणाम बुरा हुआ और जैसे पंचवर्षीय योजना के अनुसार हम काटेज इंडस्ट्रीज को बढाना चाहते हैं और चाहते हैं कि गांधी जी की भावना कार्य रूप में परिणत हो तो मैं समझता हूं कि यह संशोधन स्वीकार नहीं होना चाहिये। क्योंकि यह जो संशोधन है वह भारतीय स्वतंत्रता का अपहरण करता है और जो हमारे भारतीय देहातों में बसते हैं केन्द्रीय गवर्नमेंट उनकी ओर बिलकुल ध्यान नहीं दे सकती है। इस समय कृषकों की कितनी बुरी परिस्थिति है, इसको देखते हुये जब हमारी स्टेट गवर्नमेंट ही नहीं कुछ कर पा रही है तो केन्द्रीय सरकार किस प्रकार से उसको कंट्रोल में कर सकेगी, मैं नहीं समझ सकता। इन शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूं और आशा करता हूं कि यह सदन इसको स्वीकार नहीं करेगा क्योंकि यह यहां की पब्लिक के प्राप्त अधिकारों के विरुद्ध है। यह हो सकता है कि यह कंट्रोल कुछ इने गिने लोगों को कुछ उद्योगपतियों को लाभ पहुंचा सके, लेकिन यहां की जो अधिकांश जनता है उस प्रांत की, ८० प्रतिशत जहां किसान रहते हैं, उनके खिलाफ यह अमेंडमेंट पड़ता है। इन शब्दों के साथ में इसका घोर विरोध करता हूं।

श्री ब्रजबिहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)---माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रातःकाल ही से प्रस्तुत विषय पर इस पक्ष से भाषण हो रहे हैं और मैंने सबको गौर से सुनने का प्रयत्न किया

हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सब मानते हैं और हम भी सहमत हैं कि कान्स्टीट्यूशन विधान का बदलना मामूली बात नहीं है इस पर बहुत ही गम्भीरता से विचार होना चाहिये। परन्तु इसके हाथ ही साथ यह भी एक आवश्यक प्रश्न है कि समय समय पर इसको हम बदल सकते हैं और उसका बदलना ही इस बात का सबूत है कि उसको कार्य रूप में परिणत करने में कोई कठिनाई पड़ी है। हमें विधान बदलने का अधिकार है। जो भाषण इसके पक्ष में हुये हैं और जो इसके विरोध में हुये हैं उसमें बहुत सी बातें इस प्रकार की कही गई हैं कि विधान को शीघ्र बदलना नहीं चाहिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत से माननीय सदस्यों ने इस पर प्रकाश डाला है कि विधान को बदलने की आवश्यकता पड़े, तो हम उसे बदल सकते हैं। मैंने, जो पुस्तक बांटी गई है कांस्टीच्यूशन थर्ड अमेंडमेंट बिल, १९५४, इसको पढ़ा और इस पर लोकसभा में किये गये विरोध में तथा पक्ष में जितने भाषण थे, उनको भी देखा। इस प्रस्तुत विधेयक में जो स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स ऐंड रीजन्स हैं अगर इन्हीं को गौर से पढ़ लिया जाय तो मालूम होगा कि इस संकल्प की क्यों आवश्यकता पड़ी, क्यों यह आवश्यक हुआ कि इस किस्म का विधान प्रस्तुत किया जाय। इसका विशेष कारण यह है कि यह प्रश्न जिसके कि संबंध में यह विधेयक लाया गया है, जैसे कैटिल फाडर, फूड स्टफ्स, रा काटन और काटन सीड और रा जूट, ये जितनी वस्तुयें हैं, इनके संबंध में नियंत्रण केन्द्र का, भारत सरकार का रहा है और वह नियंत्रण समाप्त हो रहा है २५ जनवरी, १९५५ को। केन्द्र का यह कर्त्तव्य होता है कि इन वस्तुओं पर वह नियंत्रण अभी कुछ वर्षों तक और रखे। इस पर अभी माननीय जोरावर वर्मा जी ने काफी कोटेशन दिये हैं और माननीय सदस्यों को, केन्द्रीय पार्लियामेंट के सदस्यों के भाषणों से ही मालूम हो जायगा कि उस वक्त भी यह प्रश्न था कि १५ वर्ष के लिये इसकी अवधि रख दी जाय। लेकिन हमारी संविधान सभा के माननीय सदस्यों ने उस समय इस बात को उचित समझा था कि केवल पांच वर्ष के लिये इसको रखा जाय और वह अवधि अब २५ जनवरी को समाप्त होने जा रही है। अगर यह अमेंडमेंट पास नहीं किया जाता है तो केंद्र का नियंत्रण इन वस्तुओं पर अब नहीं रह जायगा। इस संबंध में यह बताना आवश्यक है कि जैसे काटन है या फूड स्टफ्स हैं भोजन के पदार्थ हैं, या पशुचारा के लिये और चीजें हैं या रूई है और वस्तुयें हैं, ये ऐसी वस्तुयें हैं जो एक प्रांत में होती हैं दूसरे में नहीं होतीं। रूई को ले लीजिये। रूई हमारे प्रदेश में नहीं होती। बिहार में और मध्य प्रदेश में रूई होती है। यदि केन्द्र का नियंत्रण इन पर न रखा जाय तो किस प्रकार इनका उचित प्रबन्ध तथा व्यवस्था हो सकती है? मेरी समझ में यह बात नहीं आयी जिसे हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि यह कुठाराघात है हमारी जो यूनिट्स हैं, जो स्टेट्स हैं, उनके अधिकारों के ऊपर। कुठाराघात का प्रश्न कहां उपस्थित होता है? इन वस्तुओं का केन्द्र के नियंत्रण में ही रहना अत्यावश्यक है और हर माने में आवश्यक है। इसे प्रांतों के अधिकारों पर कुठाराघात मानना उचित नहीं है।

अभी-अभी कंट्रोल का जिक्र एक माननीय सदस्य ने किया और कहा कि कंट्रोल जब था तो दो सेर छः छटांक गेहूं मिलता था और अब कंट्रोल हट जाने पर तीन सेर, साढ़े तीन सेर तक का गेहूं बाजार में मिल रहा है, लेकिन इस संकल्प का कदापि यह मतलब नहीं है कि हम कोई कंट्रोल करने जा रहे हैं। नियंत्रण रखने के माने कंट्रोल करने के नहीं हैं। नियंत्रण उनका रहना व्यवस्था के लिये आवश्यक होता है। इसी वजह से केंद्रीय सरकार को उसके नियंत्रण का अधिकार दिया जा रहा है। इस पर जो एतराज किये गये हैं विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों की तरफ से, कि संविधान में संशोधन करना उचित नहीं है, मैं समझता हूं वह ठीक नहीं है। इस विषय पर भाषण भी बहुत हो चुके हैं, मैं और कुछ न कहकर माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संकल्प का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि विरोधी पक्ष के लोग अपने एतराज को वापस ले लेंगे।

*श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जनाबवाला, जो राज्य के और उसके किस्से में यह बात आयी कि कांस्टीट्यूशन का संशोधन हो और इस कदर जल्दी जल्दी हों, यह बात गलत है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

एक यह बात आई कि कांस्टीट्यूशन की तरमीम के जरिये से स्टेट्स के अख्तियारात कम किये जायं और जो बातें उनकी आजादी और आटोनोमी की हैं उनको कांस्टीट्यूशन से निकाला जाय, यह बात सही नहीं है। जितनी बहस हुई है उस बहस का खुलासा मेरे नजदीक सिर्फ इतना है जहां तक खुद इस तरमीम का संबंध है उसके मैरिट्स के ऊपर मेरे नजदीक कोई खास बात नहीं कही गई, जिससे मैं यह समझता कि एक यह तरमीम इन बुराइयों की वजह नहीं होनी चाहिये, बल्कि एक किस्म का स्टैप करार देकर उसकी मुखालफत की गई है। उसकी मुखालफत हो या न हो मैं इसको एक नजर से बतलाऊं कि यह बात ऐसी है कि इसकी मुखालफत है और नहीं भी है। चुनान्चे एक सवाल उधर से उठाकर मेरे सामने एक मोअज्जिज मेम्बर ने यह इर्शाद फर्माया था कि यू० पी० की गवर्नमेंट ने इस तरमीम की बाबत कोई राय गवर्नमेंट आफ इंडिया के मांगने के बावजूद नहीं दी। उन्होंने हवाला दिया कृष्णमाचारी साहब की तकरीर का जो उन्होंने वहां की है। उसमें से उन्होंने बतलाया कि यू० पी० गवर्नमेंट की कोई राय वहां नहीं गई। यह हो सकता है कि उनके नोटिस में न आई हो अगर यू० पी० गवर्नमेंट की तरफ से इस तरमीम के ऊपर राय गई और वह राय उसके खिलाफ गई। वह उनके नोटिस में क्यों नहीं आई? मैं क्या अर्ज करूं कि क्या बात है मगर वाकया यह है कि हमने राय भेजी थी। राय उसके खिलाफ भेज दी और फिर उसके पास हो जाने के बाद हम उसकी ताईद करें और इसको मंजूर करें तो यह क्या बात? तो दुनिया की जिन्दगी के तजुर्बे से हर आदमी को यह मालूम है कि कितनी ही बातों से वह मुखालफत करता है और उसके बाद अगर उसकी नहीं चलती है तो इस मामले में फिर उसकी अहमियत और गैर अहमियत या बड़ाई या छुटाई को देखकर फैसला कर लेता है कि इससे इख्तलाफ किया जाय या नहीं। मैं तो इस नजर से इसको देखता हूं कि आया हम इस वजह से कि इससे अख्तियारात में कुछ कमी हो रही है इसकी फिर से मुखालिफत करें और यह हाउस इसको नामंजूर कर दे।

इस सिलसिले में जो बातें कांस्टीट्यूशन के बारे में कही गई हैं वह उठती नहीं हैं, वह असंगत थीं। मैं चाहता नहीं हूं कि उनकी बाबत मैं कुछ कहूं, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अच्छी बात है, कांस्टीट्यूशन में कभी भी तरमीम न हो। कोई ऐसी कांस्टीट्यूशन बन जाय कि सदियों गुजर जायं और तरमीम की जरूरत न हो। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आज बने और दूसरे ही दिन तरमीम की जरूरत पेश आ जाय। आया जो तरमीम की जा रही है उसके साथ साथ कांस्टीटयूशन की सैंक्टिटी अटैच है। मैं कह नहीं सकता उसको उर्दू या हिन्दी में किस तरह कहूं लेकिन कांस्टीट्यूशन के साथ एक बड़ी सैंक्टिटी अटैच्ड है कि उसको छेड़ना बार-बार कोई सही बात नहीं है। लेकिन अगर जरूरत हो तो इन्सानी जिन्दगी और इंसानी सोसाइटी की जरूरतों को तो पसेपुश्त नहीं किया जा सकता है, उनको पूरा करने के लिये तो कुछ न कुछ करना ही पड़ता है, उसमें कांस्टीट्यूशन की तरमीम भी करनी पड़ती है चुनान्चे यह हुई है। मगर यह तरमीम फिल वाकया ऐसी है कि जिससे मैं यह समझूं कि इस हाउस के या यहां की गवर्नमेंट के या इस स्टेट के अख्तियारात पर कोई बड़ा भारी इन्क्रोचमेंट है, तो मैं देखना हूं कि नहीं है। वह मैं अभी अर्ज करूंगा कोई इन्क्रोचमेंट नहीं है और हमको उसे मान लेने में कोई हर्ज नहीं है।

जिस वक्त कि मैंने यह मोशन पेश किया था उस वक्त मैंने यह अर्ज किया था कि जो हमारा असल कांस्टीट्यूशन है उसमें जो २७वां शेड्यूल है उसमें तीन लिस्टें दी हुई हैं, एक तो यूनियन लिस्ट है जिसमें खालिस अख्तियारात हिन्द की सरकार और पार्लियामेंट के हैं, एक दूसरी है स्टेट्स की, उसमें स्टेट्स की गवर्नमेंट्स के अख्तियारात हैं और एक तीसरी है जिसमें दोनों के साथ साथ अख्तियारात हैं। उन अख्तियारात को एक तरफ स्टेट भी इस्तेमाल कर सकती है और उधर सेंटर भी इस्तेमाल कर सकता है। मद ३३ जिसको कि तरमीम किया जा रहा है यह कांकरेंट लिस्ट में है। उसको पहले मैंने हाउस के सामने पढ़ा तो यह अर्ज किया था कि उसमें एक जनरैलिटी है इंडस्ट्रीज की बाबत, यह उसकी इबारत से मालूम होता था। अब उस इबारत को हटा कर उसकी जगह यह इबारत लिखी जाती है कि जो इस वक्त इस तरमीम में रखी हुई है। उन दोनों का अगर आप मुकाबिला करें तो महज

चार अल्फाज हैं जो बढ़े हैं जो मैं पढ कर सुनाऊं आपको। उसमें बढ़ यह रहा है "Imported Goods of the same kind" जो उसमें पहले से प्रोवाइडेड है। उसी किस्म की जो चीज इम्पोर्ट की हुई है, मुल्क के अन्दर उसके मुताल्लिक भी वही अख्तियारात उनके हो जायं जो और इंडस्ट्रीज की बाबत मद ३३ में है। एक तो यह उसमें इजाफा पहले की बनिस्बत है और जैसा मैंने अर्ज किया यह चीजें ऐसी हैं जिनकी वजह से अख्तियारात का इस्तेमाल घट सकता है बमुकाबिले उसके कि उसका सर्किल बढ़े। वह चीजें हैं फूड स्टफ्स, कैटिल फाडर; रा काटन और रा जूट। तो इन चार चीजों के मुताल्लिक अगर वह चाहें और किसी ऐसी इंडस्ट्री की बाबत चूंकि वह है दुनिया में हिन्दुस्तान के बाद इसलिये हम उसको इगनोर नहीं कर सकते। उस चीज के इंट्रेस्ट में किसी रिजोल्यूशन की जरूरत पैदा होती है तो यह स्टेट अलग वह स्टेट अलग यह मुनासिब नहीं है। इसलिये आम तौर पर जो अख्तियार गवर्नमेंट आफ इंडिया को है वह अख्तियार हम उनसे इस्तेमाल करा सकें। फिर मसलन जूट है, जूट का प्रोडक्शन हमारे यहां कम है, रूई है उसकी कमी है हमारे यहां, फूड स्टफ्स हैं उनकी हालत इस वक्त बेहतर है यह सही है लेकिन उनकी निस्बत सूरतें ऐसी पैदा हो सकती हैं कि जरूरत यह महसूस की जाय कि यहां से वहां और वहां से यहां किया जाय और किस तरह से उनको किसी हुदूद के अन्दर कंट्रोल किया जाय कि इस किस्म की जरूरत को महसूस करते हुये उन अख्तियरात को इस्तेमाल किया जाय। कभी बंगाल के इन्ट्रेस्ट में जरूरी हो जाय, कभी पंजाब के इंट्रेस्ट में जरूरी हो जाय और कभी यू० पी० के इंस्ट्रेस्ट में जरूरी हो जाय तो उन अख्तियारात को एक ऐसी जमात के पास, एक ऐसी हुकूमत के पास होना बिल्कुल सही बात हो सकती है जो सब जगहों को कवर करती हो और जहां जरूरत समझती हो जहां जिस तरह से इस्तेमाल करने की, वहां वैसा इस्तेमाल कर सके और फिर इस काबिल हो कि सब के इंट्रेस्ट को देख कर इम्पार्शयल जजमेंट करे कि इस मामले में बंगाल का इंट्रेस्ट क्या है, यू० पी० का इंट्रेस्ट क्या है और मद्रास का इंट्रेस्ट क्या है और उसे देखते हुये एक फैसले पर पहुंचे और उस अख्तियार के मातहत जो उसको इस कानून में दिया गया है उस काम को कर दे। तो इस रोशनी में हम उसे देखें। सही है कि हमारे अख्तियार जो भी हों और नेचुरल सी बात है उनमें दखलन्दाजी करना अच्छा न मालूम होता हो। बे ५ वर्ष गुजर गये। उन ५ वर्षों का बहुत जिक्र किया गया। ५ वर्ष गुजर गये तो एक दोस्त जरूर तैयार थे कि ५ वर्ष के लिये गवर्नमेंट आफ इंडिया इसे और ले ले लेकिन उन्होंने जो कांस्टीट्यूशन की बात कही उसमें स्टेटमेंट आफ आबजेक्ट्स एंड रीजन्स में पहले फिकरे में लिखा हुआ है मैं उसे पढ़ दूं —

"The position in respect of foodstuffs and cattle fodder at present is fairly comfortable, but it will not be advisable for the Centre to be divested of all legal powers to control their production, supply and distribution"

आइन्दा को अगर वही जरूरत पैदा हो जाय, आज हमको यहां उसके करने की जरूरत पड़े तो उस वक्त हम क्या करेंगे। उस जरूरत को पूरा करने के लिये हमारे पास कोई इन्तजाम होना चाहिये। इसलिये यह जरूरत समझी कि गवर्नमेंट आफ इंडिया के पास से बिलकुल उस पावर का निकल जाना ठीक न होगा जो पावर उस आर्टिकिल से उसे मिल चुकी है। उससे बेहतर यह होगा कि किसी हद तक उसे रिटेन किया जाय। इसलिये यह सब की बेनिफिट में, सबको नुकसान से बचाने के लिये उसे इस्तेमाल किया जा सकता है। खुलासा इस अमेंडमेंट का सिर्फ इतना है। इसी गरज से उन्होंने

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

इसको पास किया और यहां भेज दिया। हमने उसे समझा और देखा और हमें मालूम हुआ कि बात ठीक है तो गवर्नमेंट राजी हो गई और गवर्नमेंट ने अपनी राय बदल कर यह राय कर दी और यह मुनासिब समझा कि इस तरमीम को हमारे यहां से भी रेटीफाई हो जाना चाहिये और मंजूर हो जाना चाहिये। सेंटर वर्सस स्टेट या स्टेट वर्सस सेंटर ऐसा कोई सवाल नहीं है।

गेंदासिंह साहब ने कहा कि आज हाउस से इसे मुल्तवी करा दें और इस पर वोटिंग न हो। उनका इन्टरेस्ट इतना ही मालूम होता था कि उन्होंने यहां पर तकरीर की और चले गये। क्या उनका मकसद था यह मैं समझ नहीं सका। यहां पर आज १२ बजे से लेकर अब तक इस पर बहस हो रही है और उन्होंने इरशाद फरमाया था कि उनसे दरख्वास्त करता हूं कि इसको मुल्तवी कर दिया जाय। अगर वह इस वक्त होते तो मैं समझ भी लेता उनकी मुल्तवी कर देने का क्या मतलब था। महज इतनी बात समझता हूं कि क्या जो यहां पर तकरीर हुई वह नासमझी की हुई, ऐसा हर्गिज नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा था कि इसको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। मैं तो उनकी तकरीर का यह नतीजा नहीं निकाल सकता कि जो तकरीरें हुयीं वह नासमझी की हुयीं। इस वजह से इस बात की जरूरत नहीं मालूम होती है कि इस बहस को आगे के लिये मुल्तवी किया जाय। इन अल्फाज के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जिस समय यह कांस्टीट्यूशन बिल ओपिनियन जानने के लिये स्टेट गवर्नमेंट के पास उन्होंने भेजा था तो गवर्नमेंट ने उस समय अपनी राय क्यों नहीं दी?

श्री अध्यक्ष--उन्होंने इस सम्बन्ध में सही बात को बतला दिया है आपने उनकी स्पीच को नहीं सुना।

(कुछ देर रूकने के बाद)

प्रश्न यह है कि क्योंकि संसद के दोनों सदनों ने कान्स्टीट्यूशन (थर्ड अमेंडमेंट) बिल, १९५४ को पारित कर दिया है, जिसके द्वारा भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची ३ की मद ३३ में, जो उन उद्योगों में व्यापार और वाणिज्य तथा उनके उत्पादन, सम्भरण और वितरण से सम्बन्धित है जिनका संघ द्वारा नियंत्रण संसद से विधि द्वारा लोकहित में इष्टकर घोषित किया गया है, संशोधन करने का प्रस्ताव है;

"और क्योंकि संविधान के अनुच्छेद ३६८ के प्रतिबन्ध के अनुसार यह आवश्यक है कि यदि ऐसा कोई संशोधन प्रस्तुत करना हो जिससे सातवीं अनुसूची की सूचियों में से किसी में परिवर्तन करना हो तो उसे राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिये उपस्थित किये जाने के पहले प्रथम अनुसूची के भाग (क) और (ख) में उल्लिखित राज्यों में से कम से कम आधों के विधान मंडलों से पारित संकल्पों द्वारा उसका अनुसमर्थन हो:

यह सदन संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कान्स्टीट्यूशन (थर्ड अमेंडमेंट) बिल, १९५४, द्वारा संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची ३ की मद ३३ में प्रस्तावित संशोधनों का अनुसमर्थन करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ --

पक्ष में--७५

विपक्ष में--१४।)

गंगा कैनाल शताब्दि-महोत्सव में सदस्यों के सम्मिलित होने के हेतु १० दिसम्बर, १९५४ को सदन के स्थगित करने का सुझाव।

राजा वीरेंद्र शाह (जिला जालौन)—श्रीमान्, मैं यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि १० तारीख को जो हरिद्वार में गंगा कैनाल की शताब्दि हो रही है, उसमें बहुत से सदस्य जाना चाहते हैं। यदि उस दिन सदन की बैठक न हो तो अच्छा हो, लोगों को सुविधा हो जाय।

श्री अध्यक्ष—मैंने नेता सदन से इस विषय में बात कर ली है, चूंकि श्री वीरेन्द्र-शाह जी ने यह प्रश्न लिखित मुझे दिया था। इसके लिये सहमति उनकी है कि १० तारीख को सदन की बैठक न हो। जो लोग हरिद्वार जना चाहेंगे उनकी सुविधा के लिये भी आपने मुझे कुछ लिखा था। यदि मेरे पास जाने वालों के काफी नाम आ जाते हैं और उसमें खर्चा तो सदस्य करेंगे ही तो १, २ डिब्बे रिजर्व कराने के लिये भी नेता सदन ने कह दिया है कि वह उसकी कार्यवाही करेंगे। तो १० तारीख को सदन की बैठक नहीं होगी। मैं समझता हूं कि आज अब आगे का कार्यक्रम नहीं चलना चाहिये क्योंकि अभी-अभी शायद यह इच्छा प्रकट की गयी है कि म्युनिसिपैलिटीज विधेयक कल लिया जाय। इसलिये हम अब उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ४ बजकर ५२ मिनट पर अगले दिन ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

मिट्ठन लाल,
सचिव, विधान मंडल,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
६ दिसम्बर, १९५४।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३२ का उत्तर पीछे पृष्ठ २१३ पर)

प्रश्न संख्या ३२ से संबंधित सूची

टेस्ट वर्क जो गत वर्ष पूर्ण किये गये

तहसील का नाम	क्रम संख्या	टेस्ट वर्क का नाम
घोसी	१	दुबारी मधुबन
	२	घोसी मझवारा
सगड़ी	३	काजी सराय–विलरिया गंज
	४	जीयनपुर–केरमा
	५	सराय काजी–महराजगंज
	६	रोनापार–विलरिया गंज
	७	कथौली–बाजार गोसाई (मरम्मत)
	८	कादीपुर–बनावे
	९	हाट मंडी–नरायनपुर (मरम्मत)
	१०	बगदी डांड–असरफपुर ..
	११	कंजरा–दिलशादपुर ..
	१२	रौनापार–भैंसा ..
लालगंज	१३	अहरौली–गोरहरा ..
	१४	लालगंज–तरवा ..
	१५	लहुआ–कुंभदेव ..
मोहमदाबाद	१६	सरसेना–फतेहपुर ..
	१७	चड़ेसर–कम्हरिया ..
	१८	खुरहट–रानीपुर ..
	१९	मऊ–सुस्तानीपुर ..
	२०	अलीनगर–मोहम्मदपुर ..
फूलपुर सदर	२१	बरदहा–मारटिनगंज (मरम्मत)
	२२	मंदुरी–निजामाबाद ..
	२३	भदुली–निजामाबाद (मरम्मत)
	२४	निजामाबाद–टुडबल ..

टेस्ट वर्क जो गत वर्ष चलाए गए परन्तु अधूरे रहे

घोसी	१	मधुबन–दरगाह ..
सगड़ी	२	जीयनपुर–बिलरियागंज
	३	अजमतगढ़–अमिला ..
	४	सदनपुर–बांध
मोहमदाबाद	५	काझा–बटुआ गोदाम ..
	६	काझा–मऊ ..
	७	ढ़ड़वारा–जहानगंज
फूलपुर	८	अहरौला–कोइलसा ..
सदर	९	गम्भीरपुर–जैगहान ..

विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३५ का उत्तर पीछे पृष्ठ २१४ पर)

सूची (अ)

F. A. O. के Expended Technical Assistance Programme के अन्तर्गत प्रेरित यह विशेषज्ञ अक्टूबर, १९५२ को इस राज्य में आये और तब से वह यहीं हैं। F. A. O. विशेषज्ञ दिये जाने की शर्तों के अनुसार जो उस समय प्रचलित थीं राज्य सरकार को (१) उपयुक्त निवासस्थान, (२) भोजन निवासस्थान तथा १० रु० दैनिक भत्ता जबकि विशेषज्ञ अपने हेडक्वार्टर के बाहर का सरकारी काम से जायं तथा (३) आंतरिक परिवहन की व्यवस्था या आंतरिक परिवहन का वास्तविक खर्च की व्यवस्था करनी पड़ती है। यह शर्तें संशोधित की गयीं और १ जनवरी, १९५४ से राज्य सरकार से यह अनुरोध किया गया कि वे भारत सरकार के Central Pool में प्रत्येक विशेषज्ञ के लिये २७ रु० ८ आ० प्रतिदिन के हिसाब से दें और सरकारी काम के लिये आंतरिक परिवहन की व्यवस्था करें या परिवहन का वास्तविक खर्चा दें। बाद में राज्य सरकार द्वारा Central Pool में दिया जाने वाला अंशदान (contribution) फिर संशोधित किया गया और १ अगस्त, १९५४ ई० से प्रत्येक विशेषज्ञ के लिये २५ रु० प्रति दिन कर दिया गया।

इसके अतिरिक्त राज्य सरकार को कार्यालय के स्थान, सज्जा (equipment), डाक तथा तार की सुविधायें, टेकनिकल तथा लेख पढ़ने संबंधी सहायता (Technical and Secretariat help) तथा ऐसी चिकित्सा सम्बन्धी सुवधायें जो सरकारी कर्मचारियों को प्राप्त हैं, की भी व्यवस्था करनी पड़ती है।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३६ का उत्तर पीछे पृष्ठ २१४ पर)

सूची (ब)

एग्रीकल्चर इंजीनियर मुख्य विषय कैमेस्ट्री, फ्रूट टैक्नालोजी, इकनामिक्स, १९३३ में Wageningen हालैन्ड की यूनिवर्सिटी आफ एग्रीकलचर से डिग्री प्राप्त की यह डच रायल हार्टीकल्चर ऐन्ड बोटानिकल सोसाइटी के मेम्बर भी हैं। इसके अतिरिक्त यह १९३६ से १९४२ तक Horticulture Advisor and Head of the Preserving Laboratory of the Department of Economics Affairs, Batavia रह चुके हैं और १९४६ से १९५१ तक Director General of Java Fruit Ltd., Java Indonesia रहे हैं।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—२३८ एल० ए०—१९५४—८५०